खण्ड-201, अंक-9
बुधवार, 6 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(25 फरवरी, 1959 ई0)

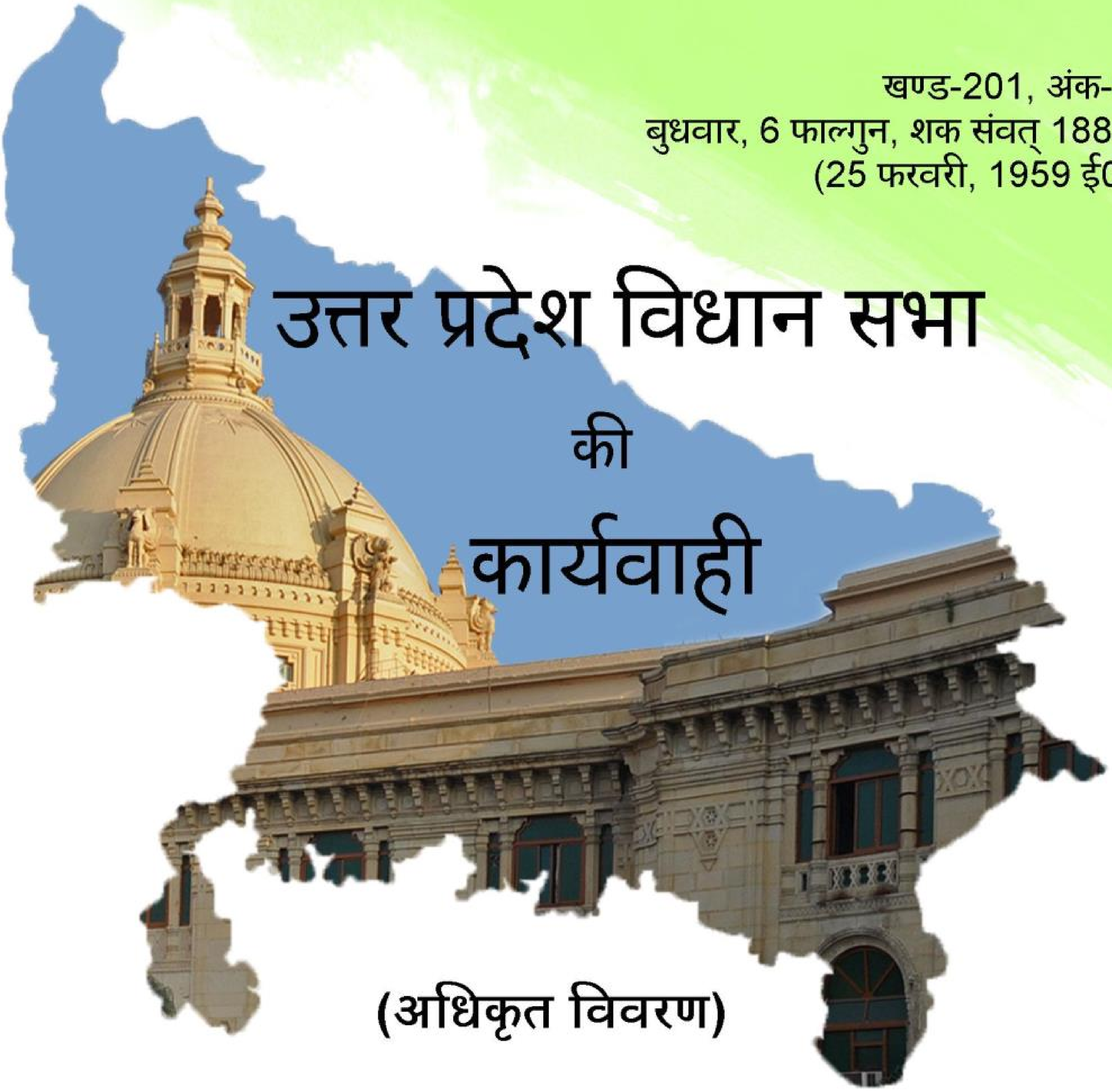

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 201 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २५ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुलरहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद,

गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्दिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगबीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भन्डारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)

रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्री
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईदअहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेश बहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री

हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २५ फरवरी, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग

**१—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों को गन्ने की कीमत १ रुपया १२ आना मन मिले इस मांग का समर्थन किन-किन राजनीतिक दलों द्वारा हुआ ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—इसकी ठीक-ठीक सूचना गवर्नमेंट के पास नहीं है।

अध्यक्ष, नगरपालिका, झांसी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

**२—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, नगरपालिका झांसी के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा गैर-कानूनी कार्यों इत्यादि से सम्बन्धित २०-२-५९ का उनके नाम प्रकाशित कोई खुला अभियोग पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में तत्काल कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जी हां। अभी उस पर विचार हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इसकी जांच कराने की क्या व्यवस्था वह कराने जा रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अध्यक्ष, नगरपालिका, झांसी के विरुद्ध कुछ दिन पूर्व भी कुछ शिकायतें आयी थीं। उनको आयुक्त, झांसी डिवीजन के माध्यम से जिलाधीश, झांसी के पास जांच के लिए भेजा गया है और ये जो नयी शिकायतें आयी हैं उनको देखा जा रहा है कि उनमें कोई नयी बात तो नहीं है। अगर कोई नयी बात निकलेगी तो वह भी जिलाधीश, झांसी के पास जांच के लिए भेज देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि जिलाधीश, झांसी और कमिश्नर, झांसी ने इस अध्यक्ष के खिलाफ सरकार के पास कई रिपोर्टें भेजी हैं ? यदि नहीं, तो सदन के सम्मानित सदस्य या माननीय अध्यक्ष, खेर साहब के द्वारा झांसी नगरपालिका के विरुद्ध जो शिकायतें हैं उनकी जांच कराने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। आपने मेरा भी नाम उसमें शामिल कर लिया। ऐसे सवाल की मैं इजाजत नहीं देता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि झांसी के आयुक्त के पास उन्होंने ये शिकायतें कब भेजीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—ये शिकायतें तो लगभग ८ महीने पहले से आ रही हैं। तो जितनी शिकायतें समय-समय पर आयी हैं वे सब आयुक्त के द्वारा जिलाधीश, झांसी के पास जांच के लिए भेज दी गयी हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि इस अध्यक्ष के खिलाफ सन् १९५७ से शिकायतें हैं? यदि हां, तो उन शिकायतों की जांच का परिणाम अब तक क्या निकला?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सन् १९५७ से नगरपालिका, झांसी के अध्यक्ष के विरुद्ध कोई शिकायत है, इसकी सूचना तो नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया लगभग ८ महीने से उन के विरुद्ध शिकायतें आना शुरू हुई हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जो लगभग ८ महीने से उनके विरुद्ध शिकायतें हैं तो उनकी अब तक क्या जांच हुई और यदि नहीं हुई तो कारण क्या है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जिलाधीश, झांसी अभी जांच कर रहे हैं। आयुक्त झांसी डिवीजन ने बीच में सरकार को यह लिख भेजा है कि अभी वह जांच पूरी नहीं हुई है इसलिए शीघ्र ही रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकती। अभी जांच जारी है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि इतने गम्भीर आरोप होने के बावजूद भी उन अध्यक्ष महोदय को अपनी जगह पर क्यों बिठा रखा गया है?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। आप इन्क्वायरी के पहले किसी चुने हुये अध्यक्ष को निकालने के बारे में कोई कानून नहीं बता रहे हैं। अगर कानून का हवाला आप दे देते तो मैं इजाजत दे देता, लेकिन मैं इस तरह से छीटाकशी की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या स्वयं झांसी के जिलाधीश और झांसी के आयुक्त ने इन अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध कुछ रिपोर्टें भेजी हैं, जिनमें उनके खिलाफ गम्भीर आरोप हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार ने जिलाधीश झांसी को लिखा है कि वह रिपोर्ट जल्द भेजें?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जिलाधीश को स्वयं फिक्र है और वह जल्दी रिपोर्ट भेजने की कोशिश में हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या मन्त्री जी इसकी जांच पूरी हो जाने के बाद परिणाम से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिए अगर माननीय सदस्य नोटिस दे दें तो उस पर विचार होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि ३०—१२—५८ को किसी पिकअप के सम्बन्ध में ए० डी० एम० (जे०) ने फैसला दिया था और कहा था कि जान कर मुकदमा चलाया गया है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ८ महीने तक कोई रिपोर्ट नहीं आ सकी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि लगभग ८ महीने से यह शिकायतें आनी आरम्भ हुईं। एक आज आयी एक कल आयी इस तरह से आती रहती हैं और वह सब बराबर रिपोर्ट के लिए भेजी जा रही हैं और एक आरोपों की सूचना हाल ही में आई है इसको भी भेजा जा रहा है। अधिकारियों के लिए भी कठिनाई है कि वह तुरन्त ही हर शिकायत का जवाब लिखकर भेज दें क्योंकि शिकायतें बराबर आ रही हैं और वह भेजी जा रही हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस समय जन हित में इन आरोपों का यहां उल्लेख करना ठीक नहीं होगा।

श्री व्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो आरोप अध्यक्ष नगरपालिका झांसी के खिलाफ लगाये गये हैं वह वेग हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह तो रिपोर्ट आने पर मालूम होगा कि वह वेग हैं या नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि ३०-१-५८ को ७,१०० रु० का चेक दिया था जिसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने रोका था ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता जब कि यह बातें इन्क्वायरी में हैं। एक तो स्थानीय निकायों के ऐडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में नियमों के अनुसार इतने व्योरे में सदन नहीं जा सकता। जब यह मामला इन्क्वायरी में जा चुका है तो एक एक आइटम को लेकर किसी चुने हुए व्यक्ति को बदनाम करना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि अध्यक्ष के विरुद्ध कितने आदमियों ने किन आरोपों की जांच के लिए पत्र भेजा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—कोई ऐसी सूची मेरे पास है नहीं जिससे मैं यह बता सकूं कि इतने आरोप हैं ?

तारांकित प्रश्न

देवरिया जिले में नलकूपों द्वारा सिचाई के सम्बन्ध में पूछताछ

*१—**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में नलकूपों से कितने एकड़ की सिंचाई फसली, सन् १३५५ में हुई है और प्रत्येक से अलग-अलग कितनी सिंचाई हुई है ?

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—क्योंकि १३५५ फसली में देवरिया जिले में कोई नलकूप नहीं था अतः यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—श्री ब्रजनारायण तिवारी अपने प्रश्न में "१३५५ फसली" के स्थान पर "१३६५ फसली" चाहते हैं। इसके लिए उन को दूसरी नोटिस देनी होगी क्योंकि मन्त्रीजी बीच में इसका उत्तर बदल नहीं सकते हैं।

गंडक योजना

*२—**श्री व्रजनारायण तिवारी**—क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गन्डक योजना कब से आरम्भ की जायगी ?

श्री धर्मसिंह—गन्डक योजना का अभी सर्वेक्षण (survey) हो रहा है। अतः निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि गन्डक योजना कब से आरम्भ हो।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना को पूर्ण करने में कितने रुपये का व्यय है और कितने एकड़ सिंचाई करने की व्यवस्था है ?

श्री धर्मसिंह—निश्चयपूर्वक रुपये के बारे में नहीं बताया जा सकता। लेकिन इसमें थोड़ा-सा हिस्सा नैपाल का होगा, थोड़ा-सा हिस्सा बिहार का होगा। कुछ उत्तर प्रदेश का होगा। अभी इसका सर्वे इत्यादि हो रहा है और बाद में निर्णय हो सकेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि यह सर्वेक्षण सेन्ट्रल पावर कमीशन के जरिये या यू० पी० गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है और कितने कर्मचारी इसमें लगे हैं ?

श्री धर्मसिंह—कर्मचारियों की सूची तो है नहीं, लेकिन यह सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के इरिगेशन विभाग द्वारा और उत्तर प्रदेश में हो रहा है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो व्यय होगा उसका कितना अंश केन्द्रीय सरकार का और कितना प्रान्तीय सरकार का होगा ?

श्री धर्मसिंह—जैसा कि मैंने निवेदन किया उस प्रोजेक्ट के बारे में अभी सर्वे समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए कितना भारत सरकार और कितना उत्तर प्रदेश का भाग होगा वह घट बढ़ सकता है। उसके बारे में अभी निर्णय नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस गन्डक योजना में बिहार और नैपाल का क्या हिस्सा होगा ?

श्री धर्मसिंह—मैंने यह निवेदन किया कि सर्वे हो रहा है। पूरे तरीके से उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

अंजुमन चपरासियान, पीलीभीत का पत्र

*३—**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माल विभाग, उत्तर प्रदेश के पास अंजुमन चपरासियान, पीलीभीत का कोई पत्र इस आशय का आया है कि हाई स्कूल पास चपरासियान को क्लर्क बनाया जाय ?

श्री धर्मसिंह—जी हां।

*४—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त विषय पर सरकार ने क्या फैसला किया है ?

श्री धर्मसिंह—यह पत्र दाखिल दफ्तर कर दिया गया क्योंकि नियमानुसार ऐसे प्रस्तावों पर शासन तभी विचार कर सकता है जब वे, राजस्व परिषद् द्वारा, प्रदेशीय अंजुमन चपरासियान, राजस्व विभाग से प्राप्त हों।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी इस सम्बन्ध में अपनी नीति बतायेंगे कि जो चपरासी हाई स्कूल पास कर लेते हैं उनको क्लर्क बनाया जाता है ?

श्री धर्मसिंह—नीति बिलकुल साफ है कि जो चपरासी हैं उनका कैडर बिलकुल अलग है और मिनिस्टीरियल स्टाफ का कैडर अलग है।

श्री प्रतापसिंह—क्या राजस्व मंत्री जी को ज्ञात है कि उन्हीं के विभाग का जी० ओ० है कि जो चपरासी हाई स्कूल पास कर लेता है उसको लिपिक बनाने में प्राथमिकता दी जाय, तो उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह—उसके लिये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का जी० ओ० है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि यू० पी० पे कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यह जी० ओ० भेजा गया था कि चपरासियों को भी क्लर्क बनने का मौका दिया जाय ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक पे कमीशन रिपोर्ट का सम्बन्ध है उसकी इस वक्त मुझ को कोई इत्तला नहीं है। यदि माननीय सदस्य बाद में पूछेंगे तो मैं बतला सकूंगा।

भारत इंडस्ट्रीज को सिंचाई कर्मशाला मंडल, कानपुर द्वारा भेजे गये पाइप

*५---**श्री देवनारायण भारतीय** (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)---क्या राजस्व-मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यह सही है कि सिंचाई कर्मशाला मंडल, मध्य क्षेत्र, कानपुर द्वारा मेसर्स भारत इंडस्ट्रीज को कटिंग व थ्रेडिंग के लिये भेजे गये ६ इंची पाइपों की वापसी के मूल चालान गायब हैं ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

राजस्व मंत्री (श्री चरणसिंह)---यह बात सही है कि भारत इंडस्ट्रीज के मूल चालान जिनके द्वारा ६ इंची पाइप वापस किये वह रिकर्ड में नहीं मिल रहे हैं। इसकी काफी छानबीन की गई पर यह मूल चालान नहीं मिले।

*६---**श्री देवनारायण भारतीय** (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि मेसर्स भारत इंडस्ट्रीज, कानपुर की सिंचाई कर्मशाला मन्डल, मध्य क्षेत्र, कानपुर द्वारा कटिंग व थ्रेडिंग के लिये भेजे गये ८०० लेन्थ ६ इंच पाइपों के सम्बन्ध में केवल एक ट्रक का गेट पास इशू किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा किस प्रथा के अनुसार किया गया तथा ऐसा करना उस समय नियमानुकूल था या नहीं ?

श्री चरणसिंह---गेटपास इन्डेन्ट (Indent) के हिसाब से दिया जाता था और क्योंकि ८०० फुल लेंग्थ्स (full lengths) भारत इन्डस्ट्रीज को दो इन्डेन्ट्स द्वारा दी गई इसलिए दो गेट पास बने। यह असत्य है कि ८०० फुल लेंग्थ्स भेजने के सम्बन्ध में केवल एक ट्रक का गेट पास काटा गया।

*७---**श्री देवनारायण भारतीय** (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि सन् १९५८ में श्री डी० जे० गांधी, कृषि इंजीनियर, सिंचाई कर्मशाला मंडल, मध्य क्षेत्र, कानपुर ने मेसर्स भारत इंडस्ट्रीज को कटिंग व थ्रेडिंग के लिये दिये गये ६ इंच पाइपों के संबंध में अधीक्षक अभियन्ता सिंचाई, कर्मशाला मंडल, कानपुर, अथवा चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग, लखनऊ को कोई रिपोर्ट भेजी है ? यदि हां, तो क्या उसे मंत्री सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह---श्री डी० जे० गांधी कृषि अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, कानपुर ने १९५८ में भारत इन्डस्ट्रीज को कटिंग और थ्रेडिंग के लिये दिये गये ६ इंची पाइपों के सम्बन्ध में अधीक्षक अभियन्ता, सिंचाई विभाग को रिपोर्ट नहीं भेजी।

गोला नदी से हल्द्वानी क्षेत्र को खतरा

*८---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार को ज्ञात है कि गोला नदी के तेज बहाव से हल्द्वानी शहर एवं हल्द्वानी देहात के गोरा पड़ाव---हाथीखाल हल्के को खतरा उत्पन्न हो गया है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां।

*९---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---यदि हां, तो इस खतरे के निवारण हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---इस दाहिने किनारे के कटाव को रोकने के लिये और उपरोक्त नगर व गांवों को बचाने के लिये विस्तारपूर्वक इस जगह की सर्वे की गई है और इसके रोकथाम के लिये उचित सुझाव रिसर्च इन्स्टीट्यूट रुड़की को सलाह लेने के हेतु भेजे जा रहे हैं। तदुपरान्त इसका सविस्तार एस्टीमेट बनेगा और यह जांच की जायेगी कि भविष्य में क्या कार्यवाही की जाए।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस गोला नदी के कटाव से इतना अधिक खतरा उत्पन्न हो गया है कि अगर जल्दी ही कोई कार्यवाही नहीं की गई वायर पिंचिग आदि की तो शायद आगामी बरसात में ही एस्टीमेट बनने से पहले ही वह हिस्सा कटकर बह जायगा ?

श्री धर्मसिंह---यह तो प्रश्न के उत्तर में निवेदन कर दिया गया है कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, उसको जानकारी है, उसका सर्वे इत्यादि कर रहे हैं, रुड़की वगैरह के लिए कागजात भेजने की बात है, वहां से रिपोर्ट आने के बाद निर्णय कर सकेंगे कि क्या हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि रुड़की इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आने के पहले और एस्टीमेट बनने के पहले वह अन्तरिम काल में कोई वायर प्रीचिंग की योजना बना रहे हैं ?

श्री धर्म सिंह---इस वक्त तो हमारे पास कोई योजना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि एस्टीमेट बनने में कोई दो एक साल लगेंगे, तो इस बीच वायर प्रीचिंग जो तार में पत्थर बांध कर नदी के किनारे लगाने की योजना होती है, उस पर विचार करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---जी, उसको देख लेंगे।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को सूचना मानते हुए कि पिछली बरसात में इसी नदी से आधे हल्द्वानी में पानी गया था इसको ध्यान में रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र वहां वायर प्रीचिंग स्कीम लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---इसका उत्तर तो दिया जा चुका है।

*१०---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---[११ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

डुमरियागंज तहसील में सिंचाई योजना

*११---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती की डुमरियागंज तहसील के ट्रांस राप्ती क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष (१९५९-६०) में सिंचाई की छोटी बड़ी क्या योजनायें हैं ?

श्री धर्मसिंह---डुमरियागंज तहसील के ट्रान्स-राप्ती क्षेत्र में, आगामी वित्तीय वर्ष (१९५९-६०) में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बने दो नलकूपों पर कच्ची व पक्की गूलें तथा एन० ई० एस० फन्ड द्वारा एक अन्य नलकूप का निर्माण निश्चित हुआ है।

*१२---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जलकुंडी सिंचाई योजना में जिला बस्ती में कितना धन व्यय हुआ और कितना और होने का अनुमान है ?

श्री धर्मसिंह---जलकुंडी सिंचाई योजना के सर्वेक्षण आदि पर अब तक १,६०,००० रुपया व्यय हो चुका है। उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए बस्ती जिले में कुछ भी व्यय नहीं किया गया है और न निकट भविष्य में ही कुछ होने का अनुमान है क्योंकि उपरोक्त योजना का प्रोजेक्ट अभी बनाया जा रहा है और निकट भविष्य में इस योजना के कार्यान्वित होने की आशा नहीं है क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिये कोई आयोजन नहीं है।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नलकूप बने हैं उनकी नालियां इतनी गलत बनी हुई हैं कि जब पानी किसान लेता है तो जितनी देर किसान पानी लेता है उतनी देर का उसे पैसा देना पड़ता है, लेकिन पानी उसमें से बहकर के दूसरे लोगों के खेतों में चला जाता है और बरबाद होता है, इस पर भी सरकार कुछ ध्यान देगी ?

श्री धर्मसिंह---जी, वैसे तो जहां तक नालियों या गूलों के बनन का सम्बन्ध है इस बात की कोशिश की जाती है कि वह ठीक प्रकार से बनें, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्या कह रही हैं उनको देख लेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जलकुंडी योजना में सरकार का कुछ व्यय भी हुआ है ?

श्री अध्यक्ष---सर्वेक्षण आदि के लिये १,६०,००० रुपया व्यय हो चुका है, यह मन्त्री जी ने बताया है और बाकी के लिये कुछ नहीं हुआ है, यह बताया। अब इसके बाद आप प्रश्न पूछें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के कामयाब होने के बाद कुल कितने एकड़ की सिंचाई हो सकेगी ?

श्री धर्मसिंह---इस बात का अभी कोई प्रश्न नहीं है। अभी तो योजना बनायी जा रही है। यह तो बाद में मालूम हो सकेगा।

दोहरी घाट नहर

*१३---**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दोहरीघाट नहर के निर्माण में कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री धर्मसिंह---दोहरी घाट नहर के निर्माण में नवम्बर, १९५८ के अंत तक १,०६,१९,९१९.३७ रुपया व्यय हो चुका है।

*१४---**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दोहरी घाट नहर से पानी मिलना कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

श्री धर्मसिंह---दोहरी घाट नहर से इस माह (फरवरी, १९५९) से पानी मिलना आरम्भ हो गया है।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो नहर बन कर तैयार हुई थी और जिसमें इतना रुपया खर्च हुआ था उसमें जिन किसानों की भूमि ले ली गई थी उन किसानों से लगान लिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। यह देखना पड़ेगा।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस स्थान पर नहर चालू करने की योजना बनाई गई थी और काफी धन भी व्यय हुआ था वह स्थान अब अनुपयोगी सिद्ध हो रहा है ?

श्री धर्मसिंह---इसकी कोई सूचना सरकार को नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय सिंचाई मन्त्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जो लागत बताई गई है उस लागत में खेतों का मुआविजा भी शामिल है ?

श्री धर्मसिंह---इसमें शामिल है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि इस नहर से कितने रकबे की सिंचाई होने का अनुमान है ?

श्री धर्मसिंह---इससे १,१४,२५० एकड़ भूमि की सिंचाई होने लगेगी।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---क्या कृपाकर मन्त्री जी बतलायेंगे कि उन कृषकों को मुआविजा दिया जा चुका है या अभी देना शेष है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

*१५-१७---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---[११ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

मिर्जापुर यांत्रिक विभाग के कर्मचारी

*१८---**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांध योजनाओं के अन्तर्गत मिर्जापुर में यांत्रिक विभाग में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---मिर्जापुर यांत्रिक विभाग (Mechanical Division) में ३३६ कर्मचारी काम कर रहे थे।

*१९---**श्री भीखालाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त विभाग के लगभग ४५० कर्मचारियों को ३० नवम्बर सन् १९५८ को एक माह का नोटिस दिया गया है---पहली जनवरी सन् १९५९ से उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---मिर्जापुर यांत्रिक विभाग में काम करने वाले ३३६ कर्मचारियों को १-१२-५८ को एक माह का नोटिस दिया गया है कि पहली जनवरी, १९५९ से उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि अपर खजूरी बांध योजना जिस पर यह लोग काम कर रहे थे पूर्ण हो चुकी है तथा इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सके।

*२०---**श्री भीखालाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त ४५० कर्मचारी जो लगभग सभी टेक्निकल आदमी हैं कब से इस विभाग में काम कर रहे थे ?

श्री चरणसिंह---कर्मचारियों की नियुक्ति की अवधि निम्नलिखित है :

	कर्मचारी
१ साल की नौकरी वाले	२८
१ साल से २ साल वाले	४५
२ साल से ३ साल वाले	२३
३ साल से ४ साल वाले	४०
४ साल से ५ साल वाले	४७
५ साल से ६ साल वाले	२८
६ साल से ७ साल वाले	१६
७ साल से ८ साल वाले	२३
८ साल से ९ साल वाले	३२
९ साल से १० साल वाले	५४

*२१---**श्री शिवमंगलसिंह** (जिला बलिया)---[११ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

सिंचाई विभाग के अनक्वालीफाइड कर्मचारी

*२२--श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय कितने unqualified आदमी सरकार के सिंचाई विभाग (Irrigation Department) में काम कर रहे हैं और वे कब से काम कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह--सिंचाई विभाग में इस समय ४०३ अनक्वालीफाइड (unqualified) व्यक्ति काम कर रहे हैं। इनका विवरण एवं जिन तिथियों से यह लोग विभाग में काम कर रहे हैं उसकी †सूची संलग्न है।

हरदोई जिले में अखड्डी ड्रेन योजना

*२३--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)---क्या राजस्व मंत्री परगना गुड़वां, जिला हरदोई के बरिया गांव के अखड्डी ड्रेन को शीघ्र खुदवाने और बरिया गांव को ऊंचा कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मसिंह---परगना गोडंवा, जिला हरदोई में बरिया गांव के पास अखड्डी ड्रेन का पुर्ननिर्माण तथा उसको ४ मील और विस्तार की योजना स्वीकार हो चुकी है परन्तु द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में भारी कटौती होने के कारण काम शुरू नहीं हो सका है। बरिया गांव को ऊंचा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*२४--श्री राजेन्द्रसिंह---क्या राजस्व मंत्री ने कोई ऐसा आदेश हरदोई जिले में भेजा है कि बिलवार, खेरा माइनर, टिकारी माइनर तथा रामगढ़ माइनर से सिल्ट, इस साल न निकाली जाय ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं। ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये हैं। बिलवार खेरा नाम की कोई माइनर हरदोई डिवीजन में नहीं है। इस नाम का एक गांव कोरौं कलां माइनर पर है। इस माइनर की तथा टिकारी व रामगढ़ माइनरों की सफाई वतमान रबी से पहले आवश्यकतानुसार कराई गई थी।

श्री राजेन्द्रसिंह---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह स्वीकृति कितने दिन पूर्व हो चुकी है ?

श्री धर्मसिंह---निश्चित दिन बताने के लिये तो मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्रसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विस्तार के अतिरिक्त जो प्रतिवर्ष सफाई होती है वह भी इस ड्रेन की नहीं हुई है जिससे २ हजार कृषि योग्य भूमि बेकार हो जाती है ?

श्री धर्मसिंह---ऐसी बात नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह---क्या माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न को सूचना समझकर पुनः जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---इसकी जांच करली जायगी।

श्री राजेन्द्रसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बिलवार, खेड़ा माइनर, और टिकारी तथा रामगढ़ माइनरों को साफ करने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी गई ?

श्री धर्मसिंह---वह तो जहां जहां आवश्यकता होती है किया जाता है। बरसात के बाद सर्वे इत्यादि होता है। उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद निर्णय होता है। तब यह सफाई इत्यादि होती है।

---

†सूची छापी नहीं गई।

किरोड़ा नदी का कटाव

*२५—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके पास किरोड़ा नदी से तहसील खटीमा जमीन के कटाव की रिपोर्ट पहुंची है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री प्रतापसिंह—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट उनके पास पहुंची है उसमें किन किन गांवों में कितनी जमीन कटने की रिपोर्ट मिली है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये तो जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बताया सूचना एकत्रित की जा रही है। जब तक सूचना प्राप्त न हो जाय तब तक यह बताना कठिन है जैसा कि माननीय सदस्य पूछते हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी सूचना एकत्रित करने में माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी से परामर्श लेने का कष्ट करेंगे जो पिछले साल उसी नदी में बह गये थे और हम लोगों के भाग्य से बचाये जा सकें ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, मालूम कर लूंगा।

स्त्रियों के लिये जिला शरणालय एवं प्रवेशालय

*२६—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में स्त्रियों के लिये जिला शरणालय एवं प्रवेशालय खोले गये हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—निम्नलिखित जिलों में स्त्रियों के लिये जिला शरणालय एवं प्रवेशालय खोले गये हैं—

१—अल्मोड़ा
२—बरेली
३—फैजाबाद
४—गढ़वाल (कोटद्वार)
५—गाजीपुर
६—गोरखपुर
७—कानपुर
८—नैनीताल (हल्द्वानी)
९—सीतापुर
१०—टेहरी-गढ़वाल (टेहरी)
११—वाराणसी
१२—इलाहाबाद

*२७—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—इन पर सरकार का कितना धन व्यय हुआ जब से यह खोले गये और प्रत्येक आलय में उसको चलाने के लिये कितना धन प्रतिमाह खर्च करना पड़ता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जुलाई, १९५८ तक इन शरणालयों एवं प्रवेशालयों में कुल व्यय ३४,०८७.३७ रु० हुआ। प्रत्येक आलय संचालनार्थ लगभग १,५०० रु० प्रतिमास खर्च करने का प्राविधान है, परन्तु आश्रितों की संख्या कम होने के कारण इस समय प्रत्येक आलय पर औसतन केवल ३०० से ४०० रुपये प्रति मास खर्च होता है।

रायबरेली जिले में अमीनों के मामले

*२८—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि रायबरेली के रोहिनिया आदि के गांव में किसानों पर ज्यादतियां करने के अभियोग में जो चार अमीन और एक चपरासी बरखास्त कर दिये गये थे, और इसे राजस्व मंत्री ने २३ अप्रैल सन् १९५४ को विधान सभा में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ९—१० के उत्तर में स्वीकार किया था, उन्हें पुनः नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री चरणसिंह—नौकरी से निकाले हुये चार अमीन और एक चपरासी में से २ अमीन और चपरासी बरख्वास्त किये गये थे (dismissed) और २ अमीन नौकरी से हटा दिये गये थे (removed)। हटाये हुये अमीन, प्रार्थना-पत्र देने पर दूसरे हल्के में सीजनल जगहों पर नियुक्त कर लिये गये। जो सरकारी कर्मचारी हटा दिये जाते हैं उनके दुबारा नौकर रखने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। पुनः नियुक्त हुए अमीन को उनका कार्यकाल (term) समाप्त हो जाने पर हटा दिया गया है। बरखास्त चपरासी को पुनः नियुक्त नहीं किया गया था।

*२९—**श्री गुप्तारसिंह** (अनुपस्थित)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले में कुल कितने अमीनों के विरुद्ध गबन आदि के मामलों की जांच-पड़ताल इस समय हो रही है और कितने अमीन मुअत्तल हैं ?

श्री चरणसिंह—रायबरेली जिले में ६ अमीनों के विरुद्ध गबन के मामलों की जांच-पड़ताल हो रही है। इनमें से दो मुअत्तल हैं।

बागेश्वर तहसील स्थापित करने पर विचार

*३०—**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा की प्रस्तावित नई बागेश्वर तहसील बनाने की कार्यवाही जो माल विभाग में चल रही है, उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री चरणसिंह—सरकार ने १९५३ में बागेश्वर में नई तहसील खोलने के प्रश्न पर विचार किया था किन्तु आर्थिक कठिनाइयों की वजह से उसे अस्वीकार कर दिया गया।

१९५७ में बागेश्वर की जनता ने वहां पर नई तहसील खोलने की पुनः प्रार्थना की है। सरकार उस पर विचार कर रही है और राजस्व परिषद् से परामर्श किया गया है।

*३१—**श्री भूपकिशोर** (जिला एटा), **श्री गंगाप्रसाद** (जिला एटा) तथा **श्री शोभनाथ** (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—[११ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

विधायकों की उपस्थिति में परताल

*३२—**श्री भूपकिशोर, श्री गंगाप्रसाद तथा श्री शोभनाथ** (अनुपस्थित)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष उन्होंने हर विधायक के चुनाव क्षेत्र में पांच गांवों का परताल विधायकों के नाम नामजद गांवों के करने का आदेश जारी किया था ? क्या वह इस वर्ष के लिये भी लागू होगा ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। परन्तु कोई विधायक स्वयं अधिकारियों द्वारा पड़ताल के समय उपस्थित होना चाहें तो वह ऐसा कर सकते हैं।

वसूली के नायब तहसीलदारों की पदोन्नति

*३३—**श्री गयाप्रसाद** (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ३४ तहसीलदारों व ६१ नायब तहसीलदारों की जो जगहें बढ़ाई जा रही हैं उनमें वसूली के नायब तहसीलदारों का भी पदोन्नति की जा रही है अथवा नहीं ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

कृषि भूमि पर उच्चतर सीमा निर्धारण

*३४—**श्री शिवराजसिंह यादव** (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करगी कि उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि पर उच्चतर सीमा निर्धारण के संबंध में वर्तमान कोई विधयक उपस्थित करने जा रही है ?

श्री चरणसिंह---आशा की जाती है कि वर्षाकालीन अधिवेशन में इस विषय पर विधेयक उपस्थित किया जा सकेगा।

धर्मस्व के नियमन तथा मंदिरों के प्रबंध का विधेयक

*३५---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार कृपया धर्मस्व के नियमन तथा मंदिरों के प्रबन्ध में सुधार करने के लिये कोई विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि यह विधेयक वह कब ला रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---कोशिश यही है कि बहुत जल्दी लाया जाय और जहां तक संभव होगा इसी सत्र में लाने की चेष्टा की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि यह चैरिटेबिल और रिलीजस इंडाउमेंट बिल पहले भी विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका था और जनमत के लिये भेजा गया था ? यदि हां, तो इसको फिर क्यों पुरःस्थापित किया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह सही है कि १९५५ में इस प्रकार का एक विधेयक यहां पुरःस्थापित हुआ था और उस पर जनमत संग्रह भी किया गया था जिसकी एक पुस्तिका भी सदन में बांटी गयी थी। उसी के संबंध में एक व्यापक विधेयक लाने का इरादा है जिसमें कुछ और चीजें भी शामिल की जायंगी और इसीलिये यह संभव है कि उसमें कुछ हेरफेर भी हो। इसी तरह से कुछ उसके आर्थिक पहलू भी हैं जिन पर विचार हो रहा है और लीगल रिमेम्बरेंसर भी उसके संबंध में अपनी सम्मति दे रहे हैं, उसे देख रहे हैं। तो इन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए शीघ्र ही इस सदन में एक नया विधेयक प्रस्तुत किया जायगा।

राजनीतिक पीड़ितों को नैनीताल तराई कालोनाइजेशन में कृषि करने के संबंध में राजाज्ञा

*३६---**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)---क्या यह सत्य है कि जो जी०ओ० नम्बर्स ४०८/आई०सी-१४२२ C---५६, दिनांक ७-४-५८ और ६३१ (१)/सी०ओ०एल०---आई०सी०, दिनांक ३-१०-५८ के अनुसार अब राजनैतिक पीड़ित व्यक्तियों को कृषि करने के लिये नैनीताल तराई कालोनाइजेशन (Colonization Scheme) योजना के अन्तर्गत भूमि नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त दोनों आदेशों की प्रतिलिपियां सरकार कृपया सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है।

श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या यह सही है कि इन दो शासकीय आदेशों के कारण बहुत से राजनीतिक पीड़ितों की दरख्वास्तें खारिज कर दी गयीं ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक प्रार्थना-पत्रों का संबंध है, इसे तो देखना पड़ेगा। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या माननीय मंत्री इन दोनों जी० ओज० की कापी, जिनके लिये प्रार्थना की गयी है, देने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---एक जी०ओ० नम्बर ४०८ की कापी मेरे पास है,जैसा कि उत्तर में कहा गया है। उसकी कापी भेज दूंगा, जहां तक दूसरे का संबंध है, इस प्रकार का कोई जी० ओ० नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--कालोनाइजेशन में जो जमीन दी जानी है क्या यह सही है कि उसके लिये पौने ३०० दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं और बोर्ड आफ रेवेन्यू ने कोई फैसला नहीं किया है ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

आगरा जिले में किसानों को सहायता तथा रेही भूमि को लगान मुक्त करने की प्रार्थना

*३७--**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले की हर तहसील को सन् ५८ में जून से नवम्बर तक कितनी कितनी distress, taqavi, gratuity, house subsidy तथा calamity relief दी गई है ?

श्री धर्मसिंह--अपेक्षित सूचना इस प्रकार है--

नाम तहसील			तकावी	अहेतुक सहायता (जी०आर०)	हाउस सबसिडी
			रु०	रु०	रु०
आगरा	..	..	१०,७५०	६००	२,७००
बाह	..	..	३,७५०	३५०	१,२००
फतेहाबाद	..	..	४,७५०	४००	२,२००
किरावली	..	..	७४,१००	११,०५०	२२,२००
खेरागढ़	..	..	५९,५००	९,३००	२४,७००
एतमादपुर	..	..	१०,४५०	३५०	३,०००
फिरोजाबाद	..	..	५३,४००	७,९५०	१९,०००
		योग ..	२,१६,७००	३०,०००	७५,०००

दी हुई सहायता सभी कलेमिटीज रिलीफ है।

*३८--**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**--क्या राजस्व मंत्री रेह से प्रभावित भूमि को जिस में उत्पादन या तो कतई नहीं होता और यदि होता भी है तो बहुत कम लगान से मुक्त करने की व्यवस्था के लिये विचार करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--इस मामले में आवश्यक व्यवस्था पहले से ही जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली के नियम २९२-क में है। जिस किसान का खेत रेह से प्रभावित हो जाये और उसमें उत्पादन न हो सके या बहुत कम हो जाये, वह जिलाधीश को नियम २९२-क के अन्तर्गत दरख्वास्त देकर अपने खाते की मालगुजारी कम करा सकता है, और मालगुजारी तब तक कम रहेगी जब तक रेह का प्रभाव रहेगा।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि आगरा के जिलाधीश ने इन तीनों प्रकार की सहायताओं के लिये कितने रुपये की मांग की थी ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--क्या माननीय मंत्री जी इसको नोटिस मानकर सूचना मंगाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--मंगाने का तो इसमें प्रश्न नहीं है क्योंकि उनका तो स्वयं यह काम है और वह भेजा ही करते हैं लेकिन उन्होंने कितना भेजा इसके लिये मैंने निवेदन किया कि इस समय मुझे उसकी जानकारी नहीं है और उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि किसानों को इस नियम की कोई जानकारी नहीं है इसलिये किसानों को इस स्थिति से लाभान्वित कराने के लिये सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि रेह से प्रभावित भूमि के आंकड़े इकट्ठे किये जायं और उसकी मालगुजारी को माफ किया जाय ?

श्री धर्मसिंह--जहां तक नियमों का संबंध है, अगर जानकारी नहीं है तो माननीय सदस्यों को हम बता सकते हैं और माननीय सदस्य उनको बता सकते हैं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपजाऊ जमीन में जो रेह पैदा हो गया है उसको बचाने के लिये सरकार कोई कानून बनाने जा रही है, जिससे उनका कल्याण हो सके ?

श्री चरणसिंह---जमीन को उपजाऊ बनाने के लिये कोई कानून बन सकता है, ऐसा गवर्नमेंट को इल्म नहीं है लेकिन अगर पुजारी जी कोई कानून बता दें तो सरकार उसको बना सकती है।

श्री टीकाराम पुजारी--मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि जो जमीन रेह की है उसके लिये क्या कोई उपाय किया जा रहा है जिससे उसमें अच्छे गल्ले की उपज हो ?

श्री चरणसिंह---उपाय की बात तो दूसरी है। कानून नहीं बन सकता है। कृषि विभाग के विशेषज्ञ बहुत से उपाय इस सिलसिले में जानते हैं और गवर्नमेंट कहीं कहीं इस सिलसिले में तजुर्बे भी कर रही है, रिक्लेमेशन वगैरह की स्कीम चल रही है, मुझे उनकी तफसील नहीं मालूम है। लेकिन वह काम इतना बड़ा है कि लाखों एकड़ में होने से सरकार नहीं कर सकती, किसान उसे स्वयं करें।

श्री टीकाराम पुजारी--क्या सरकार उस ऊसर और रेह की जमीन में पानी और खाद की व्यवस्था करेगी ?

श्री चरणसिंह---पानी का इन्तजाम तो सरकार सूबे भर में जहां भी सम्भव होता है करने की कोशिश करती है। खाद भी सरकार मसनूई देती है। कहां तक उसमें और मदद हो सकती है, यह कृषि विभाग बता सकता है।

गांधी जयन्ती के उपलक्ष में बंदियों की रिहाई

*३९--**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)---क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के अन्तर्गत दिनांक २-१०-५८ ई० को गांधी जयंती के अवसर पर कुल कितने कैदी और कितने हवालाती थे, उसमें कितने सत्याग्रही और अपराधशील कैदी छोड़े गये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---२ अक्टूबर, १९५८ को राज्य की जेलों में कैदियों की कुल संख्या २७,८१३ तथा हवालातियों की संख्या १६,५६७ थी। उसी दिन गांधी जयन्ती के उपलक्ष में ४,४९२ कैदी छोड़े गये जिसमें ३,३३१ अपराधशील तथा १,१६१ सत्याग्रही कैदी थे।

*४०--**श्री जंगबहादुर वर्मा**--[११ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

बदायूं कलेक्टरी के कर्मचारी

*४१--**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कलेक्टरी बदायूं में आज कितने अहलकार अहलमद, पेशकार, वासिलबाकीनवीस हैं तथा वे कितने कितने समय से वहां तैनात हैं ?

श्री धर्मसिंह---बदायूं कलेक्टरी में चौदह अहलकार अहलमद के पद पर, ग्यारह पेशकार के पद पर तथा पांच वासिलबाकी नवीस के पद पर कार्य कर रहे हैं। अहलमदों में से दो १९५५ से, चार १९५६ से, पांच १९५७ से व तीन १९५८ से अपने-अपने पदों पर हैं। पेशकारों में दो १९५४ से, दो १९५५ से, एक १९५६ से, चार १९५७ से व दो १९५८ से अपने पदों पर हैं तथा वासिलबाकी नवीसों में से एक १९५५ से व चार १९५७ से अपने-अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं।

श्री टीकाराम---सन् ५५ के पेशकारों को ३ साल से भी ज्यादा रखा जा सकता है क्या सरकार बतावेगी?

श्री धर्मसिंह---नियम के अनुसार ५ वर्ष तक रह सकते हैं।

सोनराइच, जिला गोरखपुर में नलकूप सिंचाई कर की वसूली

*४२---**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गोरखपुर के ग्राम सोनराइच डर्पन बड़ा गांव में १० सितम्बर, १९५८ को नलकूप सिंचाई शुल्क वसूली के सिलसिले में तहसीलदार सदर ने कितने किसानों के नाम वारंट कुर्की काटी?

श्री धर्मसिंह---जिला गोरखपुर के ग्राम सोनराइच उर्फ बड़ा गांव में १० सितम्बर, १९५८ को नलकूप सिंचाई शुल्क वसूली के सम्बन्ध में किसी किसान के नाम कोई वारन्ट कुर्की नहीं काटा गया।

*४३---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस कुर्की के पहले शुल्क वसूली की और भी कोई कार्यवाही की गयी थी? यदि हां, तो क्या?

श्री धर्मसिंह---कुल ५ वारन्ट गिरफ्तारी जारी हुए लेकिन बकायादारों ने वसूली का रुपया जमा कर दिया और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। वसूली नियमानुसार हुई।

कुंवर श्रीपाल सिंह---क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वसूली के सम्बन्ध में तहसीलदार साहब स्वयं उस गांव में जाकर वसूल किये थे या बाकीदारों को उन्होंने तहसील में ही बुलाकर वसूल किया था?

श्री धर्मसिंह---नोटिस की आवश्यकता है।

कुंवर श्रीपाल सिंह---क्या मंत्री जी को पता है कि तहसीलदार साहब बिना किसी सूचना के ही उस गांव में एकदम पहुंच गये और किसानों को खेतों में से बुलवाकर वहीं वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी?

श्री धर्मसिंह---कायदे में जा भी सकते हैं लेकिन सूचना देना जरूरी नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मन्त्री जी को पता है कि तहसीलदार साहब ने खेतों पर से किसानों को काम छुड़वा कर बुलवाया था और धूप में बैठा कर वसूली की गई?

श्री चरणसिंह---हमको यह नहीं मालूम है कि तहसीलदार वहां गये या नहीं। लेकिन अगर कोई राज-कर्मचारी गया और उसने किसानों को खेतों से बुलवाया तो कोई जुल्म नहीं किया। धूप में बैठाया या नहीं, इसका भी इल्म नहीं है, लेकिन अगर जाड़े के दिनों में मुझे बुलाया जाय तो मैं धूप ही में बैठना पसन्द करूंगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या इस बात की भी शिकायत सरकार को मिली है कि कलैक्शन अमीन या कुछ और कर्मचारी वारन्ट का फार्म लिये हुये जाते हैं और गिरफ्तार करके किसानों को कुछ देर रोकने के बाद जब एन्ट्री करने का समय आता है तो उस वारन्ट को फाड़ देते हैं और गिरफ्तारी नहीं दिखाई जाती है?

श्री चरणसिंह—ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है। वारन्ट गिरफ्तारी बिना तहसीलदार के दस्तखतों के जारी नहीं हो सकता है।

*४४–४५—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ४ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

सीतापुर जिले में मुहर्रम अली अभियुक्त को पुनः जेल

*४६—**डाक्टर अवधेशकुमार सिन्हा** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि १५–९–५८ को सीतापुर जिले में जुडीशियली अफसर प्रथम ने सरकार बनाम मुहर्रम अली नामक केस में जो फैसला दिया था उसके अभियुक्त पूरी सजा काट कर जल से छूटने के बाद फिर जेल में भेज दिये गये ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं। अभियुक्त पूरी सजा भुगतने से पूर्व ही गलती से छोड़ दिया गया था। बाद में जब गलती का पता चला तो उसे शेष दण्डावधि पूरी करने के लिये पुनः जेल भेज दिया गया।

*४७–४८—**डाक्टर अवधेश कुमार सिन्हा** (अनुपस्थित)—[११ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*४९–५०—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—[गृह मंत्री से सम्बन्धित बारहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६५–६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५१—**श्री भजनलाल**—[हटा दिया गया।]

*५२–५३—**श्री शिवमंगलसिंह**—[हटा दिये गये।]

महुआतर ग्रामवासियों की लगान माफी के लिये प्रार्थना

*५४—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या राजस्व मंत्री १३–१२–५८ के ग्राम महुआतर, पो० चनपुर गुलौरा, जिला बलिया के कुछ किसानों से मालगुजारी जबरदस्ती वसूल किये जाने के विषय में तारांकित प्रश्न संख्या १०२ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थियों ने किस फसली की मालगुजारी की माफी की मांग की थी ? उनके खेतों में १३६५ फसली की खरीफ और रबी में कौन-कौन जिन्स बोयी गयी थी ?

श्री धर्मसिंह—प्रार्थना-पत्र में किसानों ने १३६४ तथा १३६५ फसली के मालगुजारी के माफी के लिये प्रार्थना की थी। दोनों किसानों के खेतों में खरीफ १३६५ फसली में धान भदई बोई गई थी और रबी १३६५ फसली में दोनों किसानों के खेतों में कोई फसल नहीं बोई गई थी।

*५५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गई तथा क्या प्रार्थना-पत्र देने वालों को भी बुलाया गया था ?

श्री धर्मसिंह—प्रार्थना-पत्र की जांच कानूनगो हल्का द्वारा कराई गई थी। दोनों किसानों को जांच के समय बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १३६५ फसली में रबी में खेत परती था या मौके पर दरियाबुर्द था ?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न के उत्तर में बता दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि ये खेत दरियाबुर्द थे और खरीफ की फसल भी नहीं बोई गई थी और रबी भी नहीं बोई गई और जब हल्का कानूनगो ने जांच की तो किसी किसान को मौके पर नहीं बुलाया गया था ?

श्री चरणसिंह—यह सही है कि रबी की फसल नहीं बोई गई। बाक़ी सारी बातें ग़लत हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—१३६५ की रबी की फसल क्यों नहीं बोई गई थी ?

श्री चरणसिंह—जवाब में कहा गया है कि खरीफ में बोई गई थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार फिर से इसकी जांच करावेगी कि १३६४ में खेत दरियाबुर्द हो गये, १३६५ की खरीफ और रबी नहीं बोई गई और पटवारी के इन्दराज पर ही मालगुजारी वसूल कर ली गई ?

श्री चरणसिंह—दोबारा जांच हम करा लेंगे लेकिन जो इत्तला हमको मिली थी, जैसा कि जवाब में बतलाया गया है १३६४ फसली की खरीफ नहीं बोयी गयी, रबी नहीं बोयी गयी और ६५ का हमको इल्म नहीं है।

कौंच में बिजली लगाने की मांग

*५६—**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कौंच, जिला जालौन में बिजली लगाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौंच नगर में बिजली लगाये जाने की कोई व्यवस्था की गई थी ? यदि हां, तो वहां पर बिजली अब तक न लगने में क्या अड़चनें हैं ?

श्री धर्मसिंह—दो तीन योजनायें टाउन्स और विलेजेज में बिजली लगाये जाने के बारे में थीं। जहां तक उसका संबंध है अगर हम यहां पर बिजली लगाते तो हमें लास पड़ता तथा इसमें लाभ होने की बात न थी इसलिय जनहित में वहां पर बिजली नहीं लगायी गयी।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि वहां पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली लगाये जाने की कोई व्यवस्था थी या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—नहीं थी।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी कि जिस योजना के अन्तर्गत उरई, कालपी और जालौन में बिजली लग रही है उसी योजना के अन्तर्गत क्या सरकार कौंच में बिजली लगाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री धर्म सिंह—जी नहीं।

*५७—**श्री रणबहादुरसिंह** (जिला बस्ती)—[११ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*५८-६०—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—[११ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद जिले में बाढ़ सहायता संबंधी कार्य

*६१—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में गंगा यमुना की बाढ़ में कितने गांव सदैव बाढ़ के खतरे में आ जाते हैं और वहां के लोगों को दूसरे स्थान पर हटाया जाता है ?

श्री धर्मसिंह--इलाहाबाद जिले में गंगा, यमुना व टोंस नदियों की बाढ़ से १९ गांव सदैव बाढ़ से खतरे में आ जाते हैं। इन ग्रामों के निवासियों को आवश्यकतानुसार अन्य सुरक्षित स्थानों पर हटा दिया जाता है।

*६२--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपा कर बतावेगी कि जिन गांवों को बाढ़ से खतरा रहता है उनके बसाने के लिये सरकार ने कोई योजना बनायी है? यदि हां, तो वह कितना काम और किन-किन तहसीलों में अब तक हुआ है?

श्री धर्मसिंह--जी हां। उक्त क्षेत्रों में १५१ ग्रामों को बाढ़ से बचाने के हेतु उनके स्तर को ऊंचा करने की एक योजना बनायी गयी थी। इनमें से कुल १३२ ग्रामों का स्तर पूर्णतया ऊंचा किया जा सका है और शेष १९ ग्रामों पर कार्य धन की कमी के कारण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त एक हरिजन बस्ती को ऊंची भूमि पर बसाने के लिए जिलाधीश, इलाहाबाद भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही कर रहे हैं। ऊंचे किये गये ग्रामों की तहसीलवार सूची की एक प्रति सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८३८ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले--माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो गांव अस्थायी रूप से हटाये जाते हैं उनको स्थायी रूप से हटाये जाने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है?

श्री धर्मसिंह--जब बाढ़ आती है और जिस प्रकार से उस वक्त लोग हटाये जाते हैं, उसी के अनुसार इन गांवों की व्यवस्था भी की जाती है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो योजना बनायी गयी है उसमें कितना धन व्यय हुआ और कितने धन की और कमी की वजह से बाकी गांवों को ऊंचा करने का काम ठप हो गया।

श्री धर्मसिंह--१५१ गांवों को ऊंचा करने की योजना थी, कितना धन १३२ गांवों पर व्यय हुआ इसके आंकड़े इस वक्त मेरे पास नहीं हैं लेकिन बाकी जो गांव बचे उनमें १५ लाख २० हजार रुपया व्यय होगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी जब वे इलाहाबाद पधारे थे तो करछना तहसील का उन्होंने निरीक्षण किया था तो क्या वहां पर कई एक गांव जो कटाव के कारण बह गये हैं और बहने की आशा है, उसके लिये उन्होंने कोई प्रबन्ध किया है?

श्री चरणसिंह--३ गांव ऐसे हैं किनारे की दाहिनी तरफ जिनकी बहुत जमीन कटाव के कारण बह गई है। एक गांव की जमीन तो करीब-करीब सारी बह गयी है और दो गांवों को काफी नुक्सान पहुंचा है। तो उनको नयी जमीन तो कहीं दी नहीं जा सकती है। उनका कहना था कि हमारी जमीन जो दूसरी ओर कट कर बायीं तरफ चली गयी है और जिस पर उधर बसे हुए गांव वालों ने कब्जा कर लिया है वह उनको दिला दी जाय। इस पर मैंने उनसे कहा था कि यह कानूनी सवाल है और इस सिलसिले में हम वहां जाकर विचार करेंगे। तो यहां आकर हमने वहां के कलेक्टर को कुछ लिखा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो गांव ऊंचे किये गये हैं उनमें कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनका कुछ हिस्सा तो ऊंचा हुआ और कुछ नीचा ही पड़ा हुआ है?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं, ऐसी इत्तला नहीं है।

राज्य की जेल कैन्टीनें

*६३---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में किन जिलों में कैदियों की ओर से कोआपरेटिव स्टोर जेल में खोले गये हैं और उसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जेलों में कोआपरेटिव स्टोर नहीं बल्कि कोआपरेटिव सिद्धान्त के आधार पर बन्दियों की ओर से कैन्टीनें खोली गई हैं। यह इन जेलों में हैं :---

(१) सम्पूर्णानन्द शिविर, नानक सागर।
(२) सम्पूर्णानन्द शिविर, धुर्मा-मार्कुन्डी।
(३) आदर्श जेल, लखनऊ।
(४) केन्द्रीय कारागार, आगरा।
(५) केन्द्रीय कारागार, नैनी।
(६) केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
(७) केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
(८) किशोर सदन, बरेली।
(९) जिला जेल, वाराणसी।
(१०) जिला जेल, फैजाबाद।
(११) जिला जेल, मेरठ।

प्रगति के विषय में निवेदन है कि सन् १९५० में केवल दो जेलों में कैन्टीनें थीं अब ११ जेलों में हैं, जिससे विदित होगा कि कैन्टीनें जेलों में सफल हुईं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इन कैन्टीनों में कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस की तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है लेकिन इतना मैं समझता हूं कि शायद इसमें धन व्यय करने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां पर जो चीजें लायी जाती ह उनमें कुछ लाभ होता है तो बन्दियों के लिये ही उसका प्रयोग हो जाता है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन कोआपरेटिव स्टोर्स में कौन-कौन सी सामग्री बाहर से खरीद कर आती है और उसमें कितना पैसा अधिक लेकर कैदियों को दी जाती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सामग्री तो कई प्रकार की दी जाती है और स्टोर तथा कैन्टीन में अन्तर भी होता है। स्टोर से तो प्रायः पैक्ड चीजें दी जाती हैं लेकिन इन कैंटीनों में कुछ वहां जेल की बनी हुई चीजें भी खाने-पीने की मिलती हैं और बाकी मामूली प्रयोग की जो चीजें हैं---जैसे बीड़ी, गुड़ या और खाने-पीने की सामग्री और कुछ कपड़े भी हैं, इस प्रकार की सभी चीजें उसमें मिल जाती हैं। जहां तक मुनाफे का प्रश्न है आमतौर पर बहुत कम मुनाफा लिया जाता है। जो मुनाफा लिया जाता है वह बन्दियों के ही काम में आ जाता है जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया था।

श्री राजनारायण---क्या सरकार सारे प्रदेश में कोआपरेटिव स्टोर्स की कोई सुनिश्चित योजना बनाने का विचार कर रही है कि १ परसेंट, २ परसेंट या ३ परसेंट से अधिक मुनाफा न लिया जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यदि उनका तात्पर्य जेल विभाग से है तो उनके सुझाव को मैं ध्यान में रखूंगा। जहां तक मुनाफे का प्रश्न है, मैं पुनः यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुनाफा इस समय भी काफ़ी कम लिया जाता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस आय का लाभ किस प्रकार से वितरित होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जैसे कि खेल-कूद वगैरह की सामग्री है या और कोई सामूहिक जीवन से सम्बन्धित सामग्री है इस प्रकार की चीजों में इस को खर्च किया जाता है। कहीं पर जहां कि बन्दियों ने स्वयं अपनी आमदनी से कैन्टीनें खोली हैं या जहां पर कैन्टीन के अन्तर्गत डेरी भी खोली हैं तो वहां भी यह बात विचाराधीन है कि उसमें मुनाफा हो तो वह कैदियों में ही बांट दिया जाय।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीड़ी, गुड़ तेल तथा सुरती आदि सामग्रियों पर जेल की कोआपरेटिव्स में ५० फीसदी से भी अधिक मुनाफा लिया जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। यदि माननीय सदस्य मुझे कुछ बतलायें तो शायद कुछ जानकारी मुझे प्राप्त हो सके।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---जिस तरह से कैन्टीन खोलने में सुविधायें प्राप्त हो रही हैं तो प्रदेश की अन्य जेलों में भी सरकार कैन्टीन खोलने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, यह निरन्तर विचाराधीन है और हम लोग चाह रहे हैं कि और जेलों में भी इसी प्रकार की कैन्टीनें हम खोल सकें।

पथरीपुर, जिला शाहजहांपुर की बंजर भूमि

*६४---**श्री रूमसिंह** (जिला शाहजहांपुर)--- क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ग्राम पथरीपुर, कुबेरपुर परगना व तहसील जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर में कुल कितनी बंजर जमीन है ?

श्री धर्मसिंह---७३६·८५ एकड़।

श्री रूमसिंह---क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि उपरोक्त भूमि से वहां के प्रधान और कानूनगो मिल कर फायदा उठाते हैं ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं, इस प्रकार की कोई सूचना सरकार को नहीं है।

श्री रूमसिंह---क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि वहां के भूमिहीनों में उस भूमि को वितरित करने के लिये प्रार्थना-पत्र भी थे, लेकिन उनको वह भूमि दी नहीं गयी ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है कि उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया या नहीं।

*६५---**श्री जमुनासिंह** (जिला बदायूं)---[चौदहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

महराजगंज तहसील कार्यालय में स्थानाभाव

*६६---**श्री चन्द्रिकाप्रसाद** (जिला रायबरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील महराजगंज कार्यालय, जिला रायबरेली में स्थान की कमी के कारण वह उसके लिये अतिरिक्त स्थान बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---तहसील महराजगंज में ही नहीं बल्कि इस प्रदेश की अक्सर तहसीलों की इमारतों में जरूरत को देखते हुये स्थान की कमी हो गई है। साथ ही साथ रुपये की और इमारती सामान की कमी के कारण ज्यादा इमारतों पर काम शुरू नहीं हो सकता। अभी केवल उन इमारतों पर काम किया जाता है जो खतरनाक हो जाती हैं। महाराजगंज का नम्बर अगर हालत यही रही तो बहुत दिन बाद आयेगा।

श्री चन्द्रिकाप्रसाद---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी कर्मचारी बरामदों तथा वृक्षों के नीचे बैठ कर काम करते हैं ?

श्री चरणसिंह---महराजगंज की बाबत नहीं मालूम लेकिन जब स्थान की कमी है तो बहुत-सी जगह तहसीलों में कर्मचारियों को बरामदों में बैठ कर काम करना होता है।

*६७---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)---[हटा दिया गया।]

*६८-६९---**श्री उग्रसेन**---[११ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*७०---**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**---[११ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*७१---**डाक्टर जयगोपाल** (जिला सहारनपुर)---[११ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

सिरसी बांध, मिर्जापुर के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर के विरुद्ध लांछन

*७२---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिरसी बांध, मिर्जापुर के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय से १,६५० रुपये सहित कैश बॉक्स गायब हो जाने के संबंध में गत ८ सितम्बर, १९५८ को इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस चौधरी ने उक्त इंजीनियर के विरुद्ध जो स्ट्रिक्चर पास करते हुये अपने निर्णय में यह लिखा है कि "The Executive Engineer acting without due sense of responsibility which resulted in a loss of Government money" तथा निर्णय की प्रतिलिपि सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी है उस पर उसने उक्त इंजीनियर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह---जी हां। मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग से पूछा गया है कि उच्च-न्यायालय द्वारा पास हुये स्ट्रिक्चर को ध्यान में रखकर यह बतायें कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाये। उनकी सिफारिश प्राप्त होते ही नियमानुसार उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त निर्णय को हुए ६ महीने हो जाने के बावजूद अभी तक कार्यवाही न होने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह---इस निर्णय को हुये अभी ६ महीने नहीं हुये हैं लेकिन यह बात ठीक है कि इसमें देर हो गयी। एक तो ८ सितम्बर का फैसला है वह यहां विभाग में आया है। वह कुछ दिन के बाद आया है, लेकिन विभाग में आने के बाद भी देर हो गयी। विभाग में जो ब्रांचेज हैं उनमें जजमेंट बहुत दिनों तक पड़ा रहा। यह सवाल जब आया और सवाल के जवाब में मिसल आई तो हमने उस विभाग के कर्मचारियों से जवाब तलब किया है कि जजमेंट में क्यों देरी हुई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतलायेगी कि कितने रुपये का नुक्सान हुआ है ?

श्री धर्मसिंह---१०,००० रुपये थे ।

नारायणी नहर पर व्यय

*७३---**श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में नारायणी नहर के निर्माण के लिये कुल कितने रुपये व्यय का तखमीना स्वीकृत हुआ था, और उस नहर का मूल अंग और उसकी शाखायें कितने मील में हैं ?

नोट :---तारांकित प्रश्न ७२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री चरणसिंह---नारायणी पोखरा इर्रीगेशन स्कीम की मूल योजना का तखमीना ४९,३४,९७८ रुपये का स्वीकृत हुआ था। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत २३ मील मूल नहर तथा १५० मील शाखायें बनाने की योजना थी।

*७४---**श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त नहर की सभी शाखायें क्रियाशील हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह---उक्त नहर की ८८ १/४ मील शाखायें बन चुकी हैं और वे सब क्रियाशील हैं।

*७५---**श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त नारायणी नहर पर निर्माण के आरम्भ और अन्त तक वर्षवार कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री चरणसिंह---उक्त नारायणी नहर योजना के निर्माण में आरम्भ से अब तक वर्षवार निम्न प्रकार व्यय हुआ है :---

वर्ष			व्यय रुपया
१९५४-५५	..	..	७,१९,६७३.५५
१९५५-५६	..	..	२६,९०,७७४.२८
१९५६-५७	..	..	१९,६५,७५८.९३
१९५७-५८	..	..	१०,२९,५९२.७०
१९५८-५९ (दिसम्बर, १९५८ तक)	..	..	१०,३९,९५२.७७
		योग ..	७४,४५,७५२.२३

*७६---**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)---[११ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*७७-७८---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[१८ मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ९-१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*७९---**श्री रामस्वरूप वर्मा**---[११ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

लखनऊ जेल में बन्दी पी० के० मदन द्वारा आत्महत्या

*८०---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १२-१३ दिसम्बर, १९५८ की रात को जिला जेल लखनऊ में बी० क्लास के हवालाती किसी कैदी युवक की मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो उसकी मृत्यु का क्या कारण था, और मृतक का क्या नाम था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---१३ दिसम्बर, १९५८ को लखनऊ जिला जेल के उच्च श्रेणी के बन्दी पी० के० मदन ने शाम के छै बजे पाखाने में फांसी लगा कर आत्म-हत्या कर ली। आत्म-हत्या करने का कारण दिमागी परेशानी बताई जाती है।

*८१---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त हवालाती की मृत्यु के कारणों की जांच कर ली गई है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, जेल के अधीक्षक ने तथा सिटी मैजिस्ट्रेट, लखनऊ ने इस मामले में पृथक्-पृथक् जांच की है। एक वार्डर के खिलाफ जो उचित निगरानी न करने के लिये दोषी पाया गया है विभागीय कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त एक लोहे की छड़ जो पाखाने की छत में लगी थी और जिस में लटक कर उक्त बन्दी ने आत्म हत्या की थी, उसे हटाने का प्रश्न विचाराधीन है।

फरेंदा तहसील में गांवों को ऊंचा करना

*८२---**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में सन् १९५६-५७ के वित्तीय वर्ष में बाढ़-नियंत्रण योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों को ऊंचा किया गया ?

श्री चरणसिंह---सन् १९५६-५७ के वित्तीय वर्ष में बाढ़ नियंत्रण योजना के अन्तर्गत गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में १५१ ग्रामों को ऊंचा किया गया।

*८३---**श्री गौरीराम गुप्त**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील में बाढ़ एरिया के अन्तर्गत कितनी मील सड़कों पर जहां पानी भरा रहता था मिट्टी डलवायी गयी ?

श्री चरणसिंह---गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में बाढ़ एरिया के अन्तर्गत ८ मील ४ फर्लांग की लम्बाई में सड़कों पर जहां पानी भरा रहता था मिट्टी डलवाई गयी।

जमींदारी विनाश प्रतिकर विभाग के कर्मचारी

*८४---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि समस्त उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश प्रतिकर विभाग के अन्तर्गत इस समय कितने अस्थायी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह -१ जनवरी, १९५९ को २,५३४ अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे थे।

*८५---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त कर्मचारिगण को कोई ऐसा आदेश सरकार की ओर से दिया गया है या दिया जाने वाला है कि उपरोक्त कर्मचारियों की छटनी रिट्रेन्च किये जाने पर इनको किसी दूसरे विभाग में स्थायी तौर पर नियुक्त किया जावे ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, इन कर्मचारियों को छटनी के बाद किसी दूसरे विभाग में स्थायी तौर पर नियुक्त किये जाने के लिये कोई आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है परन्तु उनकी खपत का मामला सरकार के विचाराधीन है।

एटा तहसील कर्मचारी की घूसखोरी में मुअत्तली

*८६---**श्री गंगाप्रसाद वर्मा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ में एटा तहसील कार्यालय में कितने सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत में पकड़ा गया और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चरणसिंह---एटा तहसील कार्यालय में सन् १९५८ में एक कर्मचारी को रिश्वत में पकड़ा गया और वह तुरन्त मुअत्तल कर दिया गया। जांच के पश्चात् उसको नोटिस दिया गया है कि वह इस बात का कारण बतावे कि उसे सरकारी नौकरी से क्यों न पृथक् कर दिया जाये।

*८७-८८---**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)---[११ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

ऐडहाक ऐडवाइजरी इंजीनियरिंग बोर्ड रुड़की के अन्तर्गत स्कूल

*८९--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--विधान सभा के प्रथम सत्र १९५८ के सातवें शुक्रवार के लिये पूछे गये प्रश्न संख्या ४८ तथा ४९ के लिखित उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि "ऐडहाक ऐडवाइजरी इंजीनियरिंग बोर्ड" रुड़की के अन्तर्गत कितने स्कूल टेक्निकल शिक्षा के चलाये जा रहे हैं ?

श्री चरणसिंह--ऐडहाक बोर्ड आफ इंजीनियरिंग एजूकेशन के अन्तर्गत निम्नलिखित १८ स्कूल हैं:--

१--हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ
२--सिविल इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ
३--ओवरसियर स्कूल, नैनीताल
४--टेक्निकल इंस्टीट्यूट, हंडिया, जिला इलाहाबाद
५--सिविल इंजीनियरिंग स्कूल, चन्दौली, जिला वाराणसी
६--मुरलीधर गजानन्द टेक्निकल इंस्टीट्यूट, हाथरस
७--सिविल इंजीनियरिंग स्कूल, इलाहाबाद
८--काली प्रसाद इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद
९--महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, गोरखपुर
१०--दयानन्द बृजेन्द्र स्वरूप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, कानपुर
११--सिविल इंजीनियरिंग स्कूल, बलिया
१२--कन्हैया लाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रुड़की
१३--सिविल इंजीनियरिंग स्कूल, मेरठ
१४--देवनागरी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, मेरठ
१५--दिगम्बर जैन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, बरौत (मेरठ)
१६--गांधी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, बाघरा (मुजफ्फरनगर)
१७--इंजीनियरिंग वोकेशनल स्कूल, लखनऊ
१८--गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, नैनीताल

सफीपुर तहसील में स्थानापन्न पटवारी

*९०--**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव में कितने पटवारी, जिनकी उम्र ४५ वर्ष के अन्दर है, लेखपाल हल्कों पर दिसम्बर, १९५८ में आफिशिएट कर रहे थे ?

श्री चरणसिंह--पांच।

*९१--**श्री जगन्नाथप्रसाद**--क्या यह सत्य है कि इन पटवारियों ने सन् ५२ तथा ५३ में लैन्ड रिफार्म कमिश्नर को प्रार्थना-पत्र दिये थे कि उनको approve कर दिया जाय ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं।

*९२--**श्री जगन्नाथप्रसाद**--यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही अथवा आदेश हुआ ?

श्री चरणसिंह--प्रश्न नहीं उठता।

*९३-९४--**श्री छत्तरसिंह** (जिला बुलन्दशहर)--[११ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

सिधौली में चुर्क फैक्ट्री की सीमेंट

*९५--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--१५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६-६७ के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ४६० बोरा सीमेंट चुर्क फैक्ट्री को जो दिनांक २३ मई सन् १९५७ ई० को सिधौली (एन० ई० रेलवे) स्टेशन पर पहुंची थी उसकी परीक्षा उपभोग में लाने से पूर्व किस अधिकारी के द्वारा किस स्थान पर किस तारीख को कराई गई ?

श्री चरणसिंह--उपभोग में लाने से पूर्व सीमेंट की परीक्षा सहायक अभियंता के द्वारा ११ दिसम्बर, १९५७ को सिधौली स्टेशन पर ही करा ली गई थी और सीमेंट बिल्कुल ठीक पाया गया था।

*९६-९७--श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)--[११ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

अतर्रा नहर की शाखाओं से सिंचाई

*९८--श्री रामसनेही भारतीय (जिला बांदा)--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में बबेरू तहसील के अन्तर्गत नहर शाखा अतर्रा तथा उसके उपशाखाओं से नये माइनर निकालने तथा उन्हें आगे बढ़ाने हेतु विभाग ने सर्वे की है ? यदि हां, तो किन-किन शाखाओं से ? उनकी पृथक-पृथक लम्बाई क्या है, वह कितने धनराशि में बन सकेगी और वह किन-किन ग्रामों की सिंचाई करेगी ?

श्री चरणसिंह--जी हां। विवरण संलग्न है

(देखिये नत्थी 'ख' आर्ग पृष्ठ ८३९-८४० पर)

*९९--श्री टीकाराम--[५ मार्च, १९५९ के लिए प्रश्न संख्या ८९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गाजीपुर जिला जेल का पुस्तकालय

*१००--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिला जेल के पुस्तकालय में इस समय कुल कितनी पुस्तकें हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--५८५।

*१०१--श्री यमुनासिंह--क्या सरकार उक्त वाचनालय में राजनीतिक, सामाजिक एवं दार्शनिक पुस्तकों के बढ़ाने के प्रश्न पर शीघ्र विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी नहीं।

सफीपुर तहसील के मुंडा व देवगांव में जमीन के पट्टे

*१०२--श्री मुल्लाप्रसाद हंस (जिला उन्नाव)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव, तहसील सफीपुर, ग्राम मुन्डा व देवगांव ग्राम पंचायत की भूमिहीनों और गरीब किसानों को पट्टा न लिखकर ऐसे लोगों को पट्टा लिख दिया गया है जिनके पास पहले ही से अधिक भूमि थी ? और इस संबंध में गांव वालों की ओर से जिलाधीश, उन्नाव एवं संबंधित माल अधिकारियों के पास प्रार्थना-पत्र दिये गये ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह--जिला उन्नाव की तहसील सफीपुर ग्राम मुन्डा व देवगांव में जमीन के पट्टे ऐसे लोगों को नहीं दिये गये जिनके पास पहले ही से अधिक भूमि थी इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, उन्नाव एवं संबंधित माल अधिकारियों के पास नहीं दिये गये।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

काशीपुर तहसील में लगान में छूट

*१०३--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १३६१ फसल रबी पर ओला वृष्टि आदि आपदाओं के कारण जिला नैनीताल की काशीपुर तहसील में किन-किन गांवों में किसानों को कितनी-कितनी छूट दी गई ?

श्री चरणसिंह--रबी १३६१ फसली में ओला आदि आपदाओं के कारण जिला नैनीताल की काशीपुर तहसील में जिन ग्रामों के किसानों को मालगुजारी में जो छूट दी गई है वह संलग्न सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८४१--८४२ पर)

*१०४--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम हरियावाला, कुदय्यावाला, शाहगंज, गंगापुर, रकबा रुखरखेड़ा आदि काशीपुर तहसील, जिला नैनीताल के अनेक गांवों के किसानों के नाम कैलेमिटीज के कारण १३६१ फसली रबी के हेतु पर्ची छूट लगान जारी हो जाने के बाद भी उक्त छूट नहीं दी गई और लगान वसूली कर ली गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--संलग्न सूची से यह विदित होगा कि ग्राम हरियावाला, कुदय्यावाला, शाहगंज, गंगापुर रकबा और रूखरखेड़ा के कृषकों को भी, जिनको छूट के पर्चे जारी किये गये थे, मालगुजारी में छूट दे दी गई है।

नानकसागर तथा शारदासागर योजनाओं के अन्तर्गत विस्थापित किसानों को भूमि वितरण

*१०५--**श्री प्रतापसिंह**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नानकसागर योजना के अन्तर्गत भड़ाभुड़िया के जिन थारू काश्तकारों को जोगीठेर ब्लाक में जो जमीन दी गई है वह जोती जा चुकी है या नहीं ?

श्री चरणसिंह--जी हां।

*१०६--**श्री प्रतापसिंह**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शारदासागर योजना के अन्तर्गत कितने ऐसे किसान हैं जिनको ५ एकड़ से कम भूमि दी गई है ?

श्री चरणसिंह--शारदासागर योजना के अन्तर्गत कोई ऐसा किसान नहीं है जिसे ५ एकड़ से कम भूमि दी गई हो।

*१०७--**श्री प्रतापसिंह**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पाकिस्तान कश्मीर से आये हुये कितने शरणार्थी किसान नानकसागर योजना के अन्तर्गत उठाये जा रहे हैं और क्या उनको अन्यत्र जमीन दी जा रही है ?

श्री चरणसिंह--नानकसागर योजना के अन्तर्गत पाकिस्तान से आये हुए १७२ शरणार्थी किसान उठाये जा रहे हैं, जिनमें से १८ परिवार उठाये जा चुके हैं और उन्हें जोगीठेर ब्लाक में बसा दिया गया है। शेष शरणार्थी किसानों को बसाने की व्यवस्था की जा रही है।

इस योजना के अन्तर्गत काश्मीर से आये हुये कोई शरणार्थी किसान नहीं उठाये जा रहे हैं ?

मेरठ डिवीजन में नलकूप से सिंचाई के लिये अनुदान

*१०८—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष (१९५८-५९) में ट्यूबवेल्स की नालियों को बढ़ाने के लिये कितना धन केंद्रीय सरकार से प्रदेशीय सरकार को मिला, उसमें से कितना धन मेरठ डिवीजन में खर्च होने की योजना बनाई गई है ?

श्री चरणसिंह—इस वर्ष १९५८-५९ में ट्यूबवेल्स की नालियों को बढ़ाने के लिये केंद्रीय सरकार से प्रदेशीय सरकार को ५ लाख रुपया मिला है। उनमें से ९६,००० रुपया मेरठ डिवीजन (सिविल) में खर्च किया जावेगा।

*१०९—श्री तेजासिंह—क्या यह सच है कि मेरठ डिवीजन का ४,००,००० रुपया सन् १९५७-५८ में लैप्स हो गया क्योंकि ट्यूबवेल्स की नालियां बनाने के लिये समय पर भूमि एक्वायर नहीं हो सकी ? क्या इस काम को भविष्य में शीघ्र कराने के लिये सरकार कोई विशेष योजना बनाने का विचार रखती है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। सन् १९५७-५८ में मेरठ डिवीजन में केवल ७,१२९ रुपया ही लैप्स हुआ था। इस वर्ष सरकार ने एक स्पेशल लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर, सिंचाई विभाग के लिये भूमि प्राप्त करने के उद्देश्य से मुजफ्फरनगर में नियुक्त कर दिया है। आशा है इससे भविष्य में भूमि शीघ्रता से मिल सकेगी और गूल बनाने का शेष काम १९५९ में सुचारु रूप से पूर्ण हो सकेगा।

टांडा तथा दोहरीघाट पंप कैनाल की जमीन का मुआवजा

*११०—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टांडा पंप कैनाल और दोहरीघाट पंप कैनाल के लिये कितनी जमीन किसानों से ली गई और उसका कितना मुआवजा अब तक किसानों को दिया जा चुका है ?

श्री चरणसिंह—टांडा पंप कैनाल के लिये १,५२,६९५ एकड़ और दोहरीघाट पंप कैनाल के लिये २,२८६ एकड़ जमीन किसानों से ली गयी है। टांडा पंप कैनाल की ४२८.४१२ एकड़ जमीन का मुआवजा ७७,२८३.०९ रुपये दिया जा चुका है और दोहरीघाट पंप कैनाल की ७६२ एकड़ जमीन का मुआवजा ३,२१,३५३ रुपये दिया जा चुका है।

*१११—श्री विश्रामराय—क्या सरकार को ज्ञात है कि टांडा और दोहरीघाट पंप कैनाल के लिये ली गई जमीन का लगान अब तक किसानों द्वारा वसूल हो रहा है ?

श्री चरणसिंह—टांडा पंप कैनाल के लिये ली गयी जमीन का लगान फैजाबाद जिले में १३६६ फसली से और आजमगढ़ जिले में १३६२ फसली से रोक दिया गया है। दोहरीघाट पंप कैनाल के लिये ली गई जमीन का लगान जिला आजमगढ़ में १३६६ फसली से जिला बलिया की रसड़ा तहसील में १३६५ फसली से तथा जिला बलिया की तहसील बांसडीह और बलिया में १३६६ फसली से लगान किसानों द्वारा वसूल नहीं किया जा रहा है।

ताल सलोना पंप कैनाल

*११२—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ताल सलोना पम्प कैनाल, जिला आजमगढ़ से सिंचाई का काम न लेने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? और, क्या सरकार ने आजमगढ़ जिले में ऐसी कुछ योजनाओं को सिंचाई कार्य के लिये अनुपयुक्त समझकर बन्द करने का निश्चय किया है ?

श्री चरणसिंह---सलोना ताल पम्प कैनाल को बन्द करने या सिंचाई कार्य न लिये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । इस समय अन्य पम्प कैनाल योजनाएं जो आजमगढ़ जिले में कार्य कर रही हैं उनमें से किसी को भी बन्द किये जाने का प्रस्ताव सरकार के द्वारा विचाराधीन नहीं है ।

फरेंदा तहसील के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में सहायता के लिये प्रार्थना

*११३---**श्री गौरीराम गुप्त**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में फरेंदा तहसील के ग्राम कोइलाडांड, बेलसड़, धर्मदासपुर, झांगपार महादेवा, रतनापार, बरजी, लुगाईपुर, धानी, पटिवारे आदि ग्रामों की कई हजार एकड़ जमीन में पानी न निकालने से रबी की फसल कई साल से नहीं बोई गई और किसानों के खेत की जो जमीन पानी में डूबी रहती है उसका लगान भी उन्हें देना पड़ता है ?

श्री चरणसिंह---गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील के ग्राम कोइलाडांड, बेलसड़, धर्मदासपुर, झांगपार महादेवा, रतनापार बरजी, लुगाईपुर, धानी, पटिवारे आदि ग्रामों में बाढ़ का पानी नहीं रुकता । इन ग्रामों का पानी कोइलाडांड नाला द्वारा निकल जाता है ।

राप्ती नदी में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के पानी से उपरोक्त ग्रामों की निचली भूमि पर प्रभाव अवश्य पड़ता है किन्तु रबी की बुवाई के लिए खेत पानी से खाली हो जाते हैं और उनमें हर साल रबी की काश्त की जाती है । इस कारण नियमानुकूल इस क्षेत्र में रबी की मालगुजारी की वसूली हर साल की जाती है । नमी के कारण अधिक निचली भूमि में रबी की बुवाई कुछ देर से होती है । जिसका पैदावार पर कुछ प्रभाव पड़ता है, किन्तु हानि साधारणतया बहुत कम होती है । इसलिए रबी की मालगुजारी में छूट का प्रश्न नहीं उठता है ।

*११४---**श्री गौरीराम गुप्त**---क्या सरकार कृपया इन जगहों के खेतों के पानी को निकालने की जो नाली पट गई है उसे तत्काल ठीक कराने की व्यवस्था करने के लिये विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह---इस क्षेत्र का पानी कोइलाडांड नाला द्वारा बाहर निकल जाता है यह नाला बिल्कुल साफ है और उक्त क्षेत्र की ओर कोई नाली नहीं पटी है ।

*११५---**श्री गौरीराम गुप्त**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह बाढ़ एरिया के स्कूलों में लड़कों की फीस जुलाई सन् १९५८ से मार्च, १९५९ तक माफ करने का विचार कर रही है ? अगर हां, तो इसके आदेश कब से जारी होंगे ?

श्री चरणसिंह---ऐसा कोई प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है । प्रश्न का अगला भाग उठता ही नहीं है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---मेरे पास नियम ५२ के अनुसार ४ सूचनायें आयी हैं उनमें से श्री गेंदा सिंह जी की मैं महत्वपूर्ण समझता हूं इसलिये मैं उसी को लिये लेता हूं । और श्री मोतीलाल अवस्थी, श्री ब्रजनारायण तिवारी और श्री बंशीधर शुक्ल के विषय इतने महत्व-पूर्ण नहीं हैं । नियम के अनुसार भी एक रोज एक ही प्रस्ताव लिया जा सकता है । श्री गेंदासिंह जी का विषय इस प्रकार है :---

"राज्य सरकार ने अभी एक आदेश निकाल कर सारे प्रदेश में छोटे पैमाने पर गन्ना पेरने वाले क्रशर्स के ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया है । आदेश में ऐसे क्रशर्स को ३०० रुपये से ६०० रुपये लाइसेंस फीस जमा करके स्वीकृति लेने की व्यवस्था शुगर कमिश्नर, उत्तर देश से की गई है । नये क्रशर्स के लिये तो एक प्रकार से बिल्कुल मनाही कर दी गई है ।

राज्य सरकार का यह कार्य प्रत्यक्ष रूप से बड़े मिल मालिकों के हित में और गन्ना उत्पादकों को भारी क्षति पहुंचाने वाला है । इस समय ऐसे 'क्रशर्स' के मालिक गन्ना का दाम दो रुपया प्रति मन तक दे रहे हैं । इस प्रकार राज्य सरकार न केवल खरीद-बिक्री में प्रतियोगिता का लाभ उठाने देने से लाखों किसानों को रोक रही है बल्कि गृह-उद्योग में लगे हजारों व्यक्तियों को रोजी से भी विहीन कर रही है ।

अतः इस अविलम्बनीय तथा महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान दिलाने के लिये इन तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं । आशा है सरकार इसे स्पष्ट करेगी ।"

माननीय मुख्य मंत्री जी इस विषय में कोई वक्तव्य अब देना चाहें तो अभी दे दें नहीं तो फिर किसी दिन दे दें ।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---इस सम्बन्ध में मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा कि दो रोज बाद वक्तव्य के लिये आप कोई तिथि निश्चित कर दें ।

श्री अध्यक्ष---इसके सम्बन्ध में जानकारी हासिल करनी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां ।

श्री अध्यक्ष---तो परसों सवेरे आप वक्तव्य देंगे ।

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा परामर्शदात्री स्थायी समितियों के निर्वाचन संबंधी सूचना

श्री अध्यक्ष---अब एक सूचना मैं सदन को दे देना चाहता हूं ।

"वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये मंत्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों में प्रत्येक समिति में १६-१६ सदस्यों, प्राक्कलन समिति के २५ सदस्यों तथा लोक लेखा समिति के २१ सदस्यों के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित प्रोग्राम स्वीकार किया गया है, वह इस प्रकार है :

नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय १० मार्च, १९५९ को सायंकाल ५ बजे तक ।

नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय १२ मार्च, १९५९ के दिन के २ बजे तक सचिव के कमरे में ।

नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय १८ मार्च, १९५९ के सायं काल ५ बजे तक ।

निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो विधान वाचनालय में दिनांक २३ मार्च, १९५९ को १२ बजे से ५ बजे तक होगा ।

यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा होगा और इन निर्वाचनों से सम्बन्धित नाम निर्देशन पत्र नोटिस आफिस से प्राप्त हो सकेंगे ।"

वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचनायें

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, एक नोटिस देना था मुझे । कल बीच आफ़ प्रिविलेज का कुछ क्वेश्चन उठाया गया···

श्री अध्यक्ष---सवाल तो यह है कि कल नोटिस आपने दिया था ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, कल तो मेरे पास वरबेटिम रिपोर्ट थी नहीं । आज मैंने मुआयना किया...

श्री अध्यक्ष---आपने सदन में उसी वक्त नोटिस दे दिया था ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--श्रीमन्, मैं जब तक इसे एक्चुअली नहीं देख लेता कैसे देता। आज ही अर्लीएस्ट अपारट्यूनिटी है।

श्री अध्यक्ष--आज आपको लिखित भेजना चाहिए था।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--श्रीमन्, रूल्स हैं जिनमें आप इजाजत दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--आपने लिखित भेजा नहीं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--मैं सिर्फ नोटिस दे दूं माननीय वित्त मंत्री जी के खिलाफ। उन्होंने इसमें यह कहा था....

श्री अध्यक्ष--कृपया अब आप लिखित भेजें।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी के खिलाफ, जिसको लिखित आपके पास भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष--आप जब मेरे पास भेजेंगे तब देखूंगा।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४६--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण, अनुदान संख्या १०--लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य तथा अनुदान संख्या ११--लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८--सिंचाई स्थापना पर व्यय

राजस्व मंत्री (श्री चरणसिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६--राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्य का सम्पादन--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौ-चालन (navigation), बांध (embankments), और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों (drainage works) का निर्माण के अन्तर्गत ७,५२,५९,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)--लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख के अन्तर्गत ४,२६,०७,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११--सिंचाई स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८ के अन्तर्गत ४,०९,५३,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से सदन से माफी चाहता हूं कि जिस प्रकार की मुझे तैयारी करनी चाहिए थी और जो सूचना मुझको सदन को देनी चाहिए थी वह मैं किन्हीं कारणों से वैसी तैयारी नहीं कर पाया और स्वयं मुझको इस पर बहुत अफसोस है और मुझको इस पर तसल्ली नहीं है। एक प्रकार से मैं अपने कार्य का पालन जैसा मुझे करना चाहिए था कर नहीं पा रहा हूं लेकिन उसके लिये कुछ मेरी निजी मजबूरियां जिम्मेदार हैं। वैसे कोई बहुत नई बात कहने की थी भी नहीं। लेकिन जो भी कहने की थी वह मैं इस वक्त नहीं कह पाऊंगा बल्कि जवाब में मेरा इरादा है कि मैं शायद ज्यादा सूचना दे सकूंगा और तसल्लीबख्श बात कह सकूं। इस

वक्त तो मैं मोटी सी बात इतनी कहूंगा, जैसा कि मैंने कल अर्ज किया था, कि हमारे देश की प्रति एकड़ पैदावार जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हमारी गरीबी का कोई समाधान नहीं है। न कोई कानून, न कोई और नई योजना और न कोई प्रस्ताव और न किसी प्रकार की कोई आलोचना तो खेत की पैदावार बढ़ाना जरूरी है और खेत की पैदावार बढ़ाने के लिये दो चीजें सब से अधिक आवश्यक हैं। वह हैं पानी और खाद। तो सिंचाई का प्रबन्ध हमारे देश के लिये एक तरह से जीवन और मरण का प्रश्न है।

अब सिंचाई के दो साधन हो सकते हैं। एक तो जिनको प्राइवेट सोर्सेज कहते हैं कि किसान अपना इन्तजाम करे। दूसरे यह कि गवर्नमेंट उन साधनों को उपलब्ध करावे। जहां तक गवर्नमेंट का सम्बन्ध है वह इन्तजाम कर रही है। नहरें अधिकतर पश्चिमी और बीच के जो हमारे जिले हैं उनमें बनी हैं। और इन जिलों में नहरों का बनाना आसान काम नहीं है, वह अभी बन भी नहीं सकेंगी जब तक कि रामगंगा प्रोजेक्ट, जिस पर कि कुछ काम हुआ भी है वह तैयार न हो जाय। उसके स्वीकार किये जाने की सम्भावना अगली प्लान में हो सकती है, लेकिन इस प्लान में उसकी मंजूरी नहीं हुई। जब वह प्रोजेक्ट बन जायगा तो फर्रुखाबाद और मैनपुरी में पानी पहुंचाया जा सकेगा और फतेहपुर और इलाहाबाद जहां भी पानी की कमी है उन जिलों को भी पानी दिया जा सकेगा, इसके अलावा मेरा खयाल है कि अगर मुमकिन हुआ तो उसका कुछ लाभ मुरादाबाद और बिजनौर को भी मिल सके। तो जहां तक इन नहरों की बात है यह बहुत कुछ रामगंगा प्रोजेक्ट पर ही निर्भर है कि उसके पानी के लिए रिजर्वायर बनाया जाय और रामगंगा के पानी को गंगा में ले जाकर उससे नहर बना कर इन अजला तक पानी पहुंचाया जा सके।

जहां तक पूर्वी जिलों की बात है वहां पर भी नहर बनाना आसान नहीं है। उसके बहुत से कारण हैं उनमें से सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां पानी का जो बहाव है वह बहुत धीमा है और इसी वजह से वहां बाढ़ें भी आती हैं क्योंकि बहाव धीमा होने के कारण पानी रुक-रुक कर बहता है और तेजी से पानी का निकास नहीं हो पाता। जिस कारण से वहां बाढ़ें अधिक आती हैं वही कारण नहर बनाने के लिये वहां बाधक भी है। दूसरे जब वहां ज्यादा वर्षा होती है तो पानी की नीचे की सतह काफी ऊंची है और विशेषज्ञों का कहना है कि नहरों के बनने से नीचे वाले पानी की सतह ऊंची हो जाती है और जमीन खराब हो जाती है।

तीसरे जब नार्मल बारिश होती रहती है तो किसान पानी कम लेता है, बाढ़ आती है तो बिल्कुल ही नहीं लेता या पानी की कमी के जमाने में ज्यादा लेता है। हमें इंजीनियर्स ने बताया है कि दस साल के पीरियड में दो-तीन साल कम बारिश के, तीन-चार साल नार्मल बारिश के और तीन-चार साल बाढ़ के होते हैं। नहर का बनाना और सिंचाई के साधनों के मुकाबले में सस्ता पड़ता है। तो पानी के कम बहाव के कारण और नीचे के पानी के ऊंचे लेबिल के कारण अब तक पूर्वी जिलों में नहरें नहीं बन सकीं। लेकिन अब एक छोटी-मोटी नहर बस्ती जिले में बनी है और इसके अलावा गवर्नमेंट कोई और विशेष काम नहीं कर पायी है। अभी गंडक की नहर बनने की बातचीत केन्द्रीय सरकार और बिहार सरकार से चल रही है। उसमें एक जगह बांध बनाया जायगा और २ ब्रांच गंडक से निकाली जायंगी। एक पश्चिमी भाग उसका है जो गोरखपुर से देवरिया होता हुआ बिहार में जायगा और उसकी पूर्वी शाखा खालिस बिहार में जायगी। इस सम्बन्ध में नैपाल सरकार से भी बात करने की जरूरत है और केन्द्रीय सरकार से भी अभी बात करना है और सेन्ट्रल वाटर एन्ड पावर कमीशन से भी कई साल से बातचीत चल रही है। इसके लिये पैसा भी नहीं है वह भी गवर्नमेंट आफ इंडिया से लेना है। अब बातचीत करीब-करीब फाइनल हो गई है और ९९ प्रतिशत बात तय हो चुकी है।

[श्री चरणसिंह]

मैं एक फीसदी की गुंजायश यों रख रहा हूं कि हमारे यहां से प्रोजेक्ट अभी जाना है सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन के पास, इनकी टेक्निकल डिटेल्स की सैंक्शन बाकी है। गवर्नमेंट आफ इंडिया तो ज्यादा आती नहीं, सिवाय रुपया देने के, लेकिन बिहार गवर्नमेंट से तमाम बातें तय हो चुकी हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, आवाज कम आ रही है।

श्री चरणसिंह---अभी यहां माननीय दीपनारायण जी जो सिंचाई मंत्री हैं बिहार के और उनके दो उच्च राज्य कर्मचारी यहां तशरीफ लाये थे और मुख्य मंत्री जी, मैं और हमारे सिंचाई सचिव और मुख्य अभियन्ता वगैरह अफसरान भी मौजूद थे और हमारा उनका तय हो चुका कि यह नहर हमको बनानी है। उससे साढ़े सात लाख एकड़ के करीब जमीन देवरिया और गोरखपुर की सिंचित हो सकेगी। काफी खर्चा उसमें बैठेगा। क्योंकि हम उसकी सीमेंट लाइनिंग करना चाहते हैं ताकि पानी की जज्ब होने की मिकदार का जो परसेंटेज है वह कम हो जाय और जमीन को कम नुकसान पहुंचे।

मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता, १० करोड़ के करीब इसमें हमारा खर्चा आयेगा, कर्जा गवर्नमेंट आफ इंडिया देगी। शायद कुल स्कीम ४७ करोड़ रुपये की है और जितनी नहर हमारे प्रदेश के अन्दर जायगी उसका खर्चा हमारे जिम्मे होगा। गवर्नमेंट आफ इंडिया इस बात पर बजिद है, आग्रह कर रही है कि आप बेटरमेंट लेवी लगायें अलावा इरिगेशन चार्जेज के। हमारे सूबे के किसानों की हालत ऐसी हो गयी है कि उनसे ज्यादा पैसा वसूल करना आसान काम नहीं है और इरिगेशन चार्जेज तो वह देंगे ही, और भी हमारी दलील थी, लेकिन उधर गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो नुक्तेनजर है वह भी अपनी जगह पर सही है। उनका कहना है कि उससे जमीन की कीमत बढ़ जाती है, पैदावार भी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए जहां कहीं भी नये इरिगेशन वर्क्स हो रहे हैं वहां बेटरमेंट लेवी वसूल की जाय। अध्यक्ष महोदय, जैसा इस माननीय सदन के सदस्यों को मालूम होगा भाखरा नांगल जो पंजाब में बनी है, वहां बेटरमेंट लेवी लगायी गयी है और कुछ राजनीतिक दल खुले आम उसका विरोध भी कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे यहां शायद सद्बुद्धि से काम लिया जायगा जब हम अपने यहां बेटरमेंट लेवी लगाने का कदम उठायेंगे और उससे राजनीतिक पेचीदगियां नहीं आयेंगी, क्योंकि हमने उनसे बातचीत कर ली है कि हम दो-चार दिन में बेटरमेंट लेवी लगायेंगे। तो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए यह एक शुभ समाचार, एक खुशखबरी समझ ली है, और उस इलाके के नुमाइंदे बहुत दिनों से इन्तजारी में थे कि जल्दी से वह प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो। वह फाइनलाइज हो चुका। नहर की बात तो यह है।

अब ट्यूबवेल्स हमारे यहां सन् १९४६ में गालिबन १,८०० या २,३०० थे---शायद १,८०० थे। अब उनकी तादाद ५,९०० के करीब पहुंच गयी है। इनमें से १२९, अब से दो दिन पहले मैंने मालूम किया था, वह बने हुए तो जरूर थे, लेकिन अभी अनएनर्जाइज थे। तो उसके लिये मैंने अपने अफसरों से यह कहा है कि इसकी बहुत जल्दी कोशिश करो और जो कठिनाई हो उसको हल करो और जो ऐसी कठिनाई हो जिसे अपने विलेल पर वे हल न कर सकते हों उसे मुझे बतलायें। तो उसकी कोशिश हो रही है और मैं समझता हूं कि इन दो महीनों के बीच में शायद कुछ ट्यूबवेल्स अब एनरजाइज हो चुके होंगे।

आगे ट्यूबवेल बनाने की जहां तक बात है, वह सम्भव नहीं होगा क्योंकि १,५०० ट्यूबवेल हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखे थे, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उसके लिये रुपया कम कर दिया और ६६० ट्यूबवेल ही अब हम बना रहे हैं और बाकी ट्यूबवेल्स के लिये रुपया हमारे पास नहीं है बावजूद इच्छा के, बावजूद इस बात के कि बहुत जगह से तकाजा है कि ट्यूबवेल बनायें, लेकिन हम मजबूर हैं।

नहरों और ट्यूबवेल के अलावा जो तीसरा साधन सिंचाई का है वह यह है कि रिज़र्वायर बनाये जायं। तो रिज़र्वायर सब जगह बन नहीं सकते। वे मैदान में नहीं बन सकते। उनके लिये जरा ऊंची नीची जमीन, पहाड़ी इलाका होना चाहिये। उसके लिये हमारे दक्षिणी जिले, मिर्जापुर से लेकर झांसी तक उपयुक्त हैं। जैसा माननीय मित्रों ने इसमें देखा होगा और पहले से भी मालूम होगा कि जितना मुमकिन था हम बना रहे हैं। जो हमारा पाठा का इलाका है जहां सिंचाई के ही पानी की नहीं बल्कि पीने के पानी की भी कमी थी वहां पर ओहन बांध बनाया जा रहा है और उस पर काम चल रहा है। उसका ओरिजिनल एस्टीमेट ५७ लाख रुपये का था जो अब शायद ८३ या ८५ लाख रुपये का होने जा रहा है। अब वह करीब-करीब तैयार होने को है और उससे जल्द पाठा एरिया में सिंचाई होने लगेगी। पाठा एरिया में कुल १०७ गांव हैं जिनमें पीने के पानी की भी कमी है। मैं यह नहीं कह सकता कि यह बांध केवल पाठा एरिया को ही पानी पहुंचायेगा या गैर पाठा एरिया को भी जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है?

पीने के पानी की एक योजना गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुई है। उसका उद्घाटन करने के लिये मैं ६ फरवरी को मानिकपुर गया था। तो कुछ कुयें गहरे किये जा रहे हैं और कुछ नये बनाये जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ तालाबों के सिलसिले में है। वहां मुझे यह मालूम हुआ कि कोई शायद पैसुनी नदी है जिस पर कोई योजना हमारे यहां डिपार्टमेंट में जेरेगौर है और वहां के जो जन-प्रतिनिधि हैं उनका भी इसरार था कि वह योजना बनायी जाय। मुझको मालूम हुआ जो इंजीनियर मेरे साथ थे—चीफ इंजीनियर से तो मैंने बात की नहीं थी— कि १ करोड़ ८० लाख रुपये की वह योजना है। लेकिन वह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं है, उसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करेंगे तब बुन्देलखंड या बांदा जिले के इस इलाके को पानी पहुंचेगा। यह बांध, जैसा मैंने कहा, दक्षिण के इलाके में बन रहा है, मैदान में नहीं बन सकता।

चौथा जरिया पानी पहुंचाने का कुआं है। गवर्नमेंट भी कुयें बना सकती है और किसान भी अपने निजी कुयें बना सकते हैं। गवर्नमेंट अगर कुयें बनाये तो वह बहुत मुश्किल में फंस जायगी, क्योंकि उसके लिये बड़ा भारी स्टाक रखना पड़ेगा, बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट का इन्तजाम करना पड़ेगा, मैटीरियल का बड़ा भारी इन्तजाम करना पड़ेगा और जब गवर्नमेंट के कुयें बनेंगे तो उनको मेन्टीनेन्स, उनके इर्रीगेशन चार्जेज के रियलाइजेशन वगैरह का भी इन्तजाम करना पड़ेगा। तो फिर वह किसान के लिये मुफीद स्कीम नहीं रह जायगी। इसलिये किसान को ही कुयें बनाने चाहिये।

पिछले वर्ष जैसा कि माननीय दोस्तों को मालूम होगा काफी रकम गवर्नमेंट ने कुये बनाने के लिये दी थी। कुछ फैसले में देरी हुई इसलिये ज्यादा फायदा किसान नहीं उठा पाया और रुपया लैप्स हुआ। वह योजना यह है, इसे योजना कहना कुछ ठीक नहीं होगा, हमने नियमों में तब्दीली की है जो इस प्रकार है कि साढ़े पांच प्रतिशत सूद सालाना हर तकावी पर लेते हैं, क्योंकि सवा चार प्रतिशत पर गवर्नमेंट स्वयं कर्ज लेती है। रुपया, सवा रुपया तकावी देने और लेने में खर्च हो जाता है और कुछ डेड तकावी भी हो सकती है तो यह मुनाफे की दृष्टि से नहीं बल्कि नो प्राफिट नो लास के सिद्धान्त पर गवर्नमेंट तकावी देती है। हमारे सितम्बर में यह आर्डर्स चले गये थे कि कुयें के लिये जो तकावी लेगा उससे ४ प्रतिशत का सूद लिया जायगा और गवर्नमेंट को जो नुक्सान होगा उसकी पूर्ति इस तरह से करने की सोची है कि और तकावियों पर साढ़े पांच प्रतिशत के बजाय ६ प्रतिशत सूद लिया जायगा ताकि किसान को इंसेटिव हो और वह कुयें बनाये और एक हजार रुपये तक रकम दी जा सकती है, बोरिंग के लिये ४०० रुपये और रेहट के लिये भी ४०० रुपये दिये जा सकते

[श्री चरणसिंह]

हैं। कोई किसान बोरिंग बनाये या नल गलाये तो उसको ४०० रुपये तक दिये जा सकते हैं और नये कुयें में अगर बोरिंग करायें और नल लगायें तो उसको १,८०० रुपये तक दिये जा सकते हैं।

तीसरी सहूलियत यह की गई कि ५० रुपये से ज्यादा छमाही वसूल नहीं किये जायेंगे...

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--अगर कोई ट्यूबवेल प्राइवेटली बनाना चाहे तो उसको भी तकावी मिल सकती है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, ट्यूबवेल की बात नहीं, मैं तो मैसोनरी वेल्स की बात कह रहा हूं। ईजी टर्म्स में यह वसूलयाबी की जायगी।

अध्यक्ष महोदय, चौथी सहूलियत यह की गई है कि सीरदार को भी अब लगान के दसगुने तक तकावी मिल सकती है। हमने यह कर दिया है कि कुएं के लिये तकावी लेगा तो सर्किल रेट से २० गुने तक मिल सकती है। इस स्कीम में हमने ८६ या ९६ लाख रुपया पिछले साल के सितम्बर में दिये हैं, लेकिन बाद में जो रिपोर्ट जनवरी में मांगी तो मालूम हुआ कि यह रुपया सर्फ नहीं हो सकेगा तो हमने कुछ रुपया रिज्यूम कर लिया है और शायद ६१ लाख रुपया छोड़ा था। जून में मालूम होगा कि कितनी तकावी ली गई। शुरू में हमने यह किया था कि जहां चकबंदी हो गई है उसी इलाके के लिये यह सीमित होगा, लेकिन दिसम्बर में आर्डर्स चले गये थे कि चकबन्दी हुई हो या न हुई हो और एक आर्डर यह था कि जहां चक बन चुके हैं वहीं किसान कुएं बनाना चाहता है और वहां कुएं से फायदा भी है। हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो लोगों से कहता रहता है कि कुयें के लिए तकावी लो तो किसान के सामने कठिनाई आती है। उसके पास बीस खेत हैं। वह किस खेत में कुआं बनाये। एक खेत के लिए एक कुआं नहीं बना सकता और तमाम खेती के लिए एक कुआं नहीं बना सकता। आसपास के किसान मिल जायं और कुआं बनाया जाय इतना कोआपरेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुआं बनाने में बड़ी कठिनाई होती थी। अब जहां जहां चकबन्दी होती जा रही है उसको सहूलियत होती जा रही है लेकिन एक रहट वाला कुआं ८, १० एकड़ को फायदा पहुंचा सकता है। हमारे यहां जोतें ही छोटी हैं। अगर किसी के पास ८, १० एकड़ जमीन नहीं है और उसमें ८, १० एकड़ की सीमा लगा दी तो तकावी नहीं मिल सकती है। तो हमने यह किया है कि ८ एकड़ का चाहे एक किसान हो या चाहे दो या तीन किसान हों, मान लो कि तीन हैं और उनको मिलाकर ८ एकड़ हो जाती है और उनके चक मिलें हैं तो चाहे एक से ज्यादा किसान हो, लेकिन उनको रहट लगाने के लिए तकावी मिल सकेगी। और अगर सिर्फ कुआं बनाना हो तो चार ही एकड़ जमीन हो, ऐसा मुझे याद पड़ता है। लेकिन जैसी कि मैंने माफी मांगी, हो सकता है कि मेरे से कोई तफसील गलत रह गयी हो, क्योंकि मैं उसकी तैयारी नहीं कर सका लेकिन मुझे ऐसा याद पड़ता है। बाद में हमने सब इलाकों के लिए खोल दी है वह सुविधा। सबसे ज्यादा तकावी हमने बस्ती जिले के लिए रखनी चाही थी, ४० लाख रुपये। डुमरियागंज में चकबन्दी चल रही थी। वह लास्ट स्टेज में पहुंच गयी थी। हमने पूर्वी चार जिलों में, सबसे ज्यादा २० लाख रुपये चकबन्दी के इलाकों के लिए रखा था, लेकिन मालूम हुआ कि रुपया खर्च नहीं हो रहा है तो सबके लिए सुविधा खोल दी, लेकिन फिर भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके लिए ईंट चाहिए, मिस्त्री चाहिए। गवर्नमेंट यह नहीं पहुंचा सकती। तो मैं आपके जरिये माननीय दोस्तों से दरख्वास्त करता हूं कि अगले वर्ष भी हम इसे रखें। उसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रुपया दिया जायगा। वह कोई टेस्ट वर्क नहीं है लिहाजा इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के बजट से सम्बन्ध नहीं। लेकिन मेरी अपनी नाकिस राय में यह इंतजार करें कि हमारे यहां नहर आ जायगी, ट्यूबवेल्स आ जायगा या मेरे दोस्त गवर्नमेंट से यह तकाजा करते रहें कि हमारे यहां ट्यूबवेल लगा दो, इसके बजाय अगर वह किसानों को यह समझाएं कि गवर्नमेंट जो सुविधाएं दे रही है इससे फायदा उठाएं तो अच्छा होगा। अपने घर का सोर्स हो जायगा रेवेन्यू का। बैल खाली रहते हैं तो पानी खींच

सकेंगे बजाय इसके कि ट्यूबवेल में पैसा दो और जब बारी आये तो पानी मिले। और ट्यूबवेल आपरेटर या पेट्रोल का मुंह देखने से बच जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक आल इंडिया कोआपरेटिव यूनियन है दिल्ली में। उसमें कोई पदाधिकारी मिस्टर पटेल हैं। उनसे मेरी बातचीत हो रही थी।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—एक चीज मैं पूछना चाहता हूं।

श्री चरणसिंह—आप तकरीर कीजियेगा, उस वक्त पूछ लीजियेगा। मैं शाम को जबाव दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय मन्त्री बैठ नहीं रहे हैं। आप प्रश्न पूछ नहीं सकते।

श्री चरणसिंह—वह गुजरात में कड़ा जिले के रहने वाले हैं। वह बतला रहे थे कि वहां दो, दो ढाई, ढाई एकड़ जमीन है। लेकिन बहुत जबरदस्त पैदावार है। गुजरात की पैदावार वैसे भी अच्छी है। वह कहते थे कि कड़ा और आस पास के जिलों की बहुत अच्छी पैदावार है। कारण क्या बतलाया उन्होंने कि वहां के बहुत से लोग साउथ अफ्रीका गये हुए थे और साउथ अफ्रीका में सब तो बसे नहीं, तो वहां से जो कैपिटल, रुपया, आया उससे उन लोगों ने जो सबसे पहला काम किया वह कुआं बनाने का किया। छोटी-छोटी होल्डिंग अलग, हर होल्डिंग पर अपना कुआं प्राइवेट और उसका नतीजा यह है कि उनकी पैदावार बहुत ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि अगर हमारा किसान गवर्नमेंट का ही मुंह ताकता रहा कि गवर्नमेंट की नहर आयेगी, ट्यूबवेल आयेगा तो उसमें बहुत समय लगेगा। उस में लगेंगे २०, २५ साल। अभी एक करोड़ एकड़ से कुछ ज्यादा जमीन का स्टेट से इन्तजाम हो पाया है और अभी ३ करोड़ एकड़ जमीन पड़ी है जिसमें आबपाशी करनी है। अब गवर्नमेंट के लिए इसका इन्तजाम करने के लिए अरबों रुपये की जरूरत है। मसलन्, एक ट्यूबवेल पर पावर के खर्चे को शामिल करके ६५,००० रुपये का औसत पड़ता है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन तीन-चार साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। एक ट्यूबवेल ३०० से लेकर ४०० एकड़ की आबपाशी कर सकता है। अब अन्दाज लगाइए कि कितने अरब रुपये की जरूरत होगी अगर हर जगह ट्यूबवेल लगाये जायं। नहर सब जगह हो ही नहीं सकती। बांध, रिजर्वायर भी सब जगह नहीं हो सकते। तो इसमें ५० वर्ष लगेंगे इतना रुपया हासिल करने में। तो तब तक क्या हमारा किसान इन्तजार करता रहेगा और अपने खेत की पैदावार नहीं बढ़ायेगा? इतना तो हमको इंतजार करने का मौका नहीं है। जिस हिसाब से हमारी पापुलेशन बढ़ती जाती है और जितनी हमारी गरीबी कि इंटेंसिटी है उसको देखते हुए इतना इन्तजार करना तो सूसाइडल होगा। इसलिए मैं तो सिंचाई का सबसे अच्छा साधन समझता हूं अपना निजी पक्का कुआं जिसका नल लगा दिया गया हो और जिस पर अपना रहट हो और अपने रहट पर अपना ही ऊंट हो। इससे बेहतर इन्तजाम कोई नहीं। (व्यवधान) बैल हों तो अच्छा है। लेकिन बैल दो जोड़ने पड़ते हैं, ऊंट से एक से ही काम चल जाता है। बैलों को हांकना पड़ता है। ऊंट की आंखों पर पट्टी बांध दिया तो वह अपने आप चलते हैं। खैर, जहां ऊंट नहीं मिलता हो मोतीलाल अवस्थी जी के यहां ऊंट न मिलता हो तो बैल से चला लें। तो आज किसान को जरूरत इस बात की है कि उसकी जमीन इकट्ठा हो, उसका अपना कुआं हो, कुएं पर रहट हो और कुएं के पास शहतूत या नीम का दरख्त हो। तब वह अच्छी तरह से खेती कर सकता है। यह रही सिंचाई की बात।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—कोआपरेटिव फार्मिंग में यह कहां तक काम देगा?

श्री चरणसिंह—वह तो उनकी रजामन्दी से होगा, अगर वह उसमें अपना फायदा देखेंगे किसान तो उन्हें करना चाहिए कोआपरेटिव फार्मिंग । लेकिन यह तो आज इर्रीगेशन का मामला है, कोआपरेटिव फार्मिग का नहीं ।

इसके अलावा मुझे दो-तीन बातें और अर्ज करनी हैं । वह यह कि फ्लड के सिलसिले में पहले हमने जितना रुपया रखा था उतना तो वह मिला नहीं । अब की बार हम एक करोड़ रुपया रख रहे हैं फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स के लिए और उसमें ड्रेनेज का भी रुपया शामिल होगा । पहले १० करोड़ रुपये फ्लड के थे सेकेंड फाइव ईयर प्लान में । पहले साल १९५७ में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक करोड़ रुपया कम कर दिया । ९ करोड़ रह गया । १९५८ में एक करोड़ रुपया और कम कर दिया । आठ करोड़ रुपया रह गया । तो फ्लड्स के सिलसिले में जो बहुत सी स्कीम्स थीं और जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड हमारे यहां है उससे जो स्कीमें मंजूर हुईं और सेंट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन से जो स्कीमें मंजूर हो गईं उनमें से बहुत सी स्कीमें हमको छोड़नी पड़ीं रुपये की कमी के कारण । उसी में ड्रेनेज का भी रुपया होना चाहिए था, लेकिन सेकेंड फाइव इयर प्लान जब बना तो उसमें ड्रेनेज के लिए कोई पैसा रखा नहीं गया । इसलिए बावजूद इस बात के और यह ड्रेनेज का काम अधिकतर आगरा और मेरठ डिवीजन का है, रुहेलखंड डिवीजन में भी है, लेकिन बहुत कम । जैसा कि मान लीजिये मुरादाबाद में, हरदोई में, शाहजहांपुर में इन सब में २, ३ नालों की बात है, लेकिन जो पश्चिमी जिले हैं यानी गंगा और यमुना के बीच में कानपुर तक वहां पर एक-एक तहसील में २४, २४ नालों की स्कीम है और वाटर लागिंग से जितना नुकसान होता है उसका अन्दाज लगाया जा सकता है, लेकिन रुपये की कमी के कारण हम उन लोगों को कोई रिलीफ नहीं दे पाये । आगे हम कोशिश करेंगे लेकिन जितना करना चाहते थे रुपये की कमी के कारण वह कर नहीं सके । इस वर्ष नवम्बर के आखिर में ७० लाख रुपया माइनर इर्रीगेशन वर्क्स के नाम से था । उसमें ड्रेनेज की बात थी और उस ७० लाख रुपये को ३१ मार्च तक खर्च करना था । उसमें कोआपरेटिव ट्यूबवेल को लेने की बात थी जो ४०० के करीब थे जो बहुत कम चल रहे थे । सब लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट उन ट्यूबवेलों को ले लें । तो हमारे डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने उन ट्यूबवेलों को देख लिया है और उनकी राय यह है कि सारे ट्यूबवेल तो लेने के लायक नहीं हैं । गवर्नमेंट अगर उनको ले भी ले तो वे सर्विसेबिल नहीं हैं । उनमें बहुत रुपया लगाया जायगा तो वे सर्विसेबिल होंगे । इसलिये बेहतर इससे यह होगा कि गवर्नमेंट अपने ट्यूबवेल बनाये । तो उनमें १२४ ट्यूबवेल्स केवल ऐसे हैं जिनके विषय में चीफ इंजीनियर साहब ने यह राय दी है कि वे लिये जा सकते हैं और इस्तेमाल हो सकते हैं । उन ट्यूबवेल्स को लेने के लिये ४० लाख रुपया ले लिया है । उनका रिनोवेशन करना है, मुआविजा देना है, गूल बनानी है । तो रुपये की कमी की वजह से १२४ हम ले रहे हैं ।

ड्रेनेज की स्कीम्स को बनाने के लिये २४ लाख रुपया हमने लिया है उस ७० लाख में से जो कि ३१ मार्च तक खर्च किया जाना है । उसमें छोटे-बड़े नाले सभी हैं । मसलन् मथुरा की बात है जिसका जिक्र गेंदासिंह जी ने यहां पर कल किया था । उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के एक बहुत ऊंचे आदमी ने मथुरा में स्पीच की और मथुरा में श्री चरणसिंह को देखकर यकीन आया कि फ्लड से कितनी तकलीफ होती है । हो सकता है उनका यह मतलब न हो, लेकिन मेरे ऊपर उसका यह असर पड़ा कि अगर उनका यह मतलब था तो मेरे साथ उन्होंने अन्याय किया कि मुझे तकलीफ का अहसास मथुरा में हुआ और देवरिया में नहीं हुआ ।

मथुरा के लिये ड्रेनेज की स्कीम ७२ लाख की है । मथुरा में १८ इंच वर्षा का एवरेज है, लेकिन वहां पर ६० इंच पानी बरसा, ५० इंच वर्षा और हमारे मित्र लक्ष्मीरमण जी कह रहे हैं कि ६४ इंच भी कहीं-कहीं पर बरसा हुई तो इससे अपने-अपने यहां का अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितनी तबाही इन छोटे-छोटे ड्रेन से हुई होगी । फिर पंजाब में भी हमेशा वर्षा बहुत कम होती रही है । अब ३, ४ वर्षों से वहां भी वर्षा ज्यादा हो

रही है । गुड़गांवा में रोहतक और करनाल से पानी आया तो वह सब पानी इकट्ठा होकर मथुरा जिले में आया । तो कई कई महीने तक और हो सकता है अब भी दिल्ली से जो सड़क मथुरा को जाती है वह पानी के अन्दर हो । कई महीने तक उस रोड पर पानी रहा है । राजस्थान से भी पानी वहां आया। उसमें ३ नाले बनाने हैं जिसके लिये यह ७२ लाख रुपया है । उन नालों को बनाकर इस जिले को सेव करना है । वहां पर जमुना का बाईं तरफ का जो एरिया है पूर्व की ओर तो उसमें भी ३, ४ साल से यही हाल है । जो रेलवे की छोटी लाइन मथुरा से हाथरस को जाती है उसमें जो पानी रुक जाता है उससे जो लोगों को तकलीफ होती है वह बयान से बाहर है । उन्होंने खुद जा कर देखा है और मैं वहां ८ अक्तूबर को गया था,वर्षा २ अक्तूबर को बन्द हो चुकी थी। उस वक्ता भी रेलवे लाइन पर पानी बह रहा था । सैकड़ों गांव उधर पड़े हुए थे और इसी से उनकी तकलीफ का अनुमान किया जा सकता है । तो मेरा खयाल है कि वहां भी नालों की जरूरत है । मेरठ डिवीजन की बाबत उन्होंने बताया । देहरादून को छोड़कर सहारनपुर में भी कमी है, लेकिन तकलीफ है । इसलिये मुजफ्फरनगर, मेरठ और बुलन्दशहर के लिये साढ़े ३ करोड़ रुपये की जरूरत है और यह रुपया, मैं मुक्त कंठ से इस बात को कहूंगा कि इतना रुपया नहीं है ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—और योजनाओं को रोक कर सबसे पहले इसको पूरा किया जाय ।

श्री चरणसिंह—आप मथुरा से तशरीफ लाते हैं । मथुरा के बाद आगरा और अलीगढ़ का नम्बर मैं रखता हूं, जहां तक बर्बादी का सम्बन्ध है आगरा में भी बड़ी भारी बर्बादी है। कम से कम आधे अलीगढ़ जिले का यही हाल है और मेरठ का भी ४ साल से यही हाल है। बुलन्दशहर, मेरठ और मुजफ्फरनगर का ४ साल से और आगरा डिवीजन का ३ साल से । मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। मवाना तहसील के जो जिम्मेदार सदस्य हैं और जिनका मेरठ कालेज से सम्बन्ध है उन्होंने बताया कि दशहरे की छुट्टी में जो लड़के छुट्टी पर घर गये उनमें से २०० अपने गांवों से वापस नहीं आये । मां-बाप ने उनको वापस भेजा नहीं । इतनी उनकी बर्बादी हुई । कहां से देंगे वह रुपया । तो मेरठ कालेज के लड़कों की तादाद कम हो गयी है, कल ही ऐसा एक साहब ने बताया था इस बर्बादी की वजह से । तो इतना ड्रेनेज का मामला वहां है । लेकिन जैसा मैंने कहा, रुपये की कमी है । अगर कोई जिला मेरे बयान करने से रह जाय तो इसके लिये मैं माफी चाहूंगा । यह बात नहीं है कि मुझे उसका इल्म नहीं है, हो सकता है कि इल्म कम हो, लेकिन कोई इरादा ऐसा नहीं है कि मैं किसी जगह की तकलीफ को कम कहूं । सारा सवाल अपेक्षा का, निस्बत का है । तकलीफ सब जगह है । अगले वर्ष यही विचार हो रहा है कि रुपया कहां से लायें । हाथ बंधे हुए हैं । सेकिंड फाइव इयर प्लान की जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वह अपने बजट की नीली वाल्यूम जो है उसमें ग्रान्ट नं० ४६ में दी हुई है प्रोडेक्टिव और अनप्रोडेक्टिव, दोनों और सब रुपया उसमें लिखा हुआ है । अभी हमको मालूम हुआ है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया हमको ८३ लाख रुपया अगले वर्ष ड्रेनेज के लिये देने का विचार रखती है। अगर वह रुपया आ गया तो हम छोटे-मोटे ड्रेनेज बनवा देंगे। जो बड़े ड्रेनेज हैं, जिनसे नेशनल हाईवे दिल्ली-बाम्बे एफेक्टेड होता है उसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया का अपना निजी इंटरेस्ट है । कई कारण हैं इसके जिनमें मैं अभी यहां जाना उचित नहीं समझता । अभी पंजाब, यू० पी० और गवर्नमेंट आफ इंडिया के अफसरों की एक मीटिंग हुई थी, उसमें ड्रेनेज का कुछ इक्जामिनेशन हो रहा है । उसमें मालूम हुआ कि ८३ लाख के अलावा गवर्नमेंट

[श्री चरण सिंह]

आफ इंडिया इन ड्रेनेजेज को अपने हाथ में ले रही है, क्योंकि इनकी बड़ी इम्पार्टेन्स है। बहुत बड़े ड्रेनेज हैं, ७२ लाख का एक ही ड्रेनेज है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट तो शायद ही बनवा सकेगी। तो यह ड्रेनेज की बात रही। इसके अलावा पांच लाख रुपया ट्यूबवेल्स की गूलों को पक्का करने के लिये रखा गया है....

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---पंजाब गवर्नमेंट ने इस प्राबलम को प्रायर्टी पर रखा है।

श्री चरणसिंह---मैं यह नहीं कह सकता। तो इसमें पांच लाख रुपया ट्यूबवेल की गूल के लिये रखा गया है। इसके अलावा मुझे और कोई बात याद नहीं पड़ रही है जो मैं आपके सामने अर्ज करूं। एक बात मैं इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा और वह यह कि पानी का इन्तजाम करना जरूरी है। आप बजट में देखेंगे कि अन-प्रोडक्टिव स्कीम्स पर---या अनएकोनामिक स्कीम्स कहिये---बहुत खर्चा हो रहा है। और कर्जे से सब चीजें बनाई जा रही हैं। कर्जे पर सूद भी देना पड़ता है, इसलिये अगर जितना कर्ज देना पड़े, उतना वापस न आये तो उसका मतलब यह है कि एक्सचेकर के दूसरे सोर्सेज पर उसका असर पड़े और हमेशा के लिये ड्रेन हो जाय। तो अगर ऐसा हो तो यह आने वाली जेनरेशन्स पर अन्याय होगा। इसका दूसरा एक पहलू यह भी है कि जहां लोग रहते हैं, जमीन है वहां भी अगर आप प्रोडक्टिव इर्रीगेशन के वर्क्स न करें तो उन लोगों का क्या हो। यह बात भी बिल्कुल ठीक है। तो मैं समझता हूं कि हमको इस तरह की स्कीम्स बनानी चाहियें, जैसा कि हम थर्ड फाइव ईयर प्लान में कह रहे हैं कि मान लीजिये अगर १०० रुपये खर्च करना हो तो उसमें से ७५ रुपये एकोनामिक स्कीम्स पर खर्च कर दें और २५ या २० अनएकोनामिक स्कीम्स पर खर्च करें ताकि आगे के लिये इर्रीगेशन में कुछ टोटल तो बचे। पहले इर्रीगेशन से कुछ रुपया मिलता था और अब उसके बजाय यह न हो जाय कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट लास में रन करने लगे। तो जब हम डिमान्ड करते हैं कि यह ट्यूबवेल हो, यह बांध बंधे, मैं आपके जरिये दर्ख्वास्त करना चाहता हूं कि लोकल प्राबलम्स हैं, किसानों को तकलीफ है, लेकिन जब कभी किसी स्कीम के लिये, किसी बांध के लिये मेरे दोस्त कहें तो इसका भी खयाल रखें कि इसकी एकोनामिक्स क्या है प्रोजेक्ट की। यह सब अगर ड्रेन ही होता चला जाये तो फिर पैसा कहां से आयेगा। बजाय आमदनी के यह उल्टे गवर्नमेंट पर एक लाइबिलिटी हो जाय, मैं समझता हूं कि यह किसी की मंशा नहीं है। तो अब फिर मेरा वही प्वाइंट आ जाता है कि बजाय इसके कि गवर्नमेंट के ही भरोसे बैठे रहें या भाग्य के भरोसे बैठे रहें, बेस्ट वही है कि गवर्नमेंट तो करे और इर्रीगेशन डिपार्टमेंट करे लेकिन साथ ही साथ जहां पर कुएं बन सकते हैं वहां पर माननीय सदस्य अपने कान्सटीटुएन्ट्स को मश्विरा दें कि वे लोग अपने कुएं बनायें। अध्यक्ष महोदय, उसके लिये जरूरी यह होगा कि मेरे मित्र डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज में इस बात का ध्यान रखें कि कुओं के लिये किस इलाके में तकावी दी जाय। वहां मिस्त्री पहुंच जाय, लुहार पहुंच जाय। मैंने देखा कि इगलास तहसील में, जहां चक-बंदी हो रही थी, दिसम्बर, १९५७ में, ३ लुहार रहट बनाने वाले पहुंच गये थे और ये दुकानें छोटे से टाउन में खुल गयी थीं। बहुत-सी जगहों पर तकावी ले ली गयी है लेकिन ईंटें नहीं हैं और अगर कुएं भी बना लिये तो उनके लिये रहट नहीं है। इसके लिये जब हमने स्कीम बनायी थी तो प्लानिंग कमिश्नर थे उन्होंने असिस्टेंट प्लानिंग कमिश्नर, गोरखपुर और बनारस डिवीजन को इसकी जिम्मेदारी दी थी। अब मैं कह नहीं सकता कि उनको क्या कठिनाई आयी, कितना वह कर सके हैं और कितना नहीं कर सके हैं। जहां यह कुएं और रहट की मांग हो वहां लोहे का एलोकेशन भी ज्यादा किया जाय। मैं इस बात को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं कि हवा इस बात की पैदा की जानी चाहिये कि जहां सिंचाई की आवश्यकता हो वहां लोग अपने-अपने कुएं बनायें। जो भी इसमें कठिनाई हो उनको अपने जिले की प्लानिंग कमेटीज के सामने रखें और अगर उनकी वह समस्या वहां पर हल न हो तो मुझे आकर बतलायें तो उनको मदद करने की कोशिश करूंगा।

चकबन्दी की बात कही गयी। सूबे में दो-तीन जिलों को छोड़कर और सब जिलों में चकबन्दी संतोषजनक हुई है। दो तीन जिलों से मैं खुश नहीं हूं। बाकी और जिलों में चकबन्दी अच्छी हुई है, लेकिन सबसे बढ़िया चकबन्दी जिला गाजीपुर की सैदपुर तहसील में हुई है और वहां के जो भी मित्र यहां बैठे होंगे वे मेरी ताईद इस बारे में करेंगे। यू० एन० ओ० के भी कुछ लोग वहां गये थे उन्होंने भी उसकी बहुत प्रशंसा की। और जितने भी हमारे सेटिलमेंट आफीसर्स हैं वहां जाकर देखकर आये हैं। २५ नवम्बर, सन् १९५७ को मैं वहां गया। वहां कुओं की बहुत मांग है। हमने वहां पर काफी रुपया दिया और कुएं बनाने के लिये या रहट लगाने के लिये हमने यह कह दिया है कि वे जितना रुपया चाहेंगे, वह देंगे, उसकी कोई हद नहीं है। अगर इस तरह की चकबन्दी हो जाय और लोग अपने-अपने कुएं बना लें तो उसको मैं किसानों के लिये एक आइडियल सिचुएशन समझता हूं। जमीन तो कहीं और से आयेगी नहीं वह तो उतनी ही रहेगी, अपना कुंआ रहेगा और पानी का इन्तजाम भी हो जायगा। इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है। इन शब्दों के साथ जो मैंने डिमाण्ड पेश की हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरे मित्र उनको मंजूर करेंगे। मैं फिर माफी चाहूंगा, कि इस थोड़े से समय में जिस प्रकार की इनफार्मेशन मैं देना चाहता था वह न दे सका।

श्री राजेंद्रसिंह (जिला हरदोई)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या ०६—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्य का सम्पादन और अनुदान संख्या १०....

श्री अध्यक्ष—आप सब कटौती के प्रस्ताव हर मांग पर अल्हैदा अल्हैदा पेश करें।

श्री राजेंद्रसिंह—क्योंकि माननीय मंत्री जी ने एक में ही अपना भाषण दिया था....

श्री अध्यक्ष—हर एक मांग के ऊपर आप अपना अल्हैदा-अल्हैदा कटमोशन मूव कर दें, इससे जब मैं राय लूंगा तो मुझे आसानी हो जायगी। भाषण आप एक ही देंगे।

श्री राजेंद्रसिंह—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६—राजस्व लेखे से बाहर सिंचाई निर्माण-कार्य का सम्पादन, के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है। विभाग की खर्चीली योजनायें एवं अपव्यय। श्रीमन्, यदि आप सभी पर एक साथ बोलने का अधिकार दे दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—अब आप अनुदान संख्या १० और ११ में भी कटौती पेश कर दीजिये, फिर आप उन पर एक साथ बोल सकते हैं।

श्री राजेंद्रसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है। राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य का योजनाबद्ध न होना।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—सिंचाई स्थापना पर व्यय में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में २० प्रतिशत की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विशेष विषय जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है। राजस्व और अभियन्ता विभाग पृथक-पृथक न होना अधिक व्यय का कारण है।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपके सम्मुख माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ने यह बात प्रस्तुत की कि जो पहले निर्माण कार्य किये गये और जो किये जा रहे हैं उन पर भी वे निर्माण शुल्क लेंगे और विरोधी पार्टी की अक्ल इसी में है कि वह कोई विरोध न करें । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सिंचाई मंत्री महोदय को बतला देना चाहता हूं कि वे वयोवृद्ध हैं, मैं उनकी बात को चैलेंज नहीं कर रहा हूं ...:

श्री चरणसिंह---मैं इसका प्रोटेस्ट करता हूं, वयोवृद्ध मैं हरगिज नहीं हूं ।

श्री राजेंद्रसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको यह समझ लेना चाहिये कि पहले के निर्माण कार्य पर यदि वे शुल्क लगायेंगे तो घोर विरोध उनका और उनके विभाग का किया जायगा । अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि लगभग २२९ ऐसे ट्यूबवेल्स हैं जो बेकार पड़े हुए हैं । सरकार के कुएं बन गये, लेकिन बिजली नहीं पहुंची । दोनों विभाग माननीय मंत्री जी के अधीन हैं, लेकिन दोनों में कोआपरेशन नहीं है । मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी को यह बतला देना चाहता हूं कि जब वे दोनों के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं तो ऐसी सुनियोजित योजना होनी चाहिये, ऐसा सोच समझ कर कार्य-कलाप होना चाहिये कि ट्यूबवेल्स बन जाने के बाद बेकार न रहें । आपने एक और बात भी अपने भाषण में कही कि सरदार पटेल के जिले में किसानों के पास एक-एक, दो-दो एकड़ जमीन है, लेकिन उनकी उपज बहुत अधिक है । उसका कारण आपने यह बतलाया कि किसानों की जो भूमि होती है उसको अपने ही अधिकार में रख कर वे खेती करते हैं । यह एक और इस बात की दलील है कि सहकारिता खेती इस प्रदेश में सफल नहीं होने वाली है । यद्यपि माननीय मंत्री जी सहकारिता फार्मिंग को सफल करने की योजना के लिये कटिबद्ध हैं लेकिन सरकारी किताबों में उसका कहीं जिक्र नहीं है और न बजट में ही इसका प्रोविजन है कि जितने सहकारी फार्म हैं वे ले लिये गये हैं या लिये जा रहे हैं, लेकिन सहकारी फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जायगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक बात और माननीय मंत्री जी के समक्ष उपस्थित कर देना चाहता हूं और वह यह है कि पूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों की लड़ाई में मध्य यू० पी० को कहीं स्थान नहीं है । आपने अभी पश्चिमी जिलों की हुई बाढ़ की दुर्दशा का वर्णन किया है और पूर्वी जिलों के लिये भी वे कहते हैं, लेकिन हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी और सीतापुर आदि जो मध्य यू० पी० के जिले में हैं उनका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कोई नहीं किया । मैं आपके द्वारा उनको यह बतला देना चाहता हूं कि जिस समय वे पूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों के झगड़े में पड़ने का कष्ट करें उस समय इस बात को भी ध्यान में रखें कि मध्य यू० पी० भी उनके मंत्रिमंडल के ही अधीन है । उनके इस भाषण के उपरान्त अब मैं सिंचाई रेट्स के सम्बन्ध में एक बात प्रस्तुत करना चाहता हूं । अंग्रेज इस प्रदेश के किसानों से जितना सिंचाई टैक्स लेते थे आज यह मंत्रिमंडल उससे तीन गुना सिंचाई टैक्स वसूल कर रहा है । मैं पूछता हूं कि कितनी नहरें बढ़ गयी हैं ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे सिंचाई का रेट तिगुना क्यों ले रहे हैं ? जब हिन्दुस्तान स्वतंत्र हो गया तो फिर सिंचाई की दर में कमी होनी चाहिये थी, लेकिन हुआ यह कि दर बढ़ गयी । नहरें और माइनर्स कहीं कहीं बढ़ा दिये लेकिन उनमें पानी नहीं पहुंचता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा होता है कि अगर कोई किसान अपने खेत को एक बार सींचता है तब भी उसे उतना ही देना पड़ता है जितना कि उसे तीन बार सींचने पर देना पड़ता है । मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से इस सम्बन्ध में जब कहा तो उन्होंने कहा कि यह गलत है कि एक बार की सिंचाई पर भी उतना ही देना पड़े जितना कि तीन बार की सिंचाई पर देना पड़ता है ।

(इस समय १ बजकर ६ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुए ।)

अगर कोई किसान एक बार पानी लेने के बाद दुबारा अवसर प्राप्त न कर सके तो उसे तीन गुनी सिंचाई देनी होती है । अब तक जो सुनने में या समझने में आया है वह यही है कि जो बड़े-बड़े कार्य हुए हैं उनमें या तो बड़ा गबन हो गया है या बांध टूट गये हैं । गोरखपुर व आगरा के बांध टूट चुके हैं। सरकार को चाहिये कि प्रान्त भर में नदियों के किनारे, तालाबों व झाबरों के किनारे सर्वेक्षण कराये और प्रत्येक जिले में इस प्रकार का सर्वेक्षण कराये जिससे यह मालूम हो सके कि कितनी ऐसी नीचे की भूमि है जिसके खोदने से उर्वरा भूमि या खेती के योग्य भूमि निकाली जा सकती है और जो बड़ी-बड़ी योजनायें निकल रही हैं उनसे पैसा निकाल कर इन छोटी योजनाओं पर व्यय किया जाय ।

अधिष्ठाता महोदय, नहर विभाग में २ विभाग काम करते हैं । राजस्व विभाग तथा अभियन्ता विभाग । राजस्व विभाग का कार्य यह होता है कि उसके कर्मचारी कागज लेकर इस बात की जांच करें कि किस काश्तकार ने खेत की सिंचाई की है और उसके ऊपर सिंचाई रेट लगा कर तहसील में भेज दें और तहसील में अधिकारीगण उस सिंचाई रेट को वसूल करें ।

दूसरा विभाग होता है अभियन्ता विभाग जिसमें इंजीनियर्स होते हैं और जो नहरों, गूलों तथा माइनर्स की सफाई का निरीक्षण करते हैं । ये दोनों विभाग अलग-अलग हैं लेकिन मुख्य अभियन्ता के अधीन होते हैं । राजस्व विभाग भी मुख्य अभियन्ता के अधीन होने के कारण दक्षतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता । मैं कहता हूं कि राजस्व विभाग अभियन्ता विभाग के अधीन नहीं रहना चाहिये । उसमें अमीन, मजदूर आदि होते हैं । अमीन वगैरह का काम निरीक्षण करने का होता है कि गूलें व माइनर साफ हैं या नहीं और खेतों में नहरों के जरिये पानी पहुंचा या नहीं । समय से सफाई न होने के कारण या अन्य कारणों से खेती को पानी नहीं मिल पाता है लेकिन चूंकि ये लोग इंजीनियर महोदय के मातहत होते हैं इसलिये अपनी नौकरी बचाने तथा उनको खुश रखने के लिये लिख देते हैं कि सिंचाई हुई, लेकिन वास्तव में सिंचाई नहीं होती । जब राजस्व विभाग और नहर विभाग मंत्री जी के अधीन हैं तो उनको चाहिये कि राजस्व विभाग को अभियन्ता विभाग से बिल्कुल पृथक् कर दें । जब रेवेन्यू विभाग नहर विभाग से अलग होगा तो सही बात लिखी जाया करेगी कि अमुक खेत सींचा गया या नहीं सींचा गया । वह यह भी कह सकते हैं कि खेत एक बार सींचा गया या तीन बार । इससे किसानों के साथ न्याय होगा । और जब दोनों विभाग अलग होंगे तो मंत्री जी को मालूम होगा कि विभागों के अलग होने से किसान को कितना लाभ है और चीफ इंजीनियर महोदय जो अधिकतर आराम करते हैं, अगर दौरा करते भी हैं तो बरसात को छोड़ कर और ऐसे मार्ग से जिससे अधिक से अधिक टी० ए०, डी० ए० मिल सके वह ऐसा करना बन्द कर देंगे । जब राजस्व विभाग की वसूली कम हो जायगी तो उनको भी चिन्ता होगी कि नहरों की सफाई जरूरी है । होता यह है कि जब बरसात प्रारम्भ होने वाली होती है उसके सात दिन पहले मेजरमेंट बुक आ जाती है, और इंजीनियर महोदय दौरा देर से करते ही हैं, तो मातहत अधिकारी कहते हैं कि हमने तो नहर की सफाई करायी थी लेकिन बरसात के कारण सब खराब हो गई, हम क्या करें । दरअसल होता यह है कि सफाई होती ही नहीं । और अगर होती भी है तो जिधर से चीफ इंजीनियर महोदय क्रास करते हैं उससे २०० गज उधर और २०० गज उधर की सफाई करा देते हैं उसी से नतीजा निकाल लिया जाता है कि माइनर्स की, नहरों की सफाई हो गई है । इसलिये मेरा सुझाव है कि मंत्री जी नहर विभाग को ऐसे आदेश दें कि सफाई के तुरन्त बाद ही बरसात से काफी पहले मेजरमेंट

[श्री राजेन्द्रसिंह]

बुक उच्च अधिकारियों के पास भेज दी जाया करे ताकि वह बरसात के पहलें यह देख सकें कि सचमुच में सफाई हुई है या नहीं । उससे भ्रष्टाचार दूर होगा जिसको दूर करना परमावश्यक है।

दूसरी बात नहर विभाग में ठेके की बात से विशेष सम्बन्ध रखती है । मंत्री जी जानते हैं कि ठेकेदार, ओवरसियर और इंजीनियर्स में काफी गड़बड़ घोटाला हुआ करता है । मैं यह बताना चाहता हूं कि इसके पहले जब दूसरे सिंचाई मंत्री थे उन्होंने एक बार अपने बजट भाषण में कहा था कि नहरों के ठेके गांव समाज को या मजदूरों की व्यवस्थित संस्थाओं को दिये जाया करेंगे । लेकिन उसके बाद उनका कतई इस तरफ ध्यान नहीं रहा । मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यदि वह ऐसी व्यवस्था कर दें कि नहरों और माइनर्स की सफाई का ठेका गांव समाज या मजदूरों की संस्थाओं को दिया जाया करे तो भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा साथ ही विकास के कार्यक्रम में एक और कड़ी जुड़ जायगी । मैं आपके सामने रिपोर्ट आफ् दि इर्रीगेशन रेट्स कमेटी, यूनाइटेड प्राविन्सेज़, १९३९ के डिसीजन का एक भाग प्रस्तुत करता हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस कमेटी के प्रेसीडेन्ट माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब थे और उन्होंने अपनी सिफारिशों में यह लिखा था :—

> "The responsibility for the collection of canal dues should be entrusted to village panchayats as soon as they have been reconstituted by statute on a democratic basis. In the meantime, collections should continue to be effected through the agency of Revenue Department....."

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस समय विदेशी यहां शासन करत थे और अधिनियम के द्वारा पंचायतों का पुर्ननिर्माण नहीं कर पाये थे, उस समय जो अपने देश के सदस्य विधान सभा में थे उनकी सिफारिश पर और माननीय हाफिज साहब की अध्यक्षता में यह तय किया गया कि पंचायतों को वसूली के अधिकार दिये जाएंगे । लेकिन माननीय मंत्री महोदय का उधर ध्यान नहीं है । राजस्व और बिजली विभाग से उन्हें कम समय मिलता है, ऐसा मेरा अनुमान है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यद्यपि ऐसा है कि संख्यासुर के बल पर यहां से अनुदान पास ही हो जाते हैं और अनुदान पास हो जाने के बाद यदि हमारे अनुमान से थोड़ी बहुत कमी होती है तो यह स्वाभाविक है । लेकिन अधिष्ठाता महोदय, जितना रुपया मंजूर किया गया हो एक विशेष कार्य के लिये उसका दुगना चौगुना यदि खर्च कर लिया जाय तो एक प्रकार से बहुमत के अधिकार का दुरुपयोग ही होगा ।

माताटीला बांध में केवल ४ करोड़ रुपये के लगभग स्वीकृत हुआ था, लेकिन १२ करोड़ के करीब खर्च किया गया । इस तरह से सदन की अनुमति के बिना अधिक रुपया खर्च कर लेना प्रजातंत्र की कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नहर विभाग की कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें कहा जाता है कि बहुत तरक्की की जा रही है । लेकिन इस शासन के आंकड़े सिद्ध करते हैं कि तरक्की नहीं हुई है । १९५१–५२ में सिंचित क्षेत्र १२६·९ लाख एकड़ था और १९५६–५७ में ११३·४ लाख एकड़ । यानी १९५१–५२ में जितनी सिंचाई नहरों से हुई थी १९५६–५७ में उससे कम हो गई । यह न्यूज बुलेटिन के आंकड़े हैं ।

अधिष्ठाता महोदय, बड़े–बड़े नहरों के कार्य हुए हैं और नहरों की संख्या बढ़ती जा रही है । बड़े-बड़े जलाशय तैयार किये जाते हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है । पहाड़ खोदने क उपरान्त चुहिया ही नजर आती है । १९५७–५८ में असिंचित

क्षेत्र जो बोया गया लेकिन सींचा नहीं गया २६३·८ लाख एकड़ और १९५६–५७ में २८९·२ लाख एकड़। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो नहर के एरिया में थे परन्तु नहर का पानी न पहुंचने के कारण नहीं सींचे गये ? ऐसी नहरों के या माइनरों के बढ़ाने की क्या आवश्यकता है जब शासन पानी नहीं दे सकता । पहले पानी देने का प्रबन्ध करना चाहिए उसके बाद नहरों की खुदाई करनी चाहिए । नहरों की खुदाई पहले हो जाती है और पानी बाद में पहुंचाया जाता है । कुएं पहले खुद जाते हैं और बिजली मिलती नहीं । १९५६–५७ में एक करोड़ पचास लाख एकड़ भूमि चालू परती को छोड़कर जोत जमीन का भाग छोड़ दिया गया। १९५४–५५ में असिंचित क्षेत्र ३६१.३ लाख एकड़ और १९५६–५७ में ३८६·५ लाख एकड़ हो गया। १९५१–५२ में जितनी भूमि पर खेती हुयी उसमें सिंचाई का प्रतिशत २९.३ था और १९५६–५७ में २४·३ रह गया। और १९५१–५२ में बोया गया परन्तु जिसकी सिंचाई नहीं हुई वह क्षेत्र था १·३४ हजार एकड़। यद्यपि माननीय माल मंत्री की इच्छा रहती है कि एक्सपर्टस जो भी काम करें वह जनप्रतिनिधियों के सहयोग से करें। लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं फर्रुखाबाद की मिसाल देना चाहता हूं कि वहां पर ५ नलकूप लगने की योजना थी उसके लिये इजीनियर्स ने १२ स्थान चुने और उसके बाद उन्होंने वहां के जनप्रतिनिधियों से कहा कि इनमें से कोई से ५ स्थान आप चुन लीजिये। इस पर उन लोगों ने ५ स्थान चुन लिये, लेकिन खेद है कि उन्होंने उसमें से केवल ३ ही स्वीकार किये। यह सही है कि एक्सपर्ट होने के नाते इजीनियर्स ज्यादा सोच सकते हैं लेकिन कम से कम उनको जनप्रतिनिधियों की चुनी हुयी जगह को तो स्वीकार कर ही लेना चाहिये था। मेरे खयाल में दखल देने का अधिकार इस तरह से उनको नहीं होना चाहिये।

एक उदाहरण मैं हरदोई जिले का और दूंगा कि एक गुमनाम पत्र आया था कि ढिकुन्नी कोठी में अधिकारी लोग वैश्यागामी हैं और तरह-तरह के कुकर्म करते हैं। जब उसकी जांच हुई तो वह मामला सही पाया गया लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई .....

श्री अधिष्ठाता—आपका जो विषय है उससे आप बाहर जा रहे हैं, आप का समय भी खत्म हो गया, अब आप बैठें।

श्री राजेंद्रसिंह—श्रीमन्, थोड़ा समय और मिल जाता तो . .

श्री अधिष्ठाता—अध्यक्ष महोदय ने निश्चित किया है कि २० मिनट प्रस्तावक को मिलें और उसके बाद अन्य सदस्यों को १०–१० मिनट । इसके अलावा आप तीनों कटमोशन्स के विषय के बाहर भी जा रहे हैं। अतः आप कृपया बैठें।

श्री राजेंद्र सिंह—मैं विषय पर ही बोल रहा था . . . .

श्री अधिष्ठाता—बहस में जो कटमोशन्स देने वाले हैं उनके प्रस्तावों को सदन के समक्ष माना जायगा और बाकी लोग अपने विषयों पर प्रकाश डाल सकते हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या नित्य नई व्यवस्था चलेगी ?

कुंवर श्रीपाल सिंह—आप को बोलने का मौका मिलेगा ।

श्री राजनारायण—कल एक विषय जो तय हुआ था वह यह था कि आपस में तय करके जिन्हें पहले कटमोशन देने को कह देंगे उनको जवाब देने का मौका होगा और सबकी तरफ से वह मूव होगा, हमारे सामने यही हुआ था और स्वतः हमने मूव किया था ।

श्री अधिष्ठाता---नहीं, वह मूव हुआ मान लिया जायगा, केवल भाषण देन का राइट आप का रहेगा । आपको दस मिनट मिल सकेंगे ।

श्री राजनारायण---श्रीमान, यह व्यवस्था आप माननीय अध्यक्ष से पूछ कर मंगा लें, हम स्वतः बोले हैं, इस तरह से नित्यप्रति व्यवस्था टूटेगी तो फिर हमारी अड़ंगेबाजी की नीति चलेगी और वही . . . .

श्री अधिष्ठाता---जो व्यवस्था हम ने दी है वही चलेगी ।

श्री राजनारायण---आपकी तो यह नई व्यवस्था आ गई कि केवल एक ही सदस्य मूव करें और बाकी सब दस-दस मिनट बोलें ।

श्री अधिष्ठाता---अगर आप देखें तो कल भी यही हुआ है कि वैसे ही प्रस्ताव उपस्थित किया माना जायगा ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं कैसे मान लूं मैंने स्वयं इसी सदन में सशरीर खड़ा होकर अपने कटमोशन को मूव किया है, कोई चैलेन्ज करना चाहे तो देख ले कि कल क्या हुआ है । हमारे दूसरे साथियों ने भी मूव किया है ।

श्री अधिष्ठाता---जो प्रस्ताव उपस्थित हैं, जो सदस्यों ने दिये हैं वह सदन में उपस्थित मान लिये जायंगे । तो उस में राइट आफ आन्सर केवल प्रस्ताव उपस्थित करने वाले सदस्य को होगा ।

श्री राजनारायण---उसमें एक अन्तर पड़ता है । हमने आपस में तय कर लिया है कि कौन-कौन अनुदान कौन-कौन पार्टियां मूव करेंगी । सिंचाई उन्होंने मूव कर दिया और आखिर में रिप्लाई वही देंगे, मगर कटमोशन सबका मूव होगा । अगर हम मूव करेंगे तो मूवर की हैसियत से १५ या २० मिनट का समय हमें मिलेगा ।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह नयी व्यवस्था क्यों हुई ? क्या आप चैलेंज करते हैं कि कल मैंने कटमोशन मूव नहीं किया था ? मैं आप से कहता हूं कि मूव किया था ।

श्री अधिष्ठाता---पहले कटमोशन के बाद भी आपने मूव किया था ?

श्री राजनारायण---जी हां, मैंने बाद में मूव किया था ।

श्री अधिष्ठाता---इस समय तो आप बैठें । मैं कल की कार्यवाही मंगा रहा हूं ।

[अनुदान संख्या ४६---राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्य का सम्पादन

[लेखा शीर्षक: ६८---सिंचाई-नौचालान (Navigation), बांध (Embankments) और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों (Drainage Works) का निर्माण]

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
कुमारी श्रद्धा देवी---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन	मांग की राशि घटाकर १ रु० कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। बाढ़ रक्षात्मक कार्यों की अपर्याप्तता।

अनुदान संख्या १०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)।

(लेखा शीर्षक: १७, १८ और १९-ख)

क्रम-संख्या प्रस्तावक का नाम प्रस्ताव का रूप

१ कुमारी श्रद्धा देवी—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

नलकूपों के पुनःनिर्माण की आवश्यकता।

२ श्री राज नारायण तथा श्री उग्रसेन—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

बाढ़ नियन्त्रण की योजनाओं की उपेक्षा।

३ श्री रघुरनतेज बहादुरसिंह—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

ग्रामीण जनता को छोटी सिंचाई के लिये सरकारी सहायता पाने में कठिनाई।

अनुदान संख्या ११—सिंचाई स्थापना पर व्यय

(लेखा शीर्षक: १७, १८, १९ और ६८)

क्रम संख्या प्रस्तावक का नाम प्रस्ताव का रूप

१ श्री ब्रजनारायण तिवारी—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

ट्यूब वेलों पर नाली का काम पूर्ण नहीं हुआ है और न उन के द्वारा समय से पानी दिया जाता है।

श्री राजनारायण तथा श्री रामदास आर्य—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

छोटे सिंचाई के साधनों को प्रोत्साहन देना।]

[] ये कटौती के प्रस्ताव सदन में उपस्थित नहीं किये गये, किन्तु उपस्थित किये गये माने गये।

कुंवर श्रीपालसिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को बड़े गौर से सुना और मुझे एक बात यह प्रतीत हुई कि उन्होंने इस बात पर अधिक जोर दिया कि लोग गांव में जाकर किसानों को इस बात के लिये समझाएं कि वह अपने खेतों पर अपने-अपने कुएं बनाकर सिंचाई की अलग-अलग योजनाएं कायम करें। मैंने श्रीमन्, १९५७ में इसी सिंचाई अनुदान के कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुए यह सुझाव दिया था कि चूंकि बोवाई और जोताई के साधन अलग-अलग हैं, जब तक सिंचाई के साधन अलग-अलग नहीं होंगे कभी उपज नहीं बढ़ेगी। वह बात अपनी जगह पर सत्य है, मगर सवाल यह पैदा होता है कि कोई योजना कब तक कायम रहेगी। हमारी सरकार की योजनाओं की रहट जब चलती है उसकी एक बाल्टी खाली नहीं हो पाती तब तक दूसरी बाल्टी आ जाती है। श्रीमन्, जमींदारियां खत्म हुईं तो लोगों से यह कहा गया कि उपज तभी बढ़ेगी जब लोगों का भूमि पर पूरा अधिकार होगा, क्योंकि वह उसमें इंटेरेस्ट ज्यादा लेंगे और इस प्रकार उपज बढ़ेगी। फिर भूमिधरी कायम हुई। भूमिधरी का समय समाप्त भी नहीं हो पाया था कि चकबन्दी आ गयी। वह भूमिधरी की सनदें अब लिफाफों के रूप में परिणित हो गयी हैं। यह देखिये, यह भूमिधरी की सनद है जिसके लिफाफे बन-बन कर उसमें चिट्ठियां आती हैं, यह उसकी इज्जत हुई। चकबन्दी अभी चल ही रही थी, लोगों के खेत इकट्ठे हो भी नहीं पाये थे, लोग यह सोच रहे थे कि हमारे खेत इकट्ठे हो जायेंगे, उनमें खाद-पांस डालेंगे और अच्छी उपज पैदा करेंगे तब तक एक नया प्रस्ताव सामने आ गया सहकारी खेती वाला। हालांकि हमारे मंत्री जी ने विरोध तो उसका जरूर किया नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में, मगर उनकी बात नहीं मानी गयी। सहकारी कृषि की बात महान् नेता की है, उसके सामने किसी की कोई चल नहीं सकती है। मैं समझता हूं, मेरे माननीय मंत्री जी को भी मजबूर हो कर सहकारी खेती के लिये प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो उस चीज को देखते हुए यह अलग अलग जो कुएं बनाये जायेंगे उनमें जो मेहनत और पैसा खर्च होगा वह बिलकुल बेकार जायगा, इसलिये उसको प्रोत्साहन देना मेरे खयाल से कतई ठीक नहीं होगा। अब तो बड़ी स्कीमें ही होनी चाहिये, नहरों और ट्यूबवेल्स की, क्योंकि सहकारी फार्म्स के लिये जो बड़े-बड़े होंगे उनकी सिंचाई के लिये बड़े-बड़े साधनों की ही आवश्यकता होगी।

अब मैं, श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं, कि एक पत्रिका कल बंटी सिंचन विभाग की तरफ से उसके कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसमें परिशिष्ट 'क' में सन् १९४१-४२ के आंकड़े हैं। वही सन् ४२ जिसमें देशभक्तों के रक्त से पृथ्वी सींची गयी थी। वही सन् ४२ जिसमें भारत ने अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। वही सन् ४२ जिसमें आजादी के लिये एक लहर उठी थी, उस समय हमारे देश में इस तालिका में दिया है वास्तविक क्षेत्र जो बोया गया ३,५५,४४,७१९ एकड़ और सब प्रकार की सिंचाइयों द्वारा सिंचित क्षेत्र था ६०,२४,५९७ एकड़। यानी बोई गई भूमि की लगभग १६·९ परसेंट सिंचाई हुई। और सन् ५६-५७ का जो आंकड़ा इसमें दिया हुआ है वह है ४,०२,६४,३३५ एकड़ वास्तविक बोया गया क्षेत्र और सब प्रकार की सिंचाइयों द्वारा सिंचित क्षेत्र है ६५,३१,९०२ एकड़। इसके माने बोई गई भूमि का १६.२ प्रतिशत सिंचन हुआ। तो सन् १९४२ में जबकि अंग्रेज यहां मौजूद थे, जब हमारी राष्ट्रीय सरकार नहीं बनी थी, जब हमारी योजनायें कार्यान्वित नहीं हुई थीं उस समय समारी सिंचित भूमि १६.९ परसेंट थी और आज तमाम सिंचाई योजनायें चलने के बाद केवल १६·२ परसेंट सिंचाई हुई, यानी उस वक्त से इस वक्त सिंचित क्षेत्र कम हैं। और मैं यह भी, श्रीमन्, कह दूं कि केवल पिछले ४ वर्षों में सिंचाई योजनाओं पर १५,९२,७३,००,००० रुपया इस सरकार ने खर्च किया है तब यह हाल है। तो यह तो रही हमारी प्रगति इतने खर्च के बाद।

अब मैं सिंचाई विभाग के प्रशासन के ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहता हूं। मैं अपने ही क्षेत्र की बात निवेदन करता हूं। मेरे क्षेत्र में नहरें बनायी गयीं, खुदाई हो रही थी, पुल बन रहे थे, कहीं कहीं नहरों के दोनों तरफ के बन्धे नहीं तैयार हो पाये थे। बिला किसी

इत्तला के एक रोज पानी का रिहर्सल हुआ, यानी पानी नहर में यह देखने के लिये छोड़ा गया कि कहां जायगा। श्रीमन्, एक गांव हरिहरपुर है नहर के किनारे। रात के ८ बजे वहां नहर में पानी पहुंचा। बन्धा उस गांव की तरफ का नहीं बना हुआ था। नहर में आगे पानी जाने के बजाय गांव की ओर घूम गया। गांवों में लोग भोजन करके ८, साढ़े ८ बजे तक सो जाया करते हैं। रबी की फसल जम रही थी उस वक्त का किस्सा है। पानी निकला, पर एक तालाब में भर गया। उसके बाद गांव में घुस गया। तमाम खेत चौपट हो गये। सुबह जब उस गांव के रहने वाले चारपाई पर से धरती पर पैर रखने के लिये उठे तो चब्भ से पानी में डूब गये। यह दशा है हमारी नहरों की। पानी था खेतों को सींचने के लिये और सींचने लगे घर।

अब श्रीमन्, मैं थोड़ा सा नहर विभाग के पतरौलों के बारे में भी कुछ निवेदन कर दूं। वे यह लिखते हैं कि नहर से कितने खेत सींचे गये और कितना पैसा उनका सिंचाई का हुआ, इसकी वे पर्चियां वगैरह बांटते हैं। करते ये लोग यह हैं कि गांव में एक जगह खड़े हो गये और चरवाहे वगैरह जो होते हैं उनसे पूछ लिया कि यह किसके-किसके खेत हैं, उन्हीं का नाम लिख दिया चाहे पानी गया या नहीं गया। मैंने ५, ६ महीने पहले पचासों दरख्वास्तें इस किस्म की लाकर मंत्री जी के यहां दी थीं, मालूम नहीं कि उनकी जांच हुई या नहीं। एक वाकया मुझे ऐसा याद है कि एक साहब थे, उनको ५० नम्बर के खेत के लिये सिंचाई का पर्चा मिला। लेकिन वह ५० नम्बर का खेत उनका था ही नहीं। अब वे लटके-लटके घूमे। इतना ही नहीं, जैसा मैंने निवेदन किया, नहर काटी, पानी उसमें से निकला एक तालाब में गया, फिर दूसरे में गया और उसमें से तीसरे में गया और फिर तीसरे तालाब से लोगों ने अपने खेतों में पानी लिया तो उनको सरकारी नोटिस मिला कि आप सिंचाई के लिये दाम दें। नहर से मील भर दूर जो खेत हैं उनको भी परवाना मिला कि तुम भी सिंचाई के दाम दो क्योंकि नहर का पानी एक तालाब में गया, उसमें से दूसरे में गया और फिर तीसरे में गया और चाहे वह किसी की गलती से गया, लेकिन वह नहर का पानी था इसलिये सिंचाई के दाम दो। इस किस्म से पतरौल आजकल नहर विभाग में राजा ही बन गये हैं। जो चाहता है वह अपने मन की बात किया करता है। इन सब चीजों को देखते हुये श्रीमन्, यह समझ में नहीं आता है कि आखिर इन चीजों का खात्मा कैसे होगा। श्रीमन्, हमारी सरकार की नीति ही ऐसी है कि आज कुछ है और कल कुछ है और एक अजीब हड़बंग सा मचा हुआ है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या करना पड़ेगा। इसलिये कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता है। सरकार की नीति को समझना ब्रह्मा का लेख हो गया है।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त हम लोग सरकार के मुसाहब हैं। कुछ तो हां में हां मिलाने वाले हैं, कुछ झगड़ा करने वाले हैं और कुछ लोग बीच का रास्ता पकड़ने वाले हैं, लेकिन बात किसी की नहीं मानी जाती है। यहां होता क्या है? वह यह है कि—

"लाख सर मारो तुम पर इससे यहां क्या होता है।
होता है वही जो तय केबिनेट से हुआ होता है।"

श्री अधिष्ठाता—अभी राजनारायण जी ने प्रश्न किया था कट मोशन के बारे में। मेरे पास कल की प्रोसीडिंग्स हैं। इसमें माननीय राजनारायण जी से माननीय उपाध्यक्ष ने कहा "माननीय राजनारायण जी। समय आपके लिये बहुत कम है। केवल दस मिनट है।"

[श्री अधिष्ठाता]

तो राजनारायण जी ने कहा कि "तय हो गया है क्या ?" इस पर श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि "जी हां, माननीय अध्यक्ष ने सम्भवतः सुबह तय कर दिया है।" इस पर राजनारायण जी ने कहा कि "हमको यह मालूम नहीं था।" उपाध्यक्ष जी ने कहा कि "आपको गलतफहमी हो तो दो चार मिनट और दे दिया जायगा आपको।" राजनारायण जी ने कहा कि "सम्पूर्ण अनुदान के अधीन....." इस पर श्री उपाध्यक्ष ने कहा "कि उसकी आवश्यकता नहीं है। आप भाषण करें। बाद में उस पर मत ले लिया जायगा।" प्रोसीडिंग्स से जाहिर है कि कोई कटमोशन पेश नहीं हुआ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं स्पष्ट कर दूं। मेरा मतलब यह था कि कल एक मोशन गेंदासिंह जी का था, एक दूसरे सज्जन का था और हमारा था तो माननीय उपाध्यक्ष ने यह कहा कि आपके और उनके मोशन्स का एक ही मकसद है। इसीलिये मैंने कल का एजेंडा भी मंगाया है और उपाध्यक्ष महोदय ने उसी सिलसिले में लोगों को बुलाया, उसको भी आप देखें। इसलिये इसका मतलब यह हुआ कि सब मोशन्स पर अलग-अलग वोट लिये गये तो कट मोशन मूव करने वालों पर समय का प्रतिबन्ध नहीं लगा। हमने इसीलिये इसको स्पष्ट कर दिया कि कट मोशन मूव हुये और वोट लिये गये। अगर मूव न हुआ होता तो वोट कैसे लिये गये ?

श्री अधिष्ठाता---आप कृपा कर बैठिये। इसमें अध्यक्ष महोदय की रूलिंग है। उसमें यह है कि "यह नियम रहेगा कि जो भी कटौती के प्रस्ताव हैं उनके लिये यह मान लिया जायगा कि वे उपस्थित किये जा चुके हैं, उनके बारे में आप बहस कर सकते हैं लेकिन उत्तर केवल गोविन्दसिंह जी विष्ट देंगे जिन्होंने पहला कटौती का प्रस्ताव रखा है। सातवां कटौती का प्रस्ताव श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह का है, उसके बारे में ऐसा समझा जायगा कि वह उपस्थित नहीं किया गया क्योंकि वह मौजूद नहीं हैं। बाकी ४ के लिये यह समझा जायगा कि वे उपस्थित कर दिये गये हैं, उनके ऊपर भाषण किये जा सकते हैं।' आपने जो कहा कि मैंने पेश किया और राय ली गई तो अब भी वह पेश किया हुआ माना जायगा और वोट लिये जायेंगे और फैसला देने का अधिकार रहेगा और समय केवल १० मिनट रहेगा।

श्री राजनारायण---यह किसने व्यवस्था की ? यह व्यवस्था माननीय अध्यक्ष की, हम लोगों के बीच की नहीं है। हमारा जो आपसे मतभेद है वह महज इतना है कि हमारा कटमोशन अलग-अलग वोट होगा। मगर आप कह रहे हैं जो पहले कटमोशन मूव करेंगे वह २० मिनट बोलेंगे, बाकी जिनके नाम और कटमोशन होंगे...

श्री अधिष्ठाता---वह तो समय को रेगुलेट करने के लिये ऐसा किया गया है। अध्यक्ष महोदय यह भी कर सकते थे कि २० मिनट...

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय यह भी कर सकते थे तो हम भी यह कर सकते थे कि न बोलें और चले जायं या डिवीजन काल करें।

श्री अधिष्ठाता---यह तो अध्यक्ष का अधिकार है।

श्री राजनारायण---कुछ अध्यक्ष का अधिकार है और कुछ सदस्यों का अधिकार है। मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष भी अपने अधिकार पर ठीक से रहें और सदस्य भी। अगर दोनों तरफ से तनाव का वातावरण पैदा हो गया जैसा कि होना चाहता है, तो सब की मर्यादा पर असर

पड़ेगा । इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि समय पर प्रतिबन्ध आप न लगाएं क्योंकि हम लोगों के पास मैटर हैं । हम चाहते हैं कि इस पर खुल कर बहस हो चाहे एक दिन और ले लिया जाय । और अगर सारी बातों पर कहने से रोका जायगा तो यह स्थिति थोड़ी-सी हमारे लिये असह्य जरूर होगी ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—मान्यवर, जिस प्रश्न पर आपने व्यवस्था दी मैं उस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो फारेस्ट का अनुदान रखा गया था और उस पर माननीय गोविन्दसिंह बिष्ट जी ने कटमोशन रखा था उस पर उन्होंने यह आज्ञा जरूर दी थी कि एक कटौती का प्रस्ताव रखा जायगा, लेकिन माननीय गोविन्दसिंह बिष्ट को भी दस मिनट मिले थे और दूसरे सदस्यों को भी दस मिनट मिले थे । समय का बटवारा बराबर हुआ था ।

श्री अधिष्ठाता—१० मिनट साधारण तौर पर रहेगा लेकिन अध्यक्ष के अधिकार से वह बढ़ाया जा सकता है ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी कि समय कितना है ?

श्री अधिष्ठाता—आप दस ही मिनट बोलें ।

श्री राजनारायण—अगर आपका भाषण बढ़िया होगा तो आपके लिये भी समय बढ़ा दिया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—उनकी तरफ से आपको वकालत करने की जरूरत नहीं है । वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं ।

श्री राजनारायण—इस सदन का प्रत्येक सदस्य दूसरे के अधिकारों की सुरक्षा की बात उठा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—मगर जब वह मौजूद हैं तो स्वयं अपने अधिकार की रक्षा कर सकती हैं ।

श्री राजनारायण—अगर वह जागरूक न हों ?

श्री अधिष्ठाता—वह जागरूक हैं ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल हमें सभी प्रस्तावों पर समय बराबर मिला था । मैं प्रार्थना करती हूं कि मुझे कुछ समय अधिक देने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता—आप भाषण करें ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे सामने ऐसा विषय है जिसका सम्बन्ध उत्तर प्रदेश की जनता के जीवन से है । जीवन की सर्व प्रथम प्राथमिक

[कुमारी श्रद्धा देवी शास्त्री]

आवश्यकता भोजन है । श्रीमन्, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ड्रेनेज के लिये ९ करोड़ रुपये की धनराशि को घटा कर ८ करोड़ रुपया कर दिया गया है । मान्यवर, चालू वित्तीय वर्ष के लिये १ करोड़ रुपये की ही धनराशि है । मेरी आपके द्वारा सदन से और माननीय मंत्री जी से जो कि दुर्भाग्य से उपस्थित नहीं हैं, इसलिये उपमंत्री जी से प्रार्थना है कि इस स्कीम को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाय । इस स्कीम को, ड्रेनेज की स्कीम को युद्ध स्तर पर लिया जाना चाहिये । मैं ऐसा क्यों कहती हूं ? मान्यवर, एक तरफ हम सिंचाई के साधनों के द्वारा नयी जमीन को सिंचन के अन्तर्गत लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारी सरकार ने अरबों रुपया खर्च करके नहरों, नलकूपों, नालियों, खाद, बीज आदि सभी चीजों की सहायता से जमीन को उर्वरा बनाया है । मान्यवर, पानी रुकने के कारण हमारी वह उपजाऊ और उर्वरा जमीन सन् १९५५ से पश्चिमी जिलों में जो कि अन्न के भंडार कहे जाते थे, जहां पर कि फी बीघे तीन, चार, पांच मन अन्न होता था वह बिलकुल पानी से घिरी हुई है । मान्यवर, यदि इस जमीन को न बचाया गया और आगे नये सिंचन पर खर्च करते गए तो खर्च बढ़ता चला जायगा, और जैसे कि उत्पादन दिन प्रति दिन घटता जा रहा है घटता जायगा, और प्रदेश पर कर्जा बढ़ता चला जायगा । अन्धी पीसे पीसना कुत्ता खाये जाय । हालत वही होगी ।

श्रीमन्, मैं इसी विभाग के दिये हुए आंकड़ों के आधार पर इस ड्रेनेज की समस्या को सर्वप्राथमिकता देने के कारण देती हूं । इसी विभाग ने सन् १९५८ में १,८६,००० एकड़ जमीन को बचाया है । ४३३ मील लम्बे नाले खोदे हैं और श्रीमन्, आज भी ५४ लाख एकड़ जमीन जलमग्न है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ३५,०७,००,००० रुपया नयी जमीन की सिंचाई पर सरकार खर्च करने जा रही है जिससे २१ लाख एकड़ जमीन अगले वर्षों में सिंचेगी और इससे तिगुनी लगभग ५४ लाख एकड़ जमीन से अधिक आज पानी से जलमग्न है जिसकी क्षति ५ हजार मकानों की लागत में नहीं निकाल सकी, लेकिन ५४ लाख एकड़ जमीन डूबी हुई है, २२,४०८ गांव डूबे, ४४१ जान गई, १९३१ जानवर मरे । कीमत मकानों की २०० रुपया फी मकान लगायें तो ढाई करोड़ रुपया, जानवरों की कीमत, श्रीमन्, ढाई सौ में एक बैल आता नहीं, लेकिन ढाई सौ के हिसाब से भी लगायें तो ५० लाख और ५४ लाख एकड़ जमीन जिस पर पानी भरा है उसकी क्षति लगभग ढाई अरब होती है, योग बैठता है ३ अरब ५३ करोड़ । यह सब कुछ ड्रेनेज के न होने के कारण है । तो श्रीमन्, यह विभागीय आंकड़े हैं । मैं मानती हूं विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे नहीं हैं । मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कह रही हूं । जहां पर कि हमारे जिले में माननीया प्रकाशवती जी जैसी वृद्धा गांव-गांव में जाती हैं पानी के जमाने में, उस वक्त इस विभाग के अधिकारी बंगलों के अन्दर होते हैं । तो मैं उनके आंकड़ों को सही नहीं मान रही हूं । उन्हीं आंकड़ों के आधार पर ३ अरब ५३ करोड़ रुपया कीमत आती है ।

मान्यवर, मैं अब मेरठ डिवीजन की बात रखना चाहती हूं । मुझे लगता है कि इस विभाग के अधिकारियों के या तो दिल नहीं है, राष्ट्रीय भावना नहीं है या मैं समझती हूं कि वे इंजीनियर्स नहीं हैं । समस्या बहुत सीधी है । श्रीमन्, गांव का छोटा-सा आदमी जानता है, सब जानते हैं कि पानी क्यों रुकता है ।

सब को पता होता है कि पानी रुकता है सड़कों की वजह से, पानी रुकता है नहरों, बम्बों और पुलों की वजह से । मान्यवर, मैं सर्वप्रथम नालों के खोदने की बात नहीं कहती किन्तु यदि जरा बुद्धि से काम लिया जाय और मौके पर जाकर जांच की जाय तो मैं विश्वास के साथ यह कहती हूं कि यह कठिनाई सामने न आये । सब से पहले नालियों के पुल चौड़े होने चाहियें जिससे पानी सुविधा से निकल जाय ।

मेरठ डिवीजन के जिले मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील, मेरठ की मवाना तहसील, हापुड़ तहसील मेरठ और बुलन्दशहर जिले के गांवों में ये २, ३ नाले हैं जिनकी वजह से यह आफत

आई। मैंने सन् १९५५–५६ में जिस समय में एम० एल० ए० नहीं थी तो उस समय मैंने यह आशंका प्रकट की थी कि यदि इन नालों पर पुल नहीं बनाये जाते तो इनसे २, ३ जिले बरबाद हो जायगे। अगस्त, १९५७ में चीफ इंजीनियर साहब और मुख्य मंत्री जी को इन नालों की शिकायत लिखकर दी थी। मेरी बात नहीं सुनी गई। वह ठीक नहीं हुये और उसका परिणाम यह हुआ कि ये तीनों जिले बरबाद हुये। मेरठ डिवीजन बरबाद हुआ इस डिपार्टमेंट की भूल से। अब सन् १९५८ में भी, जो नाले खुदे हैं मैंने उन नालों को श्री कैलाश प्रकाश जी को जो डिप्टी मिनिस्टर थे, उनको दिखाया था। जिले के जो एक्जिक्युटिव इंजीनियर मिस्टर आर० सी० अग्रवाल थे उनको भी दिखाया था, लेकिन वह नाला अब भी अधूरा पड़ा हुआ है। उसका नतीजा यह है कि ३,४ मील तक पानी भरा पड़ा है। नाले की जो सतह है वह उपज की जमीन की सतह से ऊंची है। इस वजह से वहां पर हजारों एकड़ जमीन में ३,४ मील तक पानी दिखाई देता है यह इस डिपार्टमेंट की वजह से पानी की लपेट में हैं। मैंने देखा है कि बहादुरपुर, गावड़ी, ढिकौली, बली, रामनगर, इकला, खानपुर, परीक्षितगढ़, गांवड़ा, कैला, राड़धना, भगवानपुर, महलवाला, शहाजहांपुर, किठौर, माछरा, सोनीपुर, स्वामीपुरा इन सब गांवों में आज पानी भरा पड़ा है। और बहुत बरबादी हुई। मान्यवर, हापुड़ से बक्सर दतियाना का सारा इलाका बुलन्दशहर तक पानी से भरा हुआ है। इनमें छोटी-छोटी पुलियां थीं जिनकी वजह से पानी निकल नहीं सका और इस सारे इलाके में भर गया। इसकी जांच करली जाय तो मालूम होगा कि वहां पर कितनी तबाही हुई है। वहां की दशा देखकर दिल भर जाता है और गुस्सा आता है। इस विभाग के इंजीनियर को लिखते-लिखते और कहते-कहते थक गई। श्री अग्रवाल एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को इस बारे में कई बार कहा मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। राडधना की ड्रेन १० फुट चौड़ी है लेकिन उसके जो ६ साइफन लगाये गये हैं वह बहुत छोटे हैं। मान्यवर, इस क्षेत्र में चोया है, मुजफ्फरनगर, जानसठ तहसील मवाना, हापुड़-मेरठ, बुलन्दशहर तक यह जमीन पानी उगलती है। आज भी चोये के कारण मकान जमीन में घुस जाते हैं, आज भी जानवर जमीन में धंस जाते हैं। बहादुरपुर गांव में बली ड्रेन है उसके जो साइफन लगाये गये हैं वह भी इतने छोटे हैं कि उससे पानी नहीं निकल पाया जिससे आज भी गांव डूबा पड़ा है। किठौर में इनकी कोठी के सामने ही सड़क पर जो साइफन है वह भी २ फुट ऊंचे पर है। मैं इंजीनियर साहब के सामने सर पटक कर हार गई कि ये साइफन बहुत छोटे हैं इनका कुछ इन्तजाम होना चाहिये जिससे पानी निकल सके। एक बार भूतपूर्व डिप्टी मिनिस्टर कैलाशप्रकाश जी और इंजीनियर अग्रवाल साहब को लेकर वहां गई और उनको वहां पर दिखाया कि इसकी वजह से यह तबाही आती है, लेकिन अभी तक कोई उसका उपाय नहीं किया गया। इस समय माननीय मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि इस जटिल समस्या पर ध्यान दिया जाय। कभी उनको उन गांवों में ले जाने की तकलीफ दूंगी। मान्यवर, उनकी तकलीफों को देख कर दुख होता है।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, इन नालियों की वजह से ही कुल ८।। लाख टन की कमी सन् १९५८ में बतलाई गई है। मैं कहती हूं कि हमारे यहां फी एकड़ ३०, ३५ मन तो होता ही होगा अगर हम मेरठ जिले को ले लें, १० लाख टन गल्ला और डिवीजन का लगायें तो कम से कम यह ३० लाख टन गल्ले की कमी है। कौन जिम्मेदार है इसका ? मैं, श्रीमन्, अधिक व्योरे में न जा कर कहूंगी कि इस ड्रेनेज की स्कीम पर अधिक से अधिक खर्च होना चाहिये और इसके लिये माननीय उपमंत्री जी नोट कर लें। जब तक नाला खुदवाने के लिये जल्दी से जल्दी जमीन एक्वायर नहीं की जायगी, कठिनाई बनी रहेगी। जमीन शीघ्र एक्वायर करने के लिये माननीय मंत्री जी कानून में शीघ्र परिवर्तन लायेंगे ऐसी मुझे आशा है। उस समय तक हमारी उपज नहीं

[कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री]

बढ़ सकती । दूसरे एक कठिनाई टेल की है । जो गूलें हैं उनकी टेल पर दोहरी मार पड़ती है । पानी जब चाहिये तो पानी नहीं मिलता और जब पानी नहीं चाहिये तो डुबा देते हैं। तो कितनी क्षति होती होगी, इसका विभाग अंदाजा नहीं लगा सकता । मान्यवर, अगर किसी किसान को जब पानी की जरूरत है तब तो मिलता नहीं जब नहीं है तब मिलता है । और एक बार भी पानी लिया तो आबपाशी पूरी देनी पड़ती है । दूसरी बार समय पर पानी नहीं मिलता। जब पानी समय पर नहीं मिलता तो उपज घटेगी या बढ़ेगी । इसका पूर्ण प्रबन्ध होना चाहिये । आबपाशी पूरी नहीं होने पाती । तीसरी चीज मैं यह कहूंगी कि बहादुरपुर, रामनगर, इकला, परीक्षितगढ़, भगवानपुर और महलबाड़ा आदि गांवों में जो मु ीबत है, जो डूबे हुये हैं सन् १९५५ से उनके लिये लिखते-लिखते थक गयी, उनकी आबपाशी माफ होनी चाहिये । जमीन बोयी नहीं जाती और अगर बोयी जाती है तो चोया उगती नहीं, उगती है तो मर जाती है । जमीन पानी उगलती है । मुजफ्फरनगर की जानसठ, मेरठ की मेरठ, हापुड़ और बुलन्दशहर तहसील में एक पट्टी बनती चली गयी है । छोइया नाले के बीच और बुलन्दशहर को जाने वाली अनूपशहर नहर के बीच यह पट्टी है । इस के लिये आबपाशी माफ कराने की बराबर दरख्वास्तें दीं, लेकिन कुल मिलाकर २६० रुपया माफ हो कर आया । आज भी कोई आदमी ऐसा नहीं होगा कि जो मेरी बात को सही मान सकता हो । लेकिन मैं अभी पैदल यात्रा से आयी हूं, जिन गांवों का नाम मैंने लिया है उनमें आज भी मकान गिरते हैं, जमीन धंस जाती है । यह हालत है कि आप गांव में जा नहीं सकते । गांव लंका बने हुये हैं, डूबे हुये हैं । श्रीमन्, सिर्फ दो तीन नालों की वजह से यह हाल है । यदि इन नालों के साइफन ठीक कर दिये जाते, हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर और मेरठ से गढ़मुक्तेश्वर रोड के पुल अगर चौड़े कर दिये जाते तो शायद इतनी बड़ी क्षति न होती और न जैसा आज मेरठ डिवीजन में ३० प्रतिशत लोग एक समय खाना खा रहे हैं, यह नौबत आने पाती ।

हमारी सहानुभूति पूर्वी जिलों के साथ रही है, हम हमेशा कमाते रहते हैं और पूर्वी जिलों को देते रहते थे । एक साधारण बात होती है कि परिवार में जो कमाऊ होता है, स्वस्थ होता है उसको अधिक स्वस्थ रखने की कोशिश की जाती है ताकि सारा परिवार ठीक से रह सके, उसे भोजन आदि मिल सके, किन्तु यहां सीधी सीधी समस्या को उलझा दिया गया । मान्यवर, समस्या तो सीधी है परन्तु विभाग की वजह से उलझ गयी है । अंत में मैं कहूंगी कि माननीय मंत्री जी ने कहा और कहेंगे कि रुपया नहीं है । नंगी क्या ओढ़े क्या निचोड़े । रुपया नहीं है। सवा अरब का बजट जिसके अन्तर्गत सिंचाई के लिये ड्रेनेज की सबसे प्रथम आवश्यकता है लेकिन उसके लिये रुपया नहीं है । लेकिन १ लाख नये बजट में पुलिस टेन्टों को रुपया है, स्टैडियम के लिये और म्यूजियम के लिये फिजूलखर्ची रोकी जाय ।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया ।

स्वामी विश्वश्रावनन्द---माननीय अधिष्ठाता महोदय, अनुदान संख्या ४६, १० और ११ पर जो कटौती के प्रस्ताव आये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अधिष्ठाता महोदय, एक बात का मुझे बहुत दुख है कि एक तरफ इतनी गम्भीर समस्यायें प्रदेश में हैं और दूसरी ओर मेहनतकश जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है । आज योजनाओं पर कितना नुकसान हो रहा है, मैं मिसाल के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि पिछले ५ वर्षों में ट्यूबवेल की योजना में सरकार का ५ करोड़ रुपया बरबाद हुआ है । पिछले वित्तीय वर्ष में भी २ करोड़ ४१ लाख रुपये का नेट लास प्रस्तावित है । यह क्यों ? मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आखिर इसकी क्या वजह है ? सन् १९५७-५८ में २ करोड़ ३८ हजार रुपये का नुकसान हुआ । तो एक तरफ सिंचाई की योजना में सरकार देश का करोड़ों रुपया बरबाद कर रही है और दूसरी तरफ लाखों एकड़ जमीन जो बरबाद हो रही है उसके लिये एक पाई भी नहीं है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सिंचाई

करने की जितनी कैपेसिटी ट्यूबवेल्स की है, क्या वजह है कि किसान उसका कुल एक बटा चार ही पानी ले पाता है ? क्या कभी इस बात की जांच की गई है कि क्यों किसान पानी नहीं लेता ?

इसी तरह से श्रीमन्, नहरों की सिंचाई का सवाल है । जबसे सरकार ने नहर कर बढ़ाया है तबसे बराबर नुकसान होता चला आ रहा है । १९५७–५८ में २३ लाख ७ हजार रुपये का नुकसान हुआ । उससे पहले डेढ़ करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था । मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ सरकार गरीबों के ऊपर टैक्सों का बोझ लादती चली जा रही है और दूसरी तरफ नुकसान उठा रही है और फिर यह कहा जाता है कि यह कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, समाजवादी ढंग की सरकार बनाने जा रहे हैं । आखिर उसकी रूपरेखा क्या है, यह अभी तक साफ नहीं हो सका है । किसान और गरीब खेतिहर मजदूर भूख से चिल्ला रहे हैं और माल मंत्री महोदय कहते हैं कि पेट पर पट्टी बांध कर काम करो । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने भी कभी अपने पेट पर पट्टी बांधी है, आपने कभी अपनी कोठी को छोड़कर उस टूटी झोपड़ी का सहारा लिया है ? हरगिज नहीं । किसानों को नसीहत देते हैं उस टूटी झोपड़ी में लगातार रहने के लिये जिनकी कमाई पर यहां दिन में उजाला हो रहा है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा अभी माल मंत्री जी ने इस अनुदान की मांग करते समय कहा कि अब छोटी सिंचाई की योजनाओं की तरफ तवज्जह दी जा रही है और कानून में काफी सुविधा दी गई है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां चकबन्दी हो रही है वहां पर ही कुओं का इन्तजाम भले ही हो लेकिन पूरे प्रदेश भर में छोटी सिंचाई की योजनाओं के लिये सरकार ने क्या किया है, उसका पता अभी तक कुछ नहीं चल पाया है । होता यह है कि कुवों के लिये जो कुछ थोड़ा बहुत रुपया दिया जाता है, या बीज और रहट के लिये दिया जाता है वह सब जाता है बड़े बड़े किसानों को जिनके पास हजारों और सैकड़ों बीघे की जमीन हैं, उन छोटे किसानों को नहीं दिया जाता है जिनकी संख्या लगभग ८० फीसदी है और जिनके लिये हमने माल मंत्री जी से, सिंचाई मंत्री जी से और जिले के अफसरों से कहा । क्या कभी सिंचाई मंत्री जी ने इस बात के भी आंकड़े जमा किये हैं कि जो हजारों मील लम्बी नहरें और माइनर उन्होंने बनाई हैं उनमें कितना पानी दिया जाता है ? बहुधा वह आंकड़े यहां पेश किया करते हैं । आज खेत सूख क्यों रहे हैं ? मैं तो कहूंगा कि इस समय पानी का औसत घट रहा है । जितने भी एस्टीमेट इस सरकार के बनते हैं वे अक्सर बढ़ जाते हैं । मिसाल के तौर पर माताटीला का एस्टीमेट शुरू में ४, १/२ करोड़ का था जो बढ़ते-बढ़ते १३ करोड़ का हो गया । इसी तरह की बहुत सी मिसालें हैं जिनमें अरबों रुपया फूंक दिया गया जबसे यह सरकार गद्दी पर बैठी है और यह बापू की दुहाई हर समय जनता के सामने देती है कि वह इसे रास्ता दिखा रहे हैं । श्रीमन्, इस चित्र की कीमत मैं बतलाऊं । थानों में भी ऐसे ही चित्र होते हैं जिनकी आड़ में वहां का मुन्शी कहता है कि अब ५ रुपये से कम रिपोर्ट लिखाने का नहीं लगेगा, यद्यपि इस चित्र की जो यहां टंगा है कीमत तो बहुत ज्यादा है । लेकिन इस चित्र की कीमत उस थाने वाले चित्र से ज्यादा नहीं है । क्या कभी कोई जांच कमेटी इस सरकार ने बैठाई है और अगर बैठाई है तो उसकी रिपोर्ट हमारे सामने अभी तक क्यों नहीं आई ? इंजीनियरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है । ५ चीफ इंजीनियर हमारे यहां हैं जबकि पी० डब्ल्यू० डी० में एक ही चीफ इंजीनियर काम कर रहे हैं । कुनबे के और अपने ही लोगों को आबाद किया जा रहा है और गरीबों की तरफ तवज्जह नहीं जाती है । जितना रुपया बजट में रखते हैं उसका आधा भी मुश्किल से खर्च होता है और फिर कहते हैं कि समय निकल गया ।

[श्री शिवराम पाण्डेय]

श्रीमन्, गरकी के लिये इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं रखी गयी है । यह इतनी बड़ी समस्या हमारे सूबे में है कि इससे बहुत हानि हो रही है, लाखो आदमी भूखो मरने की नोबत में हैं, कपड़ा और मकान उनके पास नहीं है, फिर भी सरकार इस ओर तवज्जह क्यों नहीं दे रही है ? जैसा कि पंजाब सरकार ने बाढ़ और वाटर लाॅगिंग की समस्या को टाप प्रायोरिटी देकर २० करोड़ रुपये की रकम इसके लिये रखी है वैसे ही इस सरकार को भी करना चाहिये । तभी वह ८० फीसदी देहात में रहने वालों को खुशहाल बना सकेगी और इससे उनकी माली हालत सुधरेगी वर्ना वे कर्जदार ही बनते जावेंगे । अभी कल परसों मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि उनको प्लानिंग के लिये रुपया कर्ज लेना होगा ? मुझे अफसोस है कि वह कर्जा लेने में खुश मालूम होते हैं । लेकिन यह कर्जा देना किसको पड़ेगा । आप जायज नाजायज तरीकों से टैक्स लगाते हैं । अमरूद, तम्बाकू और गन्ने के परीक्षण की सैकड़ों योजनायें चल रही हैं जिनमें करोड़ों रुपया बरबाद हो रहा है । ऐसी योजनायें हमें नहीं चाहिये । आपके बी० डी० ओ० साहेब और एक सीनियर फार्मिंग इंस्पेक्टर साहब एक गांव में जाते हैं और यह कहते हैं कि आपके यहां तो बथुआ बहुत ज्यादा होता है, आप इससे काफी लाभ उठा सकते हैं, अगर गाड़ी भर वे इसे बाजार में ले जाकर बेंच दें । इसी तरह बी० डी० ओ० साहब एक जगह गये और २० बीघे मटर की फसल को देखकर कहने लगे कि इसमें तो ८ हजार मन मटर होगी धिक्कार है ऐसे अफसरों को ।

श्री अधिष्ठाता—आप विषयांतर कर रहे हैं ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—बहुत अच्छा । मेरे यहां तहसील किरावली में एक नाला है जिस पर लगातार ५, ६ साल से काम हो रहा है लेकिन वह पूरा नहीं हुआ है, उसमें हजारों रुपया लग चुका है । कोई मंत्री तकलीफ नहीं उठाते कि अपनी आंख से देखें । जो कुछ अफसरों ने लिखकर भेज दिया वही वह कर देते हैं । मंत्री तो केवल उद्घाटन करने जाते हैं । मैं चाहता हूं कि वे राजा भोज और विक्रमादित्य की तरह गुप्त रूप से जाकर हालत को देखें ।

श्री रामदास आर्य—माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज ५ दिन के बाद मुझे यह १० मिनट का समय बोलने के लिये दिया गया है । मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में और जो कटौती के प्रस्ताव आये हैं उनके विरोध में अपने विचार रखता हूं । कारण यह है कि आज हमारे देश को, आज ही नहीं बल्कि सदैव अन्न की आवश्यकता होगी । आज अन्न की भारी कमी है और उसके उत्पादन के लिये जहां और साधनों की आवश्यकता है वहां सिंचाई के छोटे साधन की विशेष आवश्यकता है । गो सरकार ने सिंचाई के साधनों में काफी प्रयत्न किया और उन्हें बढ़ाया और उनसे पैदावार बढ़ाने का पूरा प्रयत्न किया, किन्तु जितना पैसा सिंचाई की योजना पर खर्च हुआ, विशेष तौर से ट्यूब-वेल्स पर, उनमें से बहुत से ट्यूबवेल्स बेकार हुये और उनमें काफी रुपया खर्च हुआ । बहुत से एरिया में पानी का कोई साधन नहीं है । विशेष तौर से छोटे साधन न होने के कारण पैदावार में भारी कमी हो रही है । अगर छोटे किसानों को छोटे सिंचाई के साधनों के लिये सहायता और तकावी दी जाय तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश की पैदावार न बढ़े । आज हमारे यहां ट्यूबवेल और नहरों से सिंचाई की जा रही है और उनके लिये काफी पैसा भी खर्च किया जा रहा है । ज्यादा अच्छा होता, जैसा कि कहा गया अगर पक्के कुओं के लिये पैसा खर्च किया जाता और उसके लिये तकावी देने के नियमों में कुछ सुविधा दी जाती । कुछ नियम ऐसे हैं जिनकी वजह से किसानों को बड़ी कठिनाई हो रही है । लेखपाल से कार्य कराने के लिये और तहसील में उसे बड़ा श्रम करना पड़ता है । अच्छा हो यदि सबकी दरख्वास्त मंगाई जाय और उन पर एक साथ ही निर्णय लिया जाय और जैसा मौका हो वैसी तकावी दी जाय । जैसा कि कहा गया यह सत्य है कि छोटे किसानों को तकावी नहीं मिल पाती है इसलिये सरकार छोटे किसानों को तकावी देने का प्रबन्ध करे और नियमों में सुगमता पैदा की जाय ।

इस विषय में एक सुझाव और दूंगा कि जो तालाब छोटे और बड़े गांव के नजदीक हैं, उनको गहरा और पक्का किया जाय ताकि जो बरसाती पानी हो उसमें जमा किया जाकर सिंचाई के काम में लाया जा सके । इसके अतिरिक्त छोटे किसानों को चरसे की भी बहुत जरूरत होती है, उसके लिये सरकार को चरसे की तकावी भी देनी चाहिये ।

तीसरी बात मुझे ड्रेनेज के सिलसिले में कहनी है । पश्चिमी जिलों में भी तीन सालों से फ्लड आने लगे हैं और वहां की जमीन पर पानी भर जाता है । मैं स्वयं वहां पर तगड़ी तगड़ी पानी में गया, गांवों में घूमा लेकिन वहां पर खेत पानी से भरे हुये थे और पानी का कहीं भी निकास नहीं था, खास तौर से जानसठ, रहकड़ा और खाजापुर तिसंग में बहुत पानी भरा हुआ था । हजारों एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ था । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह जमीन चोल की हो गयी है, उसका पानी निकास वे करने का प्रयत्न करें ।

(इस समय २ बजकर १७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त ने सभापति का आसन ग्रहण किया ।)

खाजापुर में नहर का पानी ज्यादा आ जाने से और बरसात का पानी भर जान स वहां पैदावार कतई नहीं हो रही है और हजारों एकड़ में पैदावार शून्य हो गयी है । अगर सरकार वहां से चोए को खत्म करने का प्रयत्न करे तो वहां पर पैदावार हो सकती है और बढ़ भी सकती है ।

अब मैं उन भूड़ों मरुभूमि का भी जिक्र करना चाहता हूं जहां पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है । वहां कुछ जमीन को पानी मिल जाता है लेकिन कुछ भूमि बिना पानी के रह जाती है और वह इसलिये कि कुलाबे छोटे कर दिये गये हैं । जहां ४ इंच के कुलाबे थे वहां ३ इंच के कर दिये गये और जहां ६ इंच के थे वहां ४ इंच के कर दिये गये । उस भूमि में पानी की कमी की वजह से पैदावार कम हो रही है, ऐसे स्थानों में सिंचाई का प्रबंध किया जाय या कुओं की व्यवस्था की जाय । मुजफ्फरनगर के ऐसे इलाके में सरकार ट्यूबवेल्स लगाने की व्यवस्था करे या जो लोग व्यक्तिगत ट्यूबवेल्स लगाना चाहते हैं, उनको सहयोग दे और जो लोग तकावी लेना चाहते हैं, उनको तकावी दे । वे जंगल जो कई सौ एकड़ बेकार पड़े हुये हैं, वहां पैदावार बढ़ सकती है । इस योजना के साथ मैं तो चाहता यह हूं कि इस प्रकार की सब चीजें दूर की जायंगी ।

अब जैसा ड्रेनेज के लिये कहा गया है कि सारे प्रदेश के लिये २४ लाख रुपये की रकम रखी गयी है, तो इससे कितने ड्रेनेज बन सकते हैं । मैं तो चाहता हूं कि नाले की योजना पूर्ण रूप से होनी चाहिये और यह योजना पूर्ण हो जाय तो अन्न का उत्पादन हमारे यहां अधिक होगा । जब जमीन हमारे देश में अच्छी हो जाय तो पैदावार तो बढ़ेगी ही । इसलिये सरकार को नालों पर ज्यादा रुपया खर्चा करना चाहिये । बरसाती पानी को भी निकालने का प्रबन्ध करना चाहिये तथा तालाबों को गहरा करके व सिंचाई के और तमाम साधनों को बढ़ाने की तरफ सरकार तवज्जह दे तो खेती की पैदावार बहुत बढ़ सकती है । यदि इस बजट मे उसके लिये रुपया नहीं रखा गया है तो भविष्य में जब इस प्रदेश का सप्लीमेंटरी बजट आवे तो उसमें भी सरकार कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा रुपया इसके लिये स्वीकार हो ताकि देश की पैदावार बढ़ सके और हमारे देश वालों को अन्न मिले । इन चन्द शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर पुनः विचार करे और इसके लिये अधिक धन की योजना की व्यवस्था करे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राजनारायण जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । श्रीमन्, जिस प्रकार सप्लाई विभाग में भ्रष्टाचार और पैसे के गबन का भयंकर आरोप उठाया गया था जिससे हमारा प्रदेश सहम उठा था, उससे भी अधिक इस नहर विभाग में भ्रष्टाचार है और राष्ट्रीय धन का जितना दुरुपयोग इसमें हुआ है उतने दुरुपयोग की कभी कल्पना भी नहीं हो सकती । इसलिये श्रीमन्, पहले मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों के सम्मुख एक बहुत बड़ी मिसाल रखूंगा जिससे साफ हो जायगा कि इस प्रकार का गबन और इस प्रकार राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग आज तक कभी नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी कोई जांच नहीं की गयी है और न सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही ही की गयी । श्रीमन्, अगर बजट को देखें तो उसमें दो बातें साफ दिखलायी पड़ती हैं कि दो तरह के खर्चे हैं । एक तो उत्पादक नहरों पर खर्च है और दूसरा अनउत्पादक नहरों पर खर्च है । उत्पादक नहरों पर तो पौने २ करोड़ खर्च हो रहा है और अनुत्पादक नहरों पर सवा २ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है । श्रीमन्, उस प्रदेश का कैसे हित हो सकता है जिसमें अनुत्पादक नहरों पर तो ज्यादा खर्च हो और उत्पादक नहरों पर कम खर्च हो । किसी प्रदेश में भी ऐसी मिसाल शायद देखने को नहीं मिलेगी । जहां तक अनुत्पादक नहरों की बात है शारदा नहर भी उसमें ही आती है ।

श्रीमन्, शारदा सागर बांध जो बना वह शारदा नहर में पानी बढ़ाने के लिये ही बना, लेकिन देखने की बात यह है कि गंगा नहर प्रति एकड़ पानी ८ फीट देती है जब कि शारदा नहर २ फीट प्रति एकड़ पानी देती है । इतने पानी के होते हुए भी शारदा सागर पीलीभीत में बना है ताकि शारदा नहर में पानी बढ़ाया जाय । श्रीमन्, यहां इस सम्बन्ध में मैं यह बतला दूं कि शारदा सागर बांध की तैयारी इस तरह से की गई कि जो सामान वहां मौजूद हैं, जो साधन वहां मौजूद हैं उनको छोड़ कर दूसरी जगह से सामान मंगाने पड़े । उस बांध का इंचार्ज एक मेकेनिकल इंजीनियर बनाया गया । जब कि जो ६ इंजीनियर बांधों की शिक्षा पाने के लिये अमेरिका भेजे गये थे उनके अमेरिका से लौट आने के बाद उनमें से किसी को उस बांध पर नहीं लगाया गया । तारीफ की बात यह है कि जो बांध वहां बन रहा है उसमें मिट्टी भी वहीं की इस्तेमाल होनी चाहिये थी लेकिन शायद किसी एक्सपर्ट ने बतला दिया हो कि वहां की मिट्टी अच्छी नहीं है, इसलिये बहुत दूर से मिट्टी लाकर वहां डाली जा रही है । मैं समझता हूं कि वहीं की मिट्टी वहां डालनी चाहिये थी । इसकी पुष्टि में श्रीमन्, अमेरिका के सबसे बड़े बांधों के एक्सपर्ट मिस्टर क्रीगर जस्टिन ने एक किताब लिखी है जो बांधों पर विश्व की सबसे उत्कृष्ट पुस्तक है उसका नाम है 'इंजीनियरिंग फार डैम्स' उसमें पृष्ठ ६५७ पर यह दिया हुआ है कि डैम्स सदैव वहीं की मिट्टी से बनाये जा सकते हैं । इस डैम में इस मान्यता को नष्ट करके बाहर से मिट्टी लाने का आयोजन किया गया, जिसके लिये मशीनों की जरूरत पड़ी और वे विदेशों से आईं जिसमें इस देश की केपिटल फंस गयी और बेकार हो गयी, क्योंकि उन मशीनों का फिर कोई प्रयोग होने वाला नहीं है ।

फिर यह बांध जो बनाया गया एक मेकेनिकल इंनीनियर के सुपरवीजन में बनाया गया, जब कि सिविल इंजीनियर की आवश्यकता थी । गवर्नमेंट बरेली वर्कशाप में जहां मशीनें व पुर्जे बनते हैं और जहां मेकेनिकल इंजीनियर की जरूरत थी उस समय वहां सिविल इंजीनियर नियुक्त किया गया था । चूंकि यह बांध एक मेकेनिकल इंजीनियर के सुपुर्द कर दिया गया लिहाजा इसका डिजाइन गलत हो गया । बांध जितना चौड़ा बनना चाहिये था उससे आधा बना । बांध के अन्त में फिल्टर डालना चाहिये था । बांध जब बनता है तो पानी का झरना रोकने के लिये फिल्टर अन्त में डाला जाता है । फिल्टर के लिये बालू और रेत डालते हैं ताकि मिट्टी छन कर न निकल सके, लेकिन फिल्टर नहीं डाला जा सका क्योंकि बांध पूरा चौड़ा नहीं बांधा गया था । २७ फुट ऊंचा पानी भर दिया गया क्योंकि उद्घाटन करना था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि बांध बहने (झरने) लगा और यह दिखाई दिया कि बांध टूट रहा है तो रोकने

की कोशिश की गयी और उसके लिये ५ लाख रुपया व्यय किये गये। इन ५ लाख रुपयों के अलावा २० लाख का फिल्टर डालना तो बाकी पड़ा ही है। इस तरह से ५ लाख रुपये बेकार गये।

इसी तरह से ब्लेकेट होता है जो जमीन से पानी ऊपर आने से रोकता है। जब पानी भर गया तो नीचे से जा कर बांध के बाहर पानी निकले इसके बचाव के लिये खराब मिट्टी के स्थान पर बाहर अच्छी मिट्टी डाली जाती है लेकिन ब्लेकेट के लिये गलत जगह पर मिट्टी डाली गयी और जिस जगह ब्लेकेट पड़ना चाहिये था इंजीनियर की अनुभवहीनता से उस जगह न पड़ कर दूसरी जगह पड़ा। वह पानी छनता रहा। बांध की कमजोरी अपनी जगह कायम रही।

तीसरे पिचिंग की जाती है। लहरों से कटाव रोकने के लिये पिचिंग पत्थर की होनी चाहिये, लेकिन पत्थर की जगह ईंट की पिचिंग की गयी। यह कहा गया कि सादी ईंट में तार नहीं डाला जा सकता जो ईंट को अपने स्थान पर रोके इसलिये स्पेशल किस्म की ईंटों का आर्डर दिया गया जिनमें छेद हो ताकि तार पड़ सके। तार का आर्डर हिन्दुस्तान कामर्शियल कम्पनी को दिया गया जिसमें उस वक्त के मंत्री के लड़के व साले थे। इस तरह पत्थर की जगह ईंट लगी और तार सप्लाई करने में यह तय हुआ था कि १२ आने सप्लाई होने पर कम्पनी को दिये जायंगे और शेष ४ आने बांध बन जाने पर कीमत दी जायगी लेकिन 'अल्लामियां बड़े सयाने पहले काट लिये दो आने।' कम्पनी ने १२ आने के स्थान पर पूरा रुपये भर पेमेंट पहले ही ले लिया। वह इस तरह से कि ६४ रुपये हंडरवेट तार की कीमत होती थी लेकिन ६४ के स्थान पर ८० रुपये हंडरवेट लिख कर भेजा गया और बैंक को माल देकर वह रुपया ले लिया गया जबकि ठेके के अनुसार माल इंजीनियर महोदय को भेजना चाहिये था। यही नहीं कन्ट्रैक्ट के अनुसार बंडल एक हन्डरवेट के एक से होने चाहिये थे और वैगन तुलकर आने चाहिये थे लेकिन न तो बंडल एक से आये और न कोई तौल ही वैगनों की हुई। ६४ के बजाय ८० रुपये उन्होंने ले लिया। तो उनको जितना मुनाफा मिलना चाहिये था वह पहले ही मिल गया। शेष ४ आने के हिसाब से न भी मिलता तब भी कोई उनका नुकसान नहीं था। या यों कहें वह अत्यधिक मुनाफा था।

पिचिंग में खराबी यह हुई कि बीच में ईंट डाल दी गई छेददार और उनको वायर से बांध दिया। लेकिन पिचिंग के लिये पत्थर से ज्यादा मजबूत ईंट नहीं हो सकती। अब जब ईंट पानी की लहर से टूटेंगी तब पत्थर की पिचिंग करनी पड़ेगी जो फिट नहीं बैठेगी क्योंकि छेददार ईंट तार में कैसे बीच में फंसेगी तो पत्थर की पिचिंग पहले से ही करनी चाहिये थी, वह नहीं की गई। ईंटों से जो पिचिंग की गई उसको आवश्यकतानुसार दुरुस्त करने के लिये अगर और ईंटें बनायी जांय तो उसमें कैपिटल ब्लाक होता है। इसमें भी काफी बड़ा नुकसान किया गया।

इसके अलावा जो मशीनरी में खर्च किया उसके बारे में यह कहना है कि मशीनरी में यह फायदा होता है कि एक तो शौक और दूसरे ऐसी चीजें होती हैं जो साधारण आदमी जान नहीं पाता है। जिसमें काफी घपला होता है। तो इस देश का पैसा मशीनरी में खर्च किया गया और वह बेकार हो गया। इस बांध को आदमियों से बनवाते तो एक करोड़ में १० लाख का फर्क पड़ता इंजीनियर्स का कहना है कि ३० फीट तक बांध आदमियों के हाथों से बांधा जा सकता है। ४५ रुपया खर्चा प्रति हजार घन फुट का मशीन से पड़ता है और हाथ

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

से ५० रुपया पड़ता है। जिससे देश के आदमियों को देश का पैसा मिलता बेकारी मिटती और मशीनरी के लिये पैसा ब्लाक न होता। तीसरी बात यह है कि १०९ टन लोहे का परमिट जब जरूरत नहीं पड़ी तो वह मेसर्स रामनाथ राजकुमार ऐंड सन्स, स्टाकिस्ट बरेली को दिया गया .....

श्री अधिष्ठाता---आप कृपया नाम न लें यूं जो चाहें कहें।

श्री रामस्वरूप वर्मा---तो वह उनको दे दिया गया। नियम यह था कि जो सामान न लगे वह गवर्नमेंट को वापस करना चाहिये था। ऐसा न करके उस फर्म को दे दिया गया। दूसरी बात यह कि वायर रोप ४६,००० रुपये का डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के थ्रू न लेकर अथवा बिना टेंडर मांगे बरेली की एक फर्म रामचन्दानी व ए० पी० अग्रवाल .....

श्री अधिष्ठाता---आप फिर नाम ले रहे हैं। जो आदमी यहां मौजूद नहीं है कृपया उसका नाम न लें।

श्री रामस्वरूप वर्मा---की दूकान से खरीद लिया जब कि यह चीज उनके यहां बिकती नहीं थी। डायरेक्टर से पूछना चाहिये था कि हम कहां से खरीदें या टेंडर इनवाइट करने चाहिये थे। बिना किसी फ़ारमेलिटी को पूरा किये ४६,००० रुपये का वायर रोप खरीदा गया।

इसी प्रकार से २४ इंजेक्टर्स ४४६ रुपये प्रति इंजक्टर के हिसाब से उपर्युक्त दूकानदार से खरीदे गये जब कि बम्बई में उसका भाव ३५० रुपये बरेली में ३७० रुपये, प्रति इंजेक्टर था। इसी तरह दूसरी तरह के कौसमर्स बी० एम० इंजक्टर्स ६०० रुपये प्रति इंजक्टर के हिसाब से खरीदे जब कि बम्बई में उनका भाव ३५० रुपये प्रति इंजक्टर था। तो इतना बड़ा गबन इसमें हुआ। फिर तारीफ की बात यह है कि एक तो पूरे इन्जेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती केवल नौजल की जरूरत पड़ती है जो २० रुपये में आ जाता दूसरे एक भी इंजक्टर आज मौके पर नहीं है। अगर सचमुच खरीदे हुये थे तो उसको स्टाक में दिखाया जाता, स्पष्ट है कि इस प्रकार यह सब रुपया खाया गया। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---अधिष्ठाता महोदय, मुझे जो कुछ कहना था उसमें से कुछ विषयों पर माननीय सिंचाई मंत्री जी ने काफी कह दिया और मैं उसके लिये बड़ा आभारी हूं। छोटी योजनाओं के संबंध में जो कुछ सरकार की नीति इस सदन के सामने रक्खी गयी उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जब हम आय-व्ययक के आंकड़ों को देखते हैं,जैसा कि कुमारी श्रद्धादेवी ने कहा, इस पंचवर्षीय योजना में सिंचाई योजनाओं के लिये ३५ करोड़ कुछ लाख रुपया रखा है किन्तु छोटी योजनाओं के लिये, कुओं के लिये ३० लाख और रहट के लिये ८ लाख रुपया रखा गया है। दूसरी तरफ विकास खंडों में कुछ रुपया इसके लिये रक्खा जाता है। वह भी इस साल १० लाख कर दिया गया जब कि पिछले साल १८ लाख था। तो इतनी बड़ी रकम खर्च करें और उसमें से उस महत्वपूर्ण योजना के लिये, जिसके लिये सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि यह किसान के लिये आइडियल परिस्थिति है कि किसान के पास अपना रहट हो, कुआं हो और ऊंट हो। मैं इससे बिलकुल सहमत हूं। इतनी धनराशि बिलकुल अपर्याप्त है मैं चाहूंगा कि इस पर सोचें और उसको बढ़ाने का प्रयत्न करें। माननीय मंत्री जी ने भी कहा रहट के कुएं के बारे में जो खास दिक्कत होती है वह यह है कि रुपया लैप्स हो जाता है, परन्तु उस लैप्स होने की वजह क्या है? उसका कारण क्या है? अगर वह देखें तो मालूम होगा कि अभी जिले ऐसे होंगे कि जहां रहट के कुएं के लिये दरख्वास्त मांगी और अब तक

पड़ी हुई हैं लेकिन वह वक्त पर स्वीकृत नहीं हुई या रुपये की अदायगी समय पर नहीं हुई और रुपया लैप्स इस तरह से हो जाता है। विकास खंडों का भी तजुर्बा मुझे है। ७० हजार रुपया रखा गया और गया ५ हजार किसी वर्ष पांच हजार, किसी वर्ष दस हजार। बाद में कह देंगे कि एक दम खर्च करो तो वह खर्च नहीं हो सकेगा।

अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि माननीय सिंचाई मंत्री जी ने बताया, हमारे प्रदेश में बाढ़ से बहुत बड़ी हानि होती है, परन्तु बाढ़ के सम्बन्ध में स्थायी योजनाएं बनाने के लिये इस बजट में वे तीन अनुदानों को देखा केवल एक के अन्तर्गत केवल एक करोड़ रुपया एलाट किया गया है। उन्होंने उसकी दिक्कत बताई कि ९ करोड़ रुपया था उसमें से भी एक करोड़ कम हो गया और ८ करोड़ रह गया उन्होंने बताया कि केवल स्थायी योजनाओं के लिये साढ़े तीन करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मैं भी जानता हूं कि रुपये की दिक्कत है। मगर वह दूसरी तरफ देखें कि सन् १९५८-५९ में सरकार ने ८० लाख रुपया इसलिये रक्खा था कि छूट दी जाएगी, लेकिन २७५ लाख की छूट देनी पड़ी। इसी तरह से ५० लाख रुपया रक्खा गया था एक दूसरी मद में लगान स्थगन के लिये उसमें १७५ लाख देना पड़ा। तो इस प्रकार से साढ़े चार करोड़ रुपया व्यय करना पड़ा। और जहां तक यह भी मुझे याद है बात सच है कि उस प्रदेश में पिछले वर्ष में अगर अन्न की कमी हुई तो उसका कारण अनावृष्टि नहीं, अतिवृष्टि था। अधिक वर्षा को तो नहीं रोका जा सकता परन्तु पानी रुकने का है रोका जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि इस विषय पर सोचेंगे।

मैं अपने क्षेत्र का ही उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में २०८।२०९ गांव ऐसे हैं जो हमेशा जलमग्न हो जाते हैं कई महीनों के लिये। उनका और कोई इलाज नहीं है कि वहां बांध बना दिया जाय। वहां का सर्वे कराया गया और २४ लाख कुछ हजार रुपये की योजना आई। यह हसनपुर का मामला है। दूसरे मामले में कुछ हिस्सा हसनपुर का और कुछ हिस्सा तहसील अमरोहा और सेमल का है। ३।४ वर्ष से बहुत बुरी हालत है। उसमें ३ योजनाएं ड्रेनेज की हैं जिनका कुल तखमीना १०–१२ लाख का पड़ेगा और इस तरह से ३५ या ३७ लाख के खर्चे से जिला मुरादाबाद की स्थायी योजनाएं हो जायंगी और बाढ़ से वहां की रक्षा हो जायगी।

इसके अतिरिक्त हम करते क्या हैं? मैंने एक प्रश्न में पूछा था माननीय मंत्री से और उन्होंने बतलाया था कि ये आंकड़े ५५–५६ के केवल जिसमें एक तहसील के अन्दर ८१,००० रुपया उन्होंने तकावी दी और १,९०,६००रुपये लगान में छूट दी और इन दोनों सालों में तहसील हसनपुर के अन्दर और यह आंकड़े भी तहसील हसनपुर के हैं ५५–५६ में और उसके बाद को ५७–५८ और ५८–५९ तीनों सालों में ऐसी तकावी और छूट दी गयी है। दूसरी तहसीलों में भी दी गयी है। मैं समझता हूं कि कुछ नहीं तो यह रकम ५ गुना हो गई होगी। हम हर वर्ष ५ लाख, ६ लाख रुपया खर्च करते हैं, तकावी और छूट देते हैं फिर भी लाखों आदमियों को शिकायत है। अगर वह जो ३५ या ४० लाख की जो योजना है उसको ५–६ वर्षों में बांट कर स्थायी कर दें तो ज्यादा उचित होगा। माननीय मन्त्री महोदय इस पर सोचें।

दूसरी बात यह भी बताऊं कि तहसील की परिस्थिति यह है कि वहां जल स्तर बहुत ऊंचा आ गया है। मैं वहां घूमा हूं। किसान कहते हैं कि जमीन में गरमी ही नहीं रही अनाज बढ़ता है और थोड़ा बढ़ कर रुक जाता है, उसमें क्या पैदावार होगी। पानी इतना जमा हो गया है। जल स्तर ऊंचा होने का कारण एक तो यह कि पानी का ज्यादा दिनों तक खड़ा रहना और साथ ही पास में गंगा नदी है, उसका पानी आ गया। जब तक उस गंगा नदी के पानी को नहीं रोका जायगा

[श्री जगदीशप्रसाद]

और वर्षा के पानी को नहीं निकाला जायगा तो कितनी ही तकावी आप दे दें, लगान में छूट दे दें उसकी परिस्थिति ठीक नहीं हो सकती।

इस सरकारी रकम के अलावा अभी कुमारी श्रद्धा देवी बतला रही थीं कि लोगों की निजी संपत्ति की हानि होती है। अगर हम यह लगावें कि किसानों की कितनी हानि हुई तो उसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। मकान गिरते हैं। फसल नष्ट होती है, उसका अन्दाजा कठिन है मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने एक योजना रखी थी और पहले सिंचाई मन्त्री जी से भी बात चीत की थी और मैंने बतलाया था कि २४ लाख की योजना है और उस क्षेत्र में ८,००० के करीब हल हैं। आप १०० रुपया प्रति हल कर्जा दे दीजिये, ८ लाख रुपया हो जाता है और ४ लाख रुपया श्रमदान के रूप में जमा कर देंगे, ८ लाख कर्जा दे दीजिये और १२ लाख लगा दीजिये। उसके लिये कोई कमेटी बना दीजिये, जिस तरह से हो उसका प्रबन्ध कर दीजिये, लेकिन एक स्थायी योजना पर मैं जोर देता हूं और मैं कहता हूं माननीय सिंचाई मन्त्री से कि जब तक कोई स्थायी योजना ऐसी नहीं बनेगी तब तक उस जिले का या तहसील का भार से उद्धार नहीं होगा।

अधिष्ठाता महोदय, एक योजना उन्होंने बतायी सहकारी कुओं के बारे में। उसके सम्बन्ध में, जो रिपोर्ट वितरित हुई है, उसके पृष्ठ २६ पर लिखा है कि १२४ नलकूपों को ६५ लाख रुपये की लागत से सहकारी समितियों से लेकर उन्हें राजकीय नलकूपों के स्तर पर परिवर्तित कर दिया जाय। इस कार्य के हेतु सन् १९५८-५९ में लगभग १० लाख रुपये तथा १९५९-६० में २० लाख रुपये व्यय किये जायंगे यह उन्होंने लिखा है। अब मैंने जो इसको देखा और जो योजनाएं इसके अन्दर दी हैं उसमें कुछ ट्यूबवेल्स बने हैं पश्चिमी जिलों में। वहां २०० ट्यूबवेल्स ७१,००० की लागत से बने हैं। इस प्रकार ३५,००० रुपया प्रति ट्यूबवेल पड़ता है। मध्य के जिलों में ४४० कुवें हैं। उन पर २ करोड़, ६ लाख रुपया लगा है और प्रति ट्यूबवेल ४६,००० रुपया पड़ता है। पूर्वी जिलों में २०० ट्यूबवेल पर ८४ लाख रुपया लगा है और ४१,००० रुपया प्रति ट्यूबवेल पड़ता है। लेकिन सहकारी समितियों के जो आंकड़े मैंने देखे, अधिष्ठाता महोदय, तो ५२,४१० रुपया प्रति कुआं उनका पड़ता है। मैं चाहता हूं कि इस पर पुनः विचार किया जाय और अगर इतना मंहगा सौदा है तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस पर क्यों जोर दिया जाय। अव्वल तो मैं इसको भी ठीक नहीं समझता और ज्यादा अच्छा नहीं समझता कि इन कुओं को लिया जाय। कुछ की ५,००० की व कुछ की १५,००० की बात थी, जब यह कुवें बनने को थे, लेकिन अगर सरकार ने लिया है तो उन पर इस तरह से हमारा रुपया खर्च न किया जाय। एक छोटी-सी बात मुझे और कहना है कि मेरे जिले में खास तौर से, मुझे मालूम नहीं दूसरी जगह भी यह स्थिति है या नहीं कि नलकूपों की डिस्चार्ज कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। लोग कह रहे हैं दूसरी जगह भी ऐसा ही है। विभाग के पुराने नियम हैं कि इस तरह से जब एक निश्चित मात्रा तक डिस्चार्ज केपेसिटी घट जायगी तो रिबोरिंग किया जायगा, लेकिन अब देखा जाता है कि डिस्चार्ज कम होने के कारण पानी जल्दी नहीं फैलने पाता। कई साल से यह दिक्कत है और मैंने पहले भी जिक्र किया था लेकिन कोई उपाय नहीं किया गया है। लोग समझते हैं कि अब उनको पानी बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि वह बहुत धीमा चल पाता है।

†श्री राजनारायण—श्रीमन्, इस सिंचाई के अनुदान पर बोलते समय मैं बहुत आंकड़ों में जाना उचित नहीं समझता। मैं सदन के सामने केवल कुछ विशेष बातों को ही रखकर अपने कर्त्तव्य को पूरा करूंगा जिनको कि मैं पहले भी सदन के माननीय सदस्यों की सेवा में रख चुका हूं। अब सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कौन कौन से काम आते हैं? नलकूपों का काम, बांधों को बनाने का काम, गांवों को ऊंचा करने का काम, बाढ़ से हिफाजत यह सब बातें आती हैं

---

† वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ८११ ४६—लेखा शीर्षक : ६८—सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण, अनुदान संख्या १०—लेखा शीर्षक : १, ७१८ और १९-ख—सिंचाई से किये जाने वाले निर्माण कार्य तथा अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८—सिंचाई स्थापना पर व्यय

मैं सदन के माननीय सदस्यों को याद दिलाऊंगा कि मैंने आज से ३ साल पहले इसी सदन में बताया था कि किस तरह से गाजीपुर जमनिया तहसील में गांव ऊंचा करने के बहाने लाखों रुपया बरबाद हुआ और उस समय वहां की अथारिटीज से बार बार कहा गया कि जमनिया तहसील में ऐसे गांव हैं जो ऊंचा करने की लिस्ट में हैं, लेकिन उन गांवों का वहां वजूद ही नहीं है। उस पर जब हमने पूछा तो माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने जवाब दिया था कि नक्शे में नाम लिखने में गलती हो गई है। इस तरह की केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार की सबकी फाइल में स्पेलिंग की गलती हो गई है। इस तरह की गलती के लिये कौन जिम्मेदार है ? माननीय सम्पूर्णानन्द जी और माननीय कमलापति जी से मैं इस्तीफे की मांग करता हूं कि इस तरह से लाखों रुपया व्यय हो रहा है, यह स्टेट का जनता का रुपया है, किसी एक व्यक्ति का या किसी के बाप दादा का रुपया नहीं है। इस तरह से उसका दुरुपयोग करने का किसी को अधिकार नहीं है। जिनकी जिम्मेदारी है, वह मन्त्री जी अपनी सीटों पर विराजमान रहें यह काम अपमानजनक बात नहीं है। माननीय चरणसिंह जी नहीं हैं, मैं उनको बताता कि वाराणसी के अखबारों में चर्चा है कि सिंचाई विभाग के लोग मिलकर स्तीफा देने की सोच रहे हैं ताकि उन जैसा मंत्री जांच कराने में ठप हो कर बैठ जाय। अब यह बात साबित हो गई है कि जिन गांवों का नाम दर्ज कर के पैसा लिया गया है वह गांव हैं ही नहीं, मैं स्वयं उन गांवों में गया हूं, कहीं भी एक टोकरी मिट्टी तक नहीं पड़ी है, लेकिन उन गांवों को ऊंचा करने के नाम पर हजारों रुपया व्यय हुआ है। हमारे पास सभापतियों के दस्तखत मौजूद हैं कि जहां के क्षेत्र में लाखों रुपया बरबाद किया गया है, केन्द्रीय सरकार का रुपया भी बरबाद कराया गया है। यह किसकी जिम्मेदारी है ? यह जिम्मेदारी उस समय के सिंचाई मंत्री माननीय कमलापति जी पर और माननीय सम्पूर्णानन्द जी पर जाती है, क्योंकि माननीय सम्पूर्णानन्द जी आजकल शंकर बनना चाहते हैं, शंकर जी तो विषपान करते थे आप भी विषपान कीजियेगा। यह शंकर बनना छोड़ दीजिये।

बनारस जिला परिषद् ने अपनी एक इन्क्वायरी कराई है जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की है कि वहां पर वह नलकूप जो १ घंटे में ३६ हजार गैलन पानी देते हैं वह आज दस हजार, १२ हजार १६ हजार गैलन पानी दे रहे हैं। मंत्री महोदय ने लाड़ले इंजीनियर ने बनारस के नलकूपों के लिये एक सूत मोटा तार—जो जाली लगती है वह दिया है जो कमजोर है। बालू और मिट्टी फेंकने लगे। तीन वर्ष भी नहीं हुये सारे नलकूप ठप हो रहे हैं। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि वाराणसी में जो यह सिंचाई कालोनी बनी हुई है वहां के कार्यालय में लाखों रुपये का वायर पड़ा हुआ था। मैंने सरकार से और मंत्री महोदय से बार-बार कहा कि वह वायर क्यों पड़ा है तो इंजीनियर लोग कहते हैं कि इतने एक्सपेरीमेंट के बाद मालूम हुआ कि हमको दो सूत मोटा वायर देना चाहिये। श्रीमन्, अगर आप हमको और समय दें तो मैं एक एक जगह की बात बताऊं।

श्री अधिष्ठाता—अभी तो समय आप का खत्म नहीं हुआ।

श्री राजनारायण—इसके अलावा और समय।

श्री अधिष्ठाता—और समय मैं नहीं दे सकता।

श्री राजनारायण—कारण क्या है ? वह वायर लाया कहां से गया ? पहले वह वायर एक व्यक्तिगत फैक्टरी में बनता था, फिर सरकारी फैक्टरी में बनने लगा। जब तक

[श्री राजनारायण]

वह वायर लगा तब तक उस फैक्टरी से एक सूत मोटा वायर क्यों लिया गया ? जिस इंजीनियर ने लिया होगा उसने जरूर कोई गोलमाल किया होगा। अगर आप स्वयं देखेंगे या कोई इन्क्वायरी कमेटी बैठायेंगे---अच्छा हुआ माननीय चरणसिंह जी आ गये, मैं उनसे कहूंगा कि एक इन्क्वायरी कमेटी बिठायें, क्यों सारी बात को अपने ही सिर पर रखते हैं। उस बेचारे प्रयागनारायण की हत्या क्यों करवाना चाहते हैं ? उसको मारने की साजिश आज बनारस, गाजीपुर और आस-पास के जिलों में बराबर हो रही है। आज जो आवाज उठा रहे हैं सिंचाई की भ्रष्टाचारिता के सम्बन्ध में और जो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं उनसब की जान लेने की साजिश हो रही है। इन इंजीनियर्स द्वारा जिन्होंने लाखों रुपये ठेकेदारों से लेकर, काम पूरा न करके अपने बैंक में जमा किये हैं किसी को मारने के लिये लाख, दो लाख रुपया खर्च कर देना आसान काम है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे मामले की छानबीन माननीय चरणसिंह जी पूरी कोशिश करने के बाद भी नहीं करा सकते। क्यों न कमलापति जी से इस्तीफा की मांग की जाय, क्यों न सम्पूर्णानन्द जी से इस्तीफा की मांग की जाय ? मैं बार-बार कहता हूं कि इतना बड़ा अपराध जो उन्होंने जन धन का दुरुपयोग करके जनता के साथ किया है इसके लिये इनके इस्तीफे के अलावा और कोई बात हो ही नहीं सकती।

श्री अधिष्ठाता---एक ही चीज बार बार क्यों कहते हैं ?

श्री राजनारायण---अगर आप कर देते तो हमको कहने की जरूरत भी न पड़ती। मैं यह कहता हूं कि गाजीपुर, बलिया, वाराणसी के नलकूप गलत जगह पर क्यों लगाये गये ? उनके गूल बनाने का ठेका मन्त्री महोदय के कृपा पात्र को क्यों दिया गया ? और अगर किसी मंत्री के घर में भी सिंचाई विभाग का कोई नल गया हो या कोई मशीन गयी हो तो वह इंजीनियर डरता क्यों है उनके घर में जा कर इन्क्वायरी करने से ? उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये। चाहे आज मंत्री महोदय विशेष के घर से वह मशीन चली आयी हो, सिंचाई विभाग के कार्यालय में पड़ी हो मगर मशीन गयी थी। उस समय उसका रुपया नहीं दिया गया था। उसका दुरुपयोग हुआ। इसकी जानकारी माननीय चरणसिंह जी को होना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि गोरखपुर, देवरिया में कुछ गांव ऊंचे नहीं हुए मगर ऊंचा करने के लिये रुपया ले लिया गया। मैं मांग करता हूं कि तीन हाई कोर्ट के जजों की एक कमेटी बना दें और सिंचाई विभाग में अबतक जितने काले कारनामे हुये हैं उन सब को गवर्नमेंट उनके सुपुर्द कर दे। हमारे मित्र रामस्वरूप वर्मा जी ने शारदा सागर बांध के बारे में कहा। आप माताटीला बांध देखें, चन्द्रप्रभा बांध देखें, अहरौरा बांध देखें, श्रीमन्, जो आपके जिले में है।

श्री अधिष्ठाता---आप का भी तो जिला है वही।

श्री राजनारायण---मैं भी उस पाप का भागी हूं। तो इन सब की इन्क्वायरी होनी चाहिये। भूतपूर्व मंत्री महोदय के निर्वाचन क्षेत्र में ३, ४ करोड़ रुपया इसलिये पानी की तरह बहा दिया गया ताकि वे बार-बार उस क्षेत्र से चुनकर आसानी से आ जाया कर। मगर व दिन लद गये हैं। चकिया-चन्दौली के उपनिर्वाचन ने इस बात को साबित कर दिया है। अखबारों में लिखा है और मैं चाहता हूं. . .

श्री अधिष्ठाता---माननीय राजनारायण जी, इसका अनुदान से कोई मतलब नहीं है।

श्री राजनारायण---खैर, आप जानते हैं कि इससे मतलब था। मैं यह कहना चाहता हूं कि चन्दौली तहसील में जो करोड़ों रुपये खर्च हुये और जहां से नहर नहीं खोदी जानी चाहिये थी वहां से खोदी गयी। इसकी भी श्रीमन्, जांच होनी चाहिये। जब तक इस मामले की पूरी तौर से जांच नहीं होगी तब तक जनता के साथ न्याय नहीं होगा और जनता के जन-धन

का उपयोग ठीक ढंग से करने की अच्छी आदत सरकारी अधिकारियों की नहीं बन पायेगी। इसलिये श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से नहर, बांध, नलकूप तथा गांवों के उंचे किये जाने के कार्य हुये हैं उन सब की जांच करने के लिये मांग करता हूं।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो एक एपोलोजीकल टोन, एक आद्रदयता का भाव पैदा कर दिया तो मुझे रहम आ जाता है। जब कोई आदमी एक दयनीय भाव दिखा कर जनता की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करता है तो मुझे भी दया आ जाती है। अगर वह तेजी में आये होते तो जवाब का जवाब मिल गया होता। चौधरी साहब ने शुरू-शुरू में जो दयनीय भाव प्रकट किया उससे हम बहुत सी बातें भूल गये। जो योजना उन्होंने बताई है उसमें सुधार होगा लेकिन उसमें थोड़ा सा और सुधार करें।

आपके नलकूप लगे हुये हैं और एक-एक का कमांड एरिया ८००, १,००० और १,२०० एकड़ है, लेकिन सच बात तो यह है कि २५०, २७५ और ३०० एकड़ से ज्यादा वह सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। सरकार पहले इधर कदम बढ़ाये कि इनके कमांड एरिया में जो सिंचाई नहीं हो पाती है वहां कुयें खुदवाये जायं या रेहट लगाये जायं। हमने देखा है कि नलकूपों की मरम्मत के लिये कई लाख रुपया रखा गया है। इसको फिर से देखा जाय ताकि गलती न रह जाय। अगर एक नलकूप का १,००० एकड़ कमांड एरिया कर रखा है और सिंचाई नहीं हो पाती है तो सरकार इंतजाम करे और उसके लिये यह न सोचे कि तकावी के लिये दरख्वास्तें आयें क्योंकि नलकूप अगर पानी नहीं दे पा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। इसके लिये हमारी जमीन ली गई, और गूलें बनायी गईं, लेकिन हमें पानी भी नहीं मिला इसलिये पहले इसका इंतजाम किया जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक मर्तबा फिर किसी अच्छे इंजीनियर से सर्वे करा कर मालूम करें कि नहर ज्यादा लाभकारी होगी या नलकूप। अगर नलकूप हों तो ऐसे ढंग पर न लगाये जायं जैसे कि पहले की तरह फी घंटा ३६,००० गैलन पानी देने के दो वर्ष बाद १६, १८ और २० हजार गैलन ही पानी देने लगे। इसलिये माँग करूंगा कि इसमें पूरी इन्क्वायरी करायी जाय। प्रयागनारायण जी को बार–बार भेज कर पैसा खराब न किया जाय। मुझे जानकारी है कि बहुत से मन्त्रियों के पास इंजीनियर्स पहुंचने लगे हैं और कह रहे हैं कि किसी तरह से मामला खत्म कर दिया जाय। मैं कहता हूं कि आपके एस० ईज का ३०० रुपये रोजाना का खर्चा है। चरणसिंह जी हमारे साथ चलें तो हम बतायेंगे कि कहां से साड़ी आती हैं, कहां से ओठ रंगने वाली चीज आती है, कहां से तरकारी आती है, कहां से जम्पर आता है, कौन ओवरसियर देता है और किस ठेकेदार से लेकर देता है। इसके अलावा श्रीमन्, जो दरख्वास्तें भूतपूर्व सिंचाई मंत्री की खिदमत में आई हैं उनको भी देख लिया जाय। अभी मैं चाहता हूं कि वह चलें और वाराणसी में जांच हों। तो उसमें ऐसे–ऐसे लोग फंसेंगे जिसमें पुराने मंत्री भी फंस सकते हैं, इंजीनियर और सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर भी फंस सकते हैं। डेढ़ दो सौ रुपये का ओवरसियर तीन चार महीने के बाद फटफटवा गाड़ी खरीद ही लेता है।

श्री अधिष्ठाता—यह क्या है?

श्री राजनारायण—वही मोटर साइकिल।

कहां से रुपया आता है? सब जनता का ही तो धन जा रहा है। इसलिये ज्यादा समय न लेकर, माननीय चरणसिंह जी, सिंचाई मन्त्री महोदय विद्यमान हैं, अगर मेरी बात जनता के हित में है तो वह एक इनक्वायरी कमेटी बिठाएं।

श्री अधिष्ठाता—अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी (जिला हरदोई)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी मैं आभारी हूं कि आज दो तीन दिन के बाद मुझे भी समय दिया। इस अनुदान में जो आज हमारे सामने पेश है उसमें जितनी धनराशि रखी गयी है मेरी समझ में यह बहुत थोड़ी है। इसका हमारे देश और हमारी जो अन्न की समस्या है उससे बड़ा गहरा सम्बन्ध है। आज हमारे देश की अधिकतर भूमि जल मग्न पड़ी हुई है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि और सब मदों से खर्चा ले कर यदि वे इसमें और ज्यादा ध्यान दें तो हमारी अन्न समस्या बहुत कुछ कम हो जाय। मैं अपनी पदयात्रा के सिलसिले में, मेरे क्षेत्र में एक झाबर है बहुत बड़ी, उस तरफ गयी थी। वहां करीब ३० हजार एकड़ भूमि जलमग्न पड़ी हुई है और उससे ४०-५० गांव इस कदर ज्यादा प्रभावित हैं कि वहां खाने तक को आदमी के पास नहीं है। मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी से एक दफा और प्रार्थना की थी और इसके लिये जिला अंतरिम परिषद् से भी प्रस्ताव पास कराया था और प्लानिंग कमेटी से भी प्रस्ताव आया था। पर इसका जवाब यह गया कि धन की कमी के कारण यह योजना अभी नहीं ली जा सकती है। मुझे बड़ा दुख है और मैंने इसी सम्बन्ध में उधर ही पद यात्रा की थी। मैं उनसे कुछ गांवों के नाम बताती हूं---बेहटा, गोकुल, खेरिया, डिघारा, कुंवरापुर, मवइया, संधिनावां, बिजगवां, पिपरी, जरारा, नेवादा, आटदानपुर, सिकन्दरपुर, रामपुर, सलेमपुर, चन्दपुर और टोडरपुर। इन १६ गांवों की हालत पद यात्रा में देखी। ४० गांव सई झाबर से घिरे पड़े हैं। वहां पर खरीफ या रबी की कोई फसल नहीं होती है। खरीफ का हाल मैंने स्वयं देखा है। गन्ने के खेतों में छोटे-छोटे टेढ़े-टेढ़े गन्ने खड़े हैं जिसमें से यदि एक बीघा गन्ना पेरा जाय तो शायद एक मटका रस निकले। धान के खेत डूबने के कारण सब खराब हो गये और अधिक सर्दी होने के कारण आज भी रबी की फसल एक-एक डेढ़-डेढ़ बालिस्त की हो कर रह गयी है। उसमें भी एक, दो मन से ज्यादा अनाज पैदा नहीं होगा जब कि इन खेतों में १५, १५, १६, १६ मन एक बीघे में पैदा होता था। हमारा जिला तो सरप्लस एरिया में है। कभी वहां अन्न की कमी नहीं रहती थी।

नहरें अब तो इसलिये बनायी गयीं थीं कि जनता का कष्ट दूर हो लेकिन वही कहावत हुई-कि आये थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इन नहरों के कारण हानि हुई जनता बहुत परेशान है। मैंने तीन चार गांवों में जा कर देखा कि दूसरे गांवों से औरतें मांग मांग कर लाती थीं या साग खोंट खोंटकर इसी गांव से लाती हैं, तब खाते थे। जानवर सब मर गये। भैंसें, और भैंसे जोकें लगने के कारण रह ही नहीं गये। बैलों तक को जोंकें लगने लगीं। दूध और दही का नाम निशान मिट गया। माननीय राजस्व मंत्री जी से मैंने प्रार्थना की थी और उन्होंने मुझसे वादा किया भी था कि अगर एक लाख रुपये से यह झावर बन गई तो मैं कोशिश करूंगा। तो मैं उनसे कहूंगी कि चाहे एक लाख में बने चाहे चार लाख में बने लेकिन कम से कम जो हजारों आदमी भूखों मर रहे हैं उनकी तरफ वह ध्यान दें और उनके कष्ट को दूर करें। अभी लगान भी उन पर पड़ता है। यानी वहां के आदमियों ने यहां तक बताया कि अभी जितना एरिया पानी में डूबा पड़ा है उसका लगान भी लिया जाता है। मैंने एक दरख्वास्त दिलाई थी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास। मुझे पता नहीं उसका क्या हुआ। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि कम से कम उस एरिया का लगान जब तक वहां जमीन ठीक न हो जाय तब तक माफ कर दिया जाय। वहां के कष्ट दूर किये जायं।

दूसरी चीज यह है कि जो भूमि इन गांवों में ऊंची है वहां कोई सिंचाई के साधन नहीं हैं। कुछ तो पानी से डूबे रहने के कारण अन्न नहीं पैदा होता और कुछ जमीन ऊंची होने के कारण वहां सिंचाई नहीं होती जिससे अन्न नहीं पैदा होता। इसलिये वहां सिंचाई के लिये नलकूप या छोटे-छोटे कुओं के लिये जैसी कि योजना आपने बनायी है, मदद दी जाय तकावी के जरिये से। इससे जनता को आराम मिलेगा और सिंचाई हो सकेगी। मकानों की यह हालत है कि आजकल अगहन और पूस के महीने में जब मैं पदयात्रा पर गई थी तो वहां पर पानी भरा हुआ था

मैंने जब पूछा तो लोगों ने बताया कि नाले कुछ खोले गये हैं, उन नालों के खोलने से सारे गांव के रास्तों और गलियारों में पानी भरा हुआ था। जाड़े के दिनों में वहां कचकच मची हुई थी। सारे घरों क अन्दर नमी आ गई थी। इस तरह कई गांव इस सई झाबर के कारण मुसीबत में पड़े हैं। वह परेशान हैं।

इसके अलावा बरसात के दिनों में जब पानी बढ़ता है तो वह सब पानी उनके मकानों में भर जाता है। उससे सारे मकान चारों तरफ टूटे पड़े हैं। कुओं और मकानों की तकावी के लिये भी मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहती हूं कि गरीब जनता को उसे पाने में बड़ी मुश्किल होती है। बड़ी कठिनाई से तकावी मिलती है क्योंकि दो एक आदमी की जमानत करानी पड़ती है और कई एक ऐसे प्रोसीजर हैं कि गरीबों की वहां तक आवाज नहीं पहुंच पाती है। इसके लिये कोई सरल तरकीब माननीय मन्त्री जी निकालें जिससे गरीबों को जल्दी मदद मिल जाया करे तो अधिक बेहतर होगा।

इसके लिये कुछ सुझाव हैं जो मैं बता दूं नहीं तो समय शायद समाप्त हो जाय। यह कहा जाता है कि जतुली गांव के दक्षिण और बहरापुरा गांव के उत्तर जो पुलिया है वह बहुत छोटी है। एक दर की पुलिया है। उसे बड़ा कर के तीन दर का पुल बनाया जाय तो झाबर का पानी निकल सकता है। दूसरी चीज यह है कि इसी पुलिया के पश्चिम और पूरब की जमीन काफी ऊंची है। तो दो-दो, चार-चार मील की खुदाई कम से कम करा दी जाय तो कैमापुर गांव के पास से भैंसटा नदी में पानी जा सकता है। नगर विभाग जो माइनर और ड्रेन अपनी इसी सई नदी में ही डालता है। वह अगर नहर विभाग इधर डालना बन्द कर दे तो उससे भी बहुत कुछ लाभ हो सकता है। तो यह दो तीन बातें मैंने कहीं हैं। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी जिनके प्रति मेरे हृदय में बड़ी श्रद्धा है और जो बड़े कर्मयोगी हैं, काम करने वाले हैं, वह इस पर ध्यान देंगे।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—मैं, जो कटौती का प्रस्ताव श्री राजेन्द्र सिंह ने रखा है उसका समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय चरणसिंह जी के पास यह विभाग अभी चन्द ही दिन हुए कि आया है। मैं उनकी हृदय से सराहना किये बिना नहीं रह सकता। इतने अल्प समय में जितने सारे काम उन्होंने किये हैं उसके लिए वह श्रद्धा के पात्र हैं। मान्यवर, उन्होंने जो आज तक यह सिंचाई के मुताल्लिक और खास कर सिंचाई के बारे में कुओं के लिये सुविधा दी है उसके बारे में मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सिंचाई का जो धन प्राप्त होता है वह तकावी के रूल्स के द्वारा ही दिया जाता है। उसमें तक़ावी रूल्स के अनुसार नाबालिग और औरतों को वह रुपया प्राप्त नहीं होता क्योंकि उसके अन्दर यह है कि नाबालिग और औरत को तकावी न दिया जावे बिना डी० एम० की मंजूरी, इस तरह की कठिनाई होने से वह धन नहीं पातीं। तो मैं आप के द्वारा मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि कम से कम इस बात की तरफ भी ध्यान दिया जाय। तकावी का रुपया नाबालिक को उनके गार्जियन के द्वारा दिलाया जाय और परदानशीन औरतों के लिये भी उसमें खास सुविधा देने की गुंजायश की जाय जिससे उनको वह धन प्राप्त हो सके।

दूसरी बात यह है कि अभी तक जो सीरदार थे उनको २० गुना अपने लगान का तकावी का रुपया दिया जाता है। यह रकम बहुत कम मालूम हो रही है। उनको भी वही सुविधा होना चाहिये जिससे उनको ४० गुना लगान का तकावी मिल सके। इसका कारण यह है कि बहुत से सीरदार ऐसे हैं जिनको रियायती दर पर जमीन दी गई है। उनका लगान कम है। तो वह आवश्यकतानुसार वह धन प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि छोटे से छोटा कुआं भी १,०००,

[श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह]

१,२०० से कम में नहीं बनता है। इसी तरह से जो छोटे किसान हैं वह इससे लाभान्वित नहीं हो सकते। इसके अलावा मैं आप से यह भी निवेदन करूंगा कि उनके लिये अधिक मात्रा में धन बढ़ायें। आज मैं देखता हूं कि कोई शख्स यदि किसी भी मामले में गिरफ्तार हो जाता है तो शख्सी जमानत दूसरे लोग भी लेते हैं। यह कोई बात नहीं रहती कि उसकी जमीन के ऊपर या उसकी हैसियत के उपर ही लोग जमानत दें वह दे। दूसरे आदमी भी जमानत ले सकते हैं। इसलिये उसको भी रुपया दिलाया जाय जिससे उसका लाभ हो सके। इसके अलावा और धन की आवश्यकता हो तो वह अपनी जमानत दे दे तो उसको और भी धन मिलना चाहिये। इस तरह से जो गरीब किसान हैं उनको फायदा होगा। तकावी आज केवल बड़े बड़े किसानों को मिल जाता है। उससे छोटे किसानों को लाभ नहीं हो सकता।

मेरा निवेदन यह भी है कि जो सिंचाई के कुएं बनाये जाते हैं उनमें सबसिडी या किसी किस्म की छूट नहीं दी जाती। पानी पीने के लिये जो नियोजन विभाग की ओर से कुएं बनते हैं उनमें छूट मिलती है। तो मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह भी सिंचाई के कुंओं पर कुछ परसेन्टेज सबसिडी देने के लिये आदेश दें ताकि खाद्यान्न उत्पादन में उन्नति हो। सिर्फ सिंचाई का इन्तजाम कर देने से ही खाद्यान्न के संबंध में कोई ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है जब तक कि सरकार उसका मूल्य भी निर्धारित न कर दे। खाद्य की चीजों पर यदि पहले से मूल्य निर्धारित कर दिया जाय तो उससे किसान प्लान्ड तरीके पर बोयेगा। इतना गेहूं और इतना चना वह अपनी शक्ति के अनुसार बोयेगा। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि खाद्यान्न को बढ़ाने के लिये यदि खाद्यान्न का मूल्य निर्धारित हो जाय केवल १ साल के लिये ही नहीं बल्कि २ या ३ साल के लिये निर्धारित कर दिया जाय तो अच्छा है। ३ साल के लिये कम से कम एक डिक्लेयर्ड पालिसी होनी चाहिये। इससे अन्न का उत्पादन बढ़ेगा।

सिंचाई विभाग के बारे में थोड़ा सा यह अर्ज करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में बहुत सा रुपया तमाम आफिसर्स के बंगले और इमारतें बनाने के ऊपर खर्च होता है जिसमें बहुत ज्यादा धन का अपव्यय होता है। यदि इस धन को, जैसा कि सरकार छोटी-छोटी सिंचाई की योजना बना रही है, इन सिंचाई की योजनाओं की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाय बजाय इसके कि भव्य भवन बड़े-बड़े बनाये जायं तो काफी अपव्यय में बचत होगी। श्रीमन्, यह विचारने की बात है कि जो टैक्स पेयर है, एक वोट का बादशाह है वह झोपड़े में रहता है और जो उसके कर्मचारीगण हैं उनके क्या कहने। तो यह जो असामनता है उसको दूर करने का प्रयास होना चाहिये। मैं तो मंत्री महोदय को यह सुझाव दूंगा कि किसी भी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का मकान १०,००० रुपये से ज्यादा का न बनाया जाय। अगर इतना काम ही सरकार कर दे तो मैं आभारी होऊंगा। जो बड़े आफिसर्स हैं उनके लिये भी एक मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिये कि इतने रुपये से ज्यादा के उनके लिये भी मकान नहीं बनाये जायंगे।

दूसरी बात यह कि सिंचाई के साधन बहुत कम क्षेत्र में उपलब्ध हैं। जो मेरा क्षेत्र सादुल्लानगर है अगर उसमें सिंचाई के उचित साधन उपलब्ध हो जायं तो मैं आप को यकीन दिला सकता हूं कि वह ऐसा एरिया है कि जो प्रदेश की खाद्य समस्या को हल करने में काफी मदद दे सकता है। लेकिन वहां एक भी सरकारी ट्यूबवेल नहीं है और सरकारी ट्यूबवेल ऐसी जगह ही लगाये जा सकते हैं कि जहां बिजली उपलब्ध हो। पता नहीं कि वहां बिजली कब तक आयेगी इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे इलाके, जहां की जमीन दोफसली हो और एक तरीके से अन्न का भंडार हो, उनमें सिंचाई की खास व्यवस्था की जानी चाहिये और उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। छोटे-छोटे किसानों के कई खाते होते हैं और इस कारण उनको रुपया प्राप्त करने में कठिनाई होती है। मैं निवेदन करूंगा कि उनके लिये विशेष ध्यान देना चाहिये और अगर वे लोग एकजाई दरख्वास्त दें तो सब को एक में मान कर धन दिया जाना चाहिये ताकि वे अपने कुवें आदि बना सकें।

मेरे जिले में एक जलकुन्डी योजना चलाई गयी है जिसका संबंध नैपाल सरकार से है। अभी तक उसके अन्तर्गत कोई कार्य नहीं हुआ है। उतरौला सब डिवीजन उसमें आता है और जब वह बन जायगी तो नहरों का एक जाल वहां बिछ जायगा। आज हमारे जिले में १६० या १८० ट्यूबवेल हो जाने चाहिये लेकिन यह एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिसके कारण वहां कोई नवनिर्माण नहीं हो पा रहा है। तो मैं आप के द्वारा यह निवेदन करूंगा कि उस योजना के पूरा होने तक अगर बिजली नहीं मिलती है तो आयल इंजन के ट्यूबवेल लगा दिये जायं। कुओं के लिये सरकार की ओर से कुछ आदेश जारी किये गये हैं, लेकिन जो ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं उनको कोई विशेष सुविधा नहीं प्रदान की गयी है। छोटी बोरिंग डिपार्टमेंट शायद उसको करता है लेकिन छोटे सेट उनके पास रहते नहीं और लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तो छोटे पंपिंग सेट्स के लिये भी सरकार को तकावी देना चाहिये और इसके साथ-साथ उनको सब्सीडी के रूप में भी रुपया दे। अंत में मैं ज्यादा न कह कर मंत्री जी का आभारी हूं और उनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता कि जनता के हित के लिये जो काय उन्होंने किय हैं और जनता के लिये उनके हृदय में जैसा प्रेम है काश दूसरे मंत्रियों के हृदय में भी वैसा ही रहता तो शायद प्रदेश की ऐसी दुर्दशा न होती।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इसमें दो रायें नहीं हैं कि आज हमारे देश में सिंचाई की सब से ज्यादा महत्ता है। हमारे यहां इस वक्त सब से ज्यादा जोर अन्न उत्पादन पर दिया जा रहा है और इसके लिये आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक अपने सिंचाई के साधनों को बढ़ायें। लेकिन मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान कुछ चीजों की ओर, अपने जिलों के बारे में, आकर्षित करना चाहता हूं। यह सही है कि हम अपने सिंचाई के साधन बढ़ा रहे हैं, उनके लिये इस वर्ष ज्यादा से ज्यादा रुपया देकर उनकी प्रगति कर रहे हैं लेकिन साथ ही जो जमीन हमारी पानी से बच सकती है उसको बचाना भी बहुत आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में एक ग्राम है चन्दनपुर। चन्दनपुर और हुसेनापुर के बीच में एक पुराना बांध बंधा हुआ है जो बहुत बुरी हालत में हो गया है और उसके कारण सैकड़ों बीघे के अन्दर हर साल पानी भर जाता है जिससे वहां की समस्त फसल नष्ट हो जाती है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि उसमें कोई लम्बी चौड़ी रकम लगन की बात नहीं है सिर्फ ५–७ हजार रुपया खर्च कर देने से वह दुरुस्त किया जा सकता है और उससे उस क्षेत्र की काफी जमीन को लाभ हो सकता है। इसके अलावा मान्यवर, चन्दनपुर से आगे एक गांव हुसेनापुर, जोकि मेरे क्षेत्र का आखिरी गांव है उसके पास महावा नदी बहती है और उससे थोड़ी दूर गंगा से एक सोता काट कर महावा नदी में पड़ता है जिससे गांव की जमीन हर साल कटती चली जा रही है। वह बहुत ही सम्पन्न गांव है, भूमि उपजाऊ है लेकिन उस सोते की रोक न होने की वजह से जमीन कटती चली जा रही है और अगर यही प्रगति रही तो मैं समझता हूं कि दो एक वर्ष के अन्दर गांव की सफाई हो जायेगी और जितनी उपजाऊ भूमि है वह भी नदी की भेंट हो जायगी। इसलिये हुसेनापुर से ऊपर चल कर अगर एक ठोकर बना दी जाय तो पानी की रफ्तार का रुख दूसरी तरफ हो जायगा, इससे भूमि का बचाव हो सकता है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उसकी जानकारी कराकर, उस सोते में अगर कम कास्ट आये, तो सोते को बन्द करवाने की कृपा करें। इस संबंध में मान्यवर, मैं माननीय सिंचाई मंत्री को लिख भी चुका हूं और आशा करता हूं कि इसकी ओर वे शीघ्र ध्यान देंगे।

इसके अलावा श्रीमन्, जब मैं अपने क्षेत्र का दौरा करने गया तो कई जगह मुझको ट्यूबवेल्स पर पानी की टंकी बनी हुई मिलीं और उस पर प्रथम पंचवर्षीय योजना लिखा हुआ

[श्री श्रीकृष्ण गोयल]

मिला। गांव वालों से इसकी जानकारी करने पर मालूम हुआ कि यह टंकियां इस लिये बनाई गई हैं कि सरकार गांव वालों के लिये वाटर सप्लाई की योजना बनाना चाहती थी। मुझे दुख है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना तो खत्म ही हो गई और अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही है हजारों रुपया खर्च कर के गवर्नमेंट ने उन टंकियों को बनाया होगा लेकिन एक भी टैप गांव वालों को नहीं दिया गया। जब हम वहां जाते हैं तो गांव वाले हमसे इस संबंध में सवाल करते हैं लेकिन उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। इस संबंध में मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि एक गांव है भरकुइयां जहां पर एक बहुत बड़ी टंकी ८-१० हजार रुपया खर्च करके बनाई गई होगी लेकिन उससे एक भी टैप आज तक नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो टंकियां इस किस्म की जल योजना के संबंध में बनाई गई हैं, जहां नल लगाना चाहते थे, वे ऐसी जगह पर बनाई गई हैं जहां गांव वालों को सुविधा नहीं हो सकती और वह नल टूटे-फूटे ऐसी हालत में पड़े हुए हैं जिनसे किसी किस्म का फायदा गांव वालों को नहीं हो सकता। तो मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि कम से कम जहां तक इस प्रकार की टंकियां बन गई हैं, जहां यह जल योजना चालू करने का विचार सरकार रखती थी उनकी देखभाल करके उनको ठीक हालत में चलवाने की कृपा की जाय।

हमारे जिले बदायूं के अन्दर और हमारी तहसील में काफी ट्यूबवेल्स हैं। वहां की आम शिकायत है कि डिस्चार्ज बहुत कम है। मैं अभी उस क्षेत्र में गया था। मानिकपुर में १०० नंबर का ट्यूबवेल है वहां का डिस्चार्ज इतना कम है कि सिंचाई साढ़े तीन रुपया फी बीघा पड़ता है। इसके बारे में एक शिकायत यह भी है कि यह डिस्चार्ज उस वक्त लिया जाता है जब कि बारिश के बाद वह पहली दफा चालू होता है। यह साफ है कि अगर उस वक्त डिस्चार्ज लिया जायगा तब तो वाटर लेबिल ज्यादा होगा ही। इसलिये डिस्चार्ज उस वक्त लिया जाना चाहिये जब कि काफी सिंचाई हो चुकी हो। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बदायूं में वे इस समय डिस्चार्ज देखें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। और जिन कुओं के डिस्चार्ज गिर गये हैं उनकी बोरिंग का प्रबंध किया जाय।

एक और चीज की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अपने क्षेत्र के बारे में कहता हूं क्योंकि पूरे जिले के बारे में तो नहीं कह सकता। दो तीन वर्षों से यह सुना जा रहा है कि यहां पर ट्यूबवेल लगाये जायेंगे। कभी किसी खेत में निशान लगा दिया जाता है और कभी किसी खेत में निशान लगा दिया जाता है। इससे दो नुकसान होते हैं। पहला तो यह कि ट्यूबवेल की मालूम हो कर किसान अपना जो सिंचाई का प्रबंध करने वाला होता है वह छोड़ देता है जिससे, उसके प्रोडक्शन में नुक्सान होता है दूसरे कर्मचारी गांव वालों से इस बात की रकम वसूल करते हैं कि अब तुम्हारे खेत में कुआं बनवा देंगे। उसके ६ महीने बाद दूसरे किसान से कहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि वे साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दें कि फलां जगह ट्यूबवेल बनने जा रहा है और फिर उसके बनने में ज्यादा देर न हो और जब काम होने वाला हो उससे बहुत पहले वह ऐलान न किया जाया करे।

बहुत से ट्यूबवेल का इस्तेमाल इसलिये नहीं हो पाता कि गूलों की बहुत कमी है। बदरपुर में एक ट्यूबवेल है जिसकी अगर एक फर्लांग की गूल बना दी जाय तो दो तीन गांवों को लाभ हो सकता है। लेकिन पता नहीं वह एक फर्लांग की गूल क्यों नहीं बनायी जाती है। माननीय मंत्री जी इसको देख लें और अगर एक फर्लांग की गूल से दो तीन गांवों को लाभ हो सकता है तो क्यों नहीं ऐसा किया जाता है? मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस गूल को अवश्य बनवा देंगे।

नये ट्यूबवेल्स जब बनाये जाते हैं तो गूलों के बनाने का खयाल नहीं किया जाता। अगर ट्यूबवेल बन गया तो गूलें नहीं बनीं। और अगर गुलें बन गयीं तो बिजली नहीं है। जब कि आज

बिजली और सिंचाई के विभाग दोनों एक ही मंत्री के पास हैं तो माननीय मंत्री जी को यह देखना चाहिये कि यह दोष कहां है और ट्यूबवेल्स गूल तथा बिजली के काम नये ट्यूबवेल्स में एक साथ किये जाया करें ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो और सब काम एक साथ ही समाप्त हो जाय ।

एक चीज और है । हमारे यहां तिलियाखाता एक गांव है वहां पर पानी भर जाता है । उस गांव के बराबर से रेलवे लाइन जाती है जो काफी ऊंची है । अतः उसके आसपास पानी भर जाता है और कई गांव उससे प्रभावित हो जाते हैं । अगर एक पुलिया रेलवे लाइन की बना दी जाय तो उनका कष्ट दूर हो सकता है । इसके संबंध में मैंने रेलवे के जनरल मैनेजर को भी लिखा था उन्होंने कहा कि यह तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है । अगर वह पुलिया बनाने के लिये रुपया देंगे तो पुलिया बना दी जायगी । जब कि एक ट्यूबवेल में ४५–५० हजार रुपया लगाया जाता है वहां मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस ग्राम तथा अन्य ग्रामों की जमीन बचाने के लिये वे इसमें रुपया लगा दें तो अच्छा है और रेलवे से इस संबंध में बातें करके पुलिया बनवा दें । जिससे कि वहां के लोगों को उससे काफी राहत मिले । एक और चीज की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि छोटी सिंचाई स्कीम में माननीय मंत्री जी द्वारा सिंचाई के कुओं के लिये जो लोगों को तकावी दी जाती है उसमें एक कायदा यह है कि जिनकी जमीन एक जगह ३० बीघे से ज्यादा नहीं होगी उनको तकावी नहीं दी जा सकती है । हमारे यहां बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास ३० बीघे से ज्यादा जमीन एक जगह हो । कुछ लोग हैं जिनके पास ५०, ६० बीघे तक जमीन है, लेकिन ऐसे कम लोग हैं जिनके सारे खेत ३० बीघे से ज्यादा एक जगह हों । चकबन्दी के बाद जरूर यह मुमकिन हो सकता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां चकबन्दी की स्कीम लागू नहीं हो सकती । तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर ध्यान देकर इस कानून के अन्दर कुछ सुविधा दें कि अगर किसी के पास ३० बीघे से कम जमीन भी एक जगह हो और वे सिंचाई के लिये कुएं बनवावें तो उसमें कोई इस किस्म की रोक नहीं होनी चाहिये कि ३० बीघे से कम होने की वजह से उनको यह तकावी न दी जाय ।

श्री द्वारिकाप्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजेन्द्र सिंह की तरफ से जो कटौती प्रस्ताव आया है उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं । आज सिंचाई की बाबत सरकार की जो नीति है वह ऐसी है जिससे मालूम पड़ता है कि सरकार ने उसको अपना पेशा बना रखा है । मैं तो यह कहूंगा कि आज से ११, १२ साल पहले से सरकार की यही नीति है और अगर आप देखें तो पहले जो सिंचाई का रकबा था वह भी बहुत कम होता जा रहा है । माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं अपने इलाके की ओर दिलाऊंगा । फर्रुखाबाद जिले के तहसील कन्नौज में एक ग्राम बहोसी है । जब अंग्रेज यहां मौजूद थ तो नहर में एक खांदी थी । पानी खतम होने की वजह से न मालूम किसी ने नहर को काट दिया और वहां अंग्रेज लिख कर रख गये कि इस गांव के लिये पानी नहीं दिया जायगा । वे अंग्रेज तो चले गये, लेकिन आज जो हमारी सरकार है उसको भी दया नहीं आयी और ग्राम बहोसी के लोग बुरी तरह से पानी के लिये तड़पाये जा रहे हैं । दूसरी बात यह है कि कन्नौज तहसील में जो मझिला ग्राम है, वहां के ४, ५ तालाब बरसात में पानी से भर जाते हैं । वहां की जनता ने मांग की कि यहां से बरसाती पानी के निकालने का रास्ता होना चाहिये लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई । अगर आप जाकर देखें तो वहां कमर तक पानी हो जाया करता है और २, ३ मील तक चारों तरफ पानी भर जाता है । एक्जीक्यूटिव इंजीनियर भी वहां आये

[श्री द्वारिकाप्रसाद]

और उनसे लोगों ने मांग की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और इस तरह के कामों के लिये जो रुपये रखे गये थे वे रिफंड भी हो गये। गवर्नमेंट को चाहिये कि वहां के ५, ६ गांव के लोगों के आने-जाने की सुविधा तो कम से कम कर दें।

इसी तरह से वहां पर उमरदा सरसई माइनर एक है जहां पर ऊसर जमीन में तो नीची सतह पर नाले बने हुए हैं और उपजाऊ जमीन जहां है वहां तो ऊंची सतह पर बने हुए हैं जिससे जनता को पानी नहीं मिल पाये। इसका परिणाम यह है कि जो उपजाऊ जमीन है वह बिलकुल सींची नहीं जा रही है। जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां पर कुएं बनवाने की तरफ ध्यान देना चाहिये और सरकार को चाहिये कि जहां आवश्यक हो वहां वह तकावी आदि में छूट भी दे। अगर सिंचाई की सुविधा अच्छी तरह से हो जाय तो जनता को काफी लाभ पहुंचाया जा सकता है। हमारे यहां रावतपुर एक गांव है जहां की जनता ने दरख्वास्त दी और ३, ४ साल से बराबर मांग करती रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह से जनता को परेशान किया जा रहा है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि बरसाती नाले की बाबत ये जो जगहें बतलाई हैं मझला तालाब, सरसई और रावतपुर इनकी ओर ध्यान दिया जाय।

श्री राम सनेही (जिला जौनपुर)—कई दिन के बाद मुझे यह अवसर आपने दिया, इसके लिये मैं, अधिष्ठाता महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा इस संबंध में नम्र निवदन है कि देश के सामने जो अन्न समस्या है उसमें सिंचाई विभाग की तरफ से अधिक से अधिक प्रबन्ध किया गया है। हमारे जिले जौनपुर में २ नदियां बहती हैं सई और गोमती। वहां पर इनके किनार नहर या ट्यूबवेल से प्रबन्ध करना कठिन है। सरकार को चाहिये कि छोटी योजनाओं के लिये अधिक से अधिक प्रबन्ध करे ताकि आसानी से किसान सिंचाई कर सके।

जहां तक ट्यूबवेल का सवाल है वहां के किसान बहुत खुशहाल हैं और वहां गल्ले की हालत बहुत अच्छी हो गयी है, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रार्थना यह करनी है कि जो छोटे किसान हैं उनको वक्त से पानी नहीं मिलता। खास तौर से उनको पानी मिलता है जो वहां के आपरेटर्स को पैसा दे कर या दीगर सामान दे कर खुश कर लेते हैं। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इस संबंध में कुछ न कुछ प्रबन्ध किया जाय खास कर जिनके पास कम खेती है उनको पहले पानी दिया जाय, जिनके पास अधिक खेती है उनको बाद में पानी दिया जाय ताकि छोटे किसान जो कम गल्ला पैदा करते हैं उनको सिंचाई की वजह से दिक्कत का सामना न करना पड़े।

गर्मी के दिनों में जिन किसानों ने ऊख बोई है उनको ट्यूबवेल्स से पानी नहीं मिल पाता है। दूसरी तरफ पानी चला जाता है और वह किसान पानी नहीं पा सकता है, इसलिये कि बीच में नाली होती है। अगर नाली किसान तोड़ देता है तो सरकार की तरफ से दंड मिलने का उसे डर होता है। लिहाजा ऐसा इन्तजाम होना चाहिये कि यदि २ ईंटें तोड़ कर वह सिंचाई कर ले तो किसी तरह की कड़ाई नहीं होना चाहिये।

जहां तक छोटी योजनाओं का ताल्लुक है जितना अधिक पैसा खर्च किया जायगा उन पर उतना ही अधिक किसानों को लाभ होगा। हमारे यहां कुछ स्थानों पर नहरों का प्रबन्ध हुआ, लेकिन उनकी बगल में ही कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां न नहर का प्रबन्ध हो सकता है और न ट्यूबवल का प्रबन्ध हो सकता है। वहां के किसान चाहते हैं कि कुछ न कुछ सिंचाई का प्रबन्ध उनके लिये हो जाय, लेकिन वह नहीं हो सका है। ऐसी जगहों के लिये सरकार ध्यान दे।

इसी सिलसिले में बाढ़ का भी एक विभाग है जिसके द्वारा नदियों के किनारे गांव ऊंचे किये गये हैं और बाढ़ के संबंध में सहायता दी जाती है। पिछली दफा कहा गया था कि

केराकत तहसील में गांव ऊंचे किये गये हैं। विजयपुर और केशवपुर में मिट्टी पड़ी है। मैं तो यह कहूंगा कि वहां पर १ रुपया की भी मिट्टी नहीं पड़ी है, लेकिन बता यह दिया गया है कि इतने रुपये की मिट्टी पड़ी है।

इसके अलावा बिजली के सिलसिले में यह कहना है कि मऊ से लेकर सरकोनी तक खम्भे गड़े ट्यूबवेल के लिये बिजली देने के लिये लेकिन बाद में यह तय हुआ कि सरकोनी तक लाइन नहीं ले जायी जायगी, मुर्तजाबाद से जौनपुर तक ले जायी जायगी जिसके कारण बिजली नहीं लगी और न वहां ट्यूबवेल बने जिससे सिंचाई का कोई प्रबन्ध उस क्षेत्र में नहीं है।

आखिर में यह कहना चाहता हूं कि गोमती नदी के किनारे किसान मेंड़ बना करके गर्मी में धान लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जब धान लगा लेते हैं तो कभी–कभी नहर का पानी इतना छोड़ दिया जाता है कि धान की फसल नष्ट हो जाती है जिससे हजारों मन गल्ले का नुकसान हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब पानी छोड़ा जाय तो धीरे–धीरे छोड़ा जाय या ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि एक ब एक न छोड़ करके किसानों को लाभ पहुंचाया जाय।

श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—मान्यवर, प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें दो रायें नहीं हैं कि यहां ८०–८५ प्रतिशत किसान बसते हैं जिनकी जीविका का निर्वाह कृषि से ही होता है। इसलिये कृषि के फलने फूलने के लिये सिंचाई की आवश्यकता हुआ करती है, लेकिन हमारी सरकार की गाड़ी इस तरफ बड़ी मंथर गति से चल रही है। यहां के विद्वानों का कहना है कि प्रदेश की खेती जुए के खेल के समान हो गई है। यदि समयानुसार पानी पड़ा तब तो ठीक है नहीं तो लहलहाती खेती बरबाद हो जाया करती है। हां, यह जरूर है कि कहीं–कहीं पर सिंचाई के लिये नलकूप लगाये गये हैं, पूर्वी जिलों में भी नलकूपों का प्रबन्ध किया गया है, लेकिन मैं कहने के लिये तैयार हूं कि इन नलकूपों से किसानों की मुश्किल बढ़ गई है क्योंकि पानी का टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। इस विचार से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो नलकूप का टैक्स है उसको कम किया जाय तभी किसान को लाभ हो सकता है इस व्यवस्था का। होता यह है कि किसान के पास पैसा नहीं होता है उसके पास श्रमधन होता है। किसान यह करता था कि सिंचाई के दिनों में अपने बाल-बच्चों को लेकर खेतों में महीनों श्रमधन को बिखेरा करता था। अब यह होता है कि महीने भर का कार्य नलकूप के द्वारा २ दिन में अवश्य कर लेता है, लेकिन २८ दिन अपने दरवाजे पर बैठकर गप्प लड़ाया करता है, उसके लिये कोई काम नहीं है। जब पानी के टैक्स की वसूली का डंडा अमीनों द्वारा आता है तो किसानों के घर म भगदड़ मच जाया करती है यहां तक किसान को अपने घर के बर्तन, आहार और स्त्री के गहने बेचकर ही उससे छुटकारा मिलता है। इन सब बातों को देखते हुए यह मालूम होता है कि किसान की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ऐसी सरकार जो पानी और हवा पर टैक्स लगाती है वह कब तक रहेगी यह भगवान् ही जाने।

मान्यवर, मैं गाजीपुर जिले के जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं वहां पर कुल भूमि के क्षेत्रफल के तीन बटे चार हिस्से में केवल धान की फसल ही हुआ करती है जो साल में एक ही फसल होती है। यदि वहां सरकार की तरफ से सिंचाई का प्रबन्ध हो जाय नहरों के द्वारा, या नलकूपों के द्वारा तो धान कटने के बाद दोबारा फसल बोयी जा सकती है जिससे अन्न की कमी भी दूर हो सकती है।

दूसरी बात गाजीपुर का बहरियाबाद इलाका जो कि आजमगढ़ के करीब पड़ता है, १०–१२ साल हो गये आजादी मिले हुए लेकिन यहां पर सिंचाई का कोई भी प्रबन्ध नहीं हुआ।

[श्री यमुनासिंह]

यहां की जनता निर्निमेष दृगों से सरकार की तरफ देख रही है सरकार की कब कृपा होगी। सन् १९४२ के आन्दोलन में यह इलाका जिले में अग्रगणी रहा है। यहीं के अलगूसिंह यादव ने सीने पर गोली बर्दाश्त की और शहीद हुए। ऐसे इलाके के लिये जहां पर लोग शहीद हुए और उफ तक नहीं की ऐसे इलाके के प्रति यह उपेक्षा, मुझे तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपिता बापू की आत्मा स्वर्ग में इस सरकार को कोसती होगी। इसके अलावा गाजीपुर के मरदई इलाके में कलही एक गांव है जहां पर बहुत सी जमीन पानी से भर जाती है बरसात में और किसानों को उन खेतों की मालगुजारी देनी पड़ती है। पहले एक नाला भैंसही नदी में था, लेकिन उस नाले को दूसरे गांव के किसानों ने जोत लिया है जिसकी वजह से पानी नहीं निकल पाता है। मान्यवर, वर्षा के दिनों में जब धान की फसल लहलहाती थी इतना ज्यादा पानी पड़ा कि सब फसल गल गई। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कलही गांव के ताल से नहर निकाल कर भैंसही नदी में मिला दी जाय। जैसा कि श्री राजनारायण जी ने कहा, गाजीपुर में सिंचाई विभाग में बहुत ज्यादा करप्शन हुआ है इसकी जांच-पड़ताल करने की भी मंत्री जी कृपा करें।

श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यों तो प्रदेश में सिंचाई का जो कार्य संचालन किया गया उसके अंतर्गत बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई गईं जैसे रिहंद, माताटीला, बंधगिराज, दोहरीघाट और टांडा पम्प्ड कैनाल आदि हैं। मैं आपके द्वारा यह जरूर बताना चाहता हूं कि इसमें जो बड़े-बड़े इंजीनियरों ने योग दिया है मैं उन्हें और सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैंने बस्ती जिले में बंधगिराज, जिसका निर्माण ३५—३६ लाख रुपये के द्वारा किया गया है, उसको देखा है और वहां पर जाने से प्रतीत होता है कि वास्तव में इस क्षेत्र में कितना बड़ा लाभ इसके द्वारा हुआ है।

अब श्रीमन्, १०--१२ साल के कार्य के बाद सरकार का ध्यान छोटी-छोटी योजनाओं की तरफ गया है जिसका जिक्र अभी आज माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अपने भाषण में किया है। मैं निवदन करना चाहता हूं कि यों तो जहां तक उनका जिस विभाग से संबंध रहा है उसमें जिस खूबी के साथ उन्होंने कार्य का संचालन किया है वह प्रदेश की जनता के सामने है। और जब से सिंचाई का विभाग उनके हाथ में आया है एक प्रकार की लोगों के दिल में यह भावना जरूर उत्पन्न हुई कि यह काम भी अब बहुत प्रगति से चल सकेगा। माननीय मंत्री जी ने छोटी योजनाओं का जिक्र किया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक प्रदेश में बड़ी-बड़ी योजनाएं चलाई गईं तो बहुत काफी धन व्यय किया गया और बड़े विस्तार के साथ प्रत्येक जिले में कुछ न कुछ कार्य एक आन्दोलन का रूप धारण करके किया गया, लेकिन जब हम माइनर इर्रीगेशन स्कीम की तरफ आए तो, वह कहते हैं कि सरकार इसको पूरा नहीं कर सकती जब तक कि जनता स्वयं इस काम को अपने ऊपर लेकर सहयोग न करे। मैं निवेदन करूंगा कि जहां आप समझते हैं कि एक नलकूप के बनाने में ६०—६५ हजार रुपया व्यय होता है। आप उसका आधा भार किसान पर देना चाहते हैं और आप जो रुपया देते हैं उसका सूद लेने की फिक्र में आप हैं जैसा कि नियम बना हुआ है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि देश के अन्न संकट को दूर करने के लिये जब इस तरह की सिंचाई योजना चलाई जायं तो कम से कम सूद की रकम गांव के लोगों से न ली जाय और उस रकम की वापसी के लिये उन लोगों को और अधिक समय दिया जाय जिसके अन्दर वह उस रकम को वापस कर सकें।

बहुत से माननीय सदस्यों ने अनेक बातें कहीं हैं सिंचाई योजना के सम्बन्ध में। बहुत सी गलितयां हुई हैं जिनके दोष ओवरसीयर और पतरौल से लेकर माननीय मंत्री महोदय तक हमारे एक माननीय सदस्य ने बता डाले, वाराणसी की जांच के बारे में बहुत कुछ कहा कि मंत्री तक जांच में आ सकते हैं। म उन के तरीके से तो उनका उत्तर नहीं दूंगा, वह तो उन्हीं

को शोभा देता है लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिये कि जिन मंत्रियों का और मुख्य मंत्री जी का उन्होंने जिक्र किया उन का इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि तमाम देश में एक विशिष्ट स्थान है। इतना ही इस सम्बन्ध में कहूंगा और उनके शब्दों में मैं उन्हें जवाब न दूंगा।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात की ओर और ध्यान आकृष्ट करूंगा। जहां से मैं चुनकर आया हूं मेरा वह क्षेत्र ३६–३७ मील लम्बा चौड़ा है और जो आज तक नलकूप आदि की योजना से वंचित रहा है। वहां कोई नलकूप नहीं लगा है जब कि करीब में ही बिजली पहुंच चुकी है। अतः मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस क्षेत्र को वह स्वयं देख आये हैं विक्रमजोत और परसरामपुर के पास का इलाका वहां पर अवश्य वह अपनी सिंचाई योजना लायें। हमारी हरैया और डुमरियागंज की तहसीलें भी ऐसी हैं कि जहां पर इस सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं हो सका है और पानी की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि जब कभी भी कोई काम प्रारम्भ किया जाय तो इन दोनों तहसीलों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक तरफ और माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि उन्होंने जो अपने भाषण में ४० लाख रुपए का जिक्र किया है और अब भी बता रहे हैं वह बहुत अच्छी चीज है मैं इसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं।

दूसरी तरफ जो चीज मुझे खटकती है उसके बारे में विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि हमारे जो निम्न कोटि के कर्मचारी हैं उनको इस निर्माण के युग में अपने को सहायक समझना चाहिये और ईमानदारी से काम करना चाहिये। जहां तक उच्च अधिकारियों का प्रश्न है हमारे सिंचाई विभाग में ऐसे भी इंजीनियर्स हैं कि जिनकी प्रशंसा विदेशी लोगों ने भी की है कि अगर यह मिल जायं तो हम इनको अपने देश में ले जायं तो जहां पर कि इस प्रकार से हम एक काम को गलत देख कर और सब कामों के लिए वैसी ही बात कहते हैं, मैं अपने माननीय मित्रों से कहूंगा कि जितने अच्छे काम हैं उनका भी जिक्र करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल—अधिष्ठाता महोदय, मैं सिंचाई के सम्बन्ध में आज अपनी पार्टी की ओर से कटौती का जो प्रस्ताव पेश हुआ है उसके सम्बन्ध में अपने विचार रखता हूं। यह सिंचाई की योजना कोई हौवा नहीं है जितना इसको समझा जाता है और उससे डराया जाता है कि बहुत बड़ी स्कीम है। लखीमपुर जिले में अगर मंत्री जी को विश्वास पड़े तो १,५०० रुपये में ट्यूबवेल ४ इंची चालू हो जाता है। वह हमारे साथ जाकर के डल्लन साहब और कर्तारसिंह के फार्म देख लें। छोटी सी मशीन लगा करके अपने ट्यूबवेल चलाये जाते हैं। तो हमारा सरकार से और मंत्री जी से कहना है कि हमारे जिले में ट्यूबवेल की तकावी को न रख करके हमारे जिले का अहित किया है। रहट के कुएं में भी तो खर्च होता है, ऊंट खरीदना पड़ता है, उस सब में २,००० रुपये लगते हैं। आप २,००० रुपये तकावी ट्यूबवेल के लिए मंजूर कर दीजिये और उसमें आप सूद न लीजिये, जैसा कि आपकी तरफ से भी कहा गया है और हमारा भी यही कहना है, तो हमारे जिले में सिंचाई के सम्बन्ध में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि तहसील निघासन में तो सिंचाई की विशेष आवश्यकता नहीं है। जो ट्यूबवेल वहां बने हुए हैं वही व्यर्थ हैं। तहसील लखीमपुर के आधे हिस्से में सिंचाई की आवश्यकता है, आधे में नहीं है। तहसील मुहम्मदी में सिंचाई का काफी प्रबन्ध हो गया है, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि ट्यूबवेल के सम्बन्ध में जो सड़कें बनवाई हैं ये क्यों बनवाई हैं? मैंने प्रश्न पूछा था तो कोई उत्तर नहीं मिलता कि उन पर कौन निकलेगा। उनके लिए जमीन अक्वायर की है किसानों की और न लगान माफ किया है, न उनको कोई मुआवजा दिया है और जमीन ले ली है, सड़कें

[श्री बंशीधर शुक्ल]

बन गयी हैं। तो ये बन्द कर दी जायं। अलीगंज क्षेत्र में ट्यूबवेल बहुतेरे बने पड़े हैं, बिजली भी फिट है, लेकिन चालू नहीं हैं। उनको चालू किया जाय।

तीसरी बात यह है कि लखीमपुर में ४०० इस प्रकार की झीलें हैं जिनमें २५ एकड़ से अधिक जमीन है। अगर उनमें नालियां एक-एक मील, दो-दो मील की बना दी जायं तो २५ हजार एकड़ जमीन ऐसी निकल आयेगी जो खेती के योग्य हो सके और बहुत ही आला नम्बर की होगी।

इन सब बातों के साथ-साथ जो नहर वाले नदी में पानी छोड़ देते हैं उससे किसानों की फसलें चौपट हो जाती हैं। तो नहर वालों को हिदायत दें। मैं तो कहूंगा कि यह सिंचाई विभाग की ही नहीं, प्रत्येक डिपार्टमेंट की ऐसी हालत है। कोई भी मंत्री महोदय नौकरों पर अपना कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। आज एक अफसर सरकार के हाथों से तो निकल ही गया है वह स्वयं अपना एक तंत्र बनाये बैठा है। आजकल गणतंत्र के माने "नौकरतंत्र" हो गये हैं।

आपने जो रहट के सम्बन्ध में कहा है, मुझे यह पूरा विश्वास है कि किसी ने आपको सिखा दिया होगा, वैसे आपके दिमाग में यह बात नहीं आ सकती है। रहट से जो सिंचाई होती है तो उसमें बैल कितने दिन में मर जाता है और क्या-क्या कष्ट होता है?

श्री अधिष्ठाता—माननीय सिंचाई मंत्री को ज्यादा अनुभव है खेती का।

श्री बंशीधर शुक्ल—वह तो वकील हैं। हमको उनसे ज्यादा अनुभव है। हम बता सकते हैं कि इस खेत में इतनी पैदावार होगी और उतनी ही होगी। यह बात नहीं है कि खेती हम नहीं जानते हैं। हम पुश्तैनी खेतिहर हैं और अब भी हमारी जमीन है, कोई कमजोर नहीं हैं।

सभी जानते हैं कि अंग्रेजी राज्य में जो सिंचाई होती थी उस समय हमारे जिले में १० आने बीघा गेहूं की, १५ आने बीघा गन्ने की और ढाई आने चारे की होती थी। आज क्या हो गया है कि ५-६ रुपया बीघा गन्ने की सिंचाई ली जाती है। तो इतना सिंचाई कर क्यों लेते हैं? क्या देखते हैं किसान के पास? कौन सी बड़ी पैदावार आपने बढ़ा दी है? किसानों के छप्पर ज्यों के त्यों बने हैं। हां, सरकारी नौकरों के क्वार्टर और सरकार का आराम जरूर बढ़ा दिया है। तो सरकारी आराम को बढ़ा कर आपने देश का कोई कल्याण विशेष रूप से नहीं किया है। यह नौकर योजना आप समाप्त कीजिये और उनकी परवरिश बन्द कीजिये।

इसके अलावा नहरों की सड़कों पर जो आप जानवर नहीं निकलने देते हैं यह बहुत बड़ा अनर्थ करते हैं। आज ८-८ मील का चक्कर काट कर बैलगाड़ी वाले गन्ना लेकर आते हैं। अगर एक मील आपकी नहर की सड़क पर गाड़ी चला लें तो क्या हो जायगा?

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनःपीठासीन हुए।)

पानी आप छोड़ देते हैं, खेतों में बह जाता है। फसल उसकी चौपट और सिंचाई का कर उसके ऊपर अलग से। एक यही नहीं, जो तमाम बातें आपकी ओर से हो रही हैं उनकी ओर ध्यान दीजिये। अन्यथा दुनिया बदल रही है, सन् १९६२ में न जाने क्या होगा। इस प्रकार के कमजोर शासन नहीं चल सकते। हुकूमत हमेशा नौजवानी चाहती है। अगर आप हुकूमत नहीं कर पाते हैं तो गद्दी छोड़ दीजिये। मैं तो एक आदमी की डिक्टेटरशिप मानने को तैयार हूं बशर्ते कि वह नौकरों पर कंट्रोल रखे। मैं एक बात बता दूं। आज से चार वर्ष पहले पंडित कमलापति त्रिपाठी से बड़ी प्रार्थना करने पर साढ़े ३ एकड़ जमीन नहर के किनारे ३२ रुपये लगान पर पट्टे पर मैंने ली। आज तक वह जमीन हमको नहीं मिली हालांकि हमको उसका लगान भी देना पड़ता है, सिंचाई भी देनी पड़ती है, सभी कुछ देना पड़ता है। नहर वाले उस पर के दरख्त काट ले गये। हमने चौधरी साहब को दरख्वास्त दी, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

हमारे पड़ोस में बौठ माइनर है। आज चार-पांच साल से वहां के दो कुलाबे निकलवा लिये गये हैं। पतरौलों ने निकाल लिया हो या और जो भी अधिकारी हों उन्होंने निकाल लिया

हो। हमने चौधरी साहब को दरख्वास्त दी। तमाम दिन हो गये मगर कोई बात नहीं। तो बोलो भारत माता की जय। भला इस प्रकार से कोई काम चलेगा, कोई योजना सफल होगी? इसलिये मेरा कहना है कि हमारे लखीमपुर जिले में जितनी झीलें हैं उनमें से नहर निकाल कर २५ हजार एकड़ भूमि को सिंचाई योग्य बनाइये और अपने नौकरों पर कंट्रोल रखिय अन्यथा कुर्सी छोड़ दीजिये। यह सीधी सी बात है क्योंकि आप भी हमारे साथी हैं और यह बदनामी ज्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि नौकर का आराम आपने इतना बढ़ा दिया ह कि क्या कहना। मंत्री जी से तो मिलना आसान है, सरकारी अफसर से मिलना आसान नहीं। आज मालिक निबल को नौकर चबाये जा रहा है और नौकरों की दाढ़ में मालिक दबाया जा रहा है :

श्रमकार उठो सुनो सम्हलो,
ले प्रलय प्लावि महा जाल,
हलधर निद्रा से जाग पड़े,
ले हल मूसल दृग लाल लाल,
ग्रामों की बिजली निकल पड़ी,
बन महाशक्ति खप्पर सम्हाल,
उबली क्रोधानल सहन शक्ति,
आहें दौड़ी बन कर मशाल।

श्री अध्यक्ष—यहां भाषण देना है, कविता नहीं कहनी है।

श्री बंशीधर शुक्ल—यह भाषण ही है।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री बंशीधर शुक्ल—तो मुझे यही कहना है कि महाराज, दुनियां में खतरे की घंटी बज चुकी है। थोड़े दिन के मेहमान हम और आप, सब हैं। पता नहीं सन् ६२ में क्या हो। इसलिये जो भी काम करो ठीक करो और अपने नौकरों को ठीक-ठीक ट्रेनिंग दीजिये, उनसे काम लीजिये अन्यथा यह सीट छोड़ दीजिये।

श्रीमती सत्यवती देवी रावल (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे अपने विचार प्रकट करने का कुछ समय मिला है उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं। मान्यवर, जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करती हूं उसका बहुत बड़ा भाग यमुना और हिंडन की बाढ़ से पीड़ित रहता है और अब तीन वर्षों स दैवी प्रकोप का जो भारी संकट है, उसका बयान करना मुश्किल है। दैवी प्रकोपों का सामना करने के लिये उन कठिनाइयों पर काबू पाना पड़ेगा जिनके कारण हमारी बहुत सी खेती योग्य भूमि बेकार हो जाती है। अतिवृष्टि के कारण जगह-जगह पानी भरने की समस्या पैदा हो गई है। म अपन अनुभव से कह सकती हूं कि बुलन्दशहर जिले में दो लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पानी में डूबी हुई है। यदि नाल के द्वारा इस पानी को निकालने की कोई व्यवस्था की गई होती तो उसमें रबी की फसल बोई जा सकती थी और अन्न का उत्पादन बढ़ सकता था और इसी फसल में ८ लाख मन अधिक खाद्यान्न पैदा हो सकता था। इसमें किसी विशेष प्रयास की भी आवश्यकता नहीं थी।

मान्यवर, सिकन्दराबाद की करों नदी से वहां की ग्रामीण जनता को खासकर बरसात में जो संकट होता है उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। कलोंदा स्कूल के विद्यार्थियों के आने-जाने की उचित व्यवस्था नहीं है और करों नदी की बाढ़ से प्रति वर्ष छोटे बच्चे मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इसके लिये वहां फुटपाथ बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है। सड़क

[श्रीमती सत्यवतीदेवी रावल]

पर छोटी पुलिया होने से भी यह कठिनाई है। इसलिये मान्यवर, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर बड़ी पुलिया और पुलों की व्यवस्था करे। पोखरों का पानी निकालने के लिये महकमा नहर से नाली खुदवाने के प्रार्थना-पत्र पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वहां शीघ्र से शीघ्र बरसात से पहले नाली खोदने की कार्यवाही पर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। गैसूपुर नाला गाजीपुर और बैनूपुर गांवों की फसल को मारता है और आबादी को भी हानि पहुंचाता है। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि उक्त नाले का पानी नहर गंग में ले लिया जाय। जिससे वहां की जनता फसल की बरबादी से बच जाय। सूरजपुर लोहिया खाल जो हिंडन नदी के बाढ़ से भर जाता है उसकी रोक की व्यवस्था भी श्रीमन्, शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिए।

कोआपरेटिव के जितने नलकूप बने हैं उनको सरकार यदि अपने सिंचाई विभाग के अन्तर्गत ले ले तो जनता और सरकार दोनों का हित हो जायगा। कुछ नलकूपों पर बिजली नहीं है और नलकूपों की नालियां भी नहीं बनी हैं जिससे सरकार और जनता को भारी हानि है। काली नदी, गंगा, यमुना और हिंडन से जो गांव क्षतिग्रस्त हैं उनके कुछ नाम आपकी आज्ञा से मैं बता देना चाहती हूं---नगलेबाजीतपुर, गोझा, भंगेल, सलारपुर, रायपुर, सदरपुर और छलेरा आदि बाढ़ के प्रकोप से कट जाते हैं। बाढ़ आने से वहां की जनता की जो दशा है वह बड़ी शोचनीय है। बाढ़ आने पर उनको आठ-आठ दिन उपवास करना पड़ जाता है और भूख से तड़प कर वह अपना समय काटते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि बाढ़ के प्रकोप से जो गांव कट जाते हैं उस काटने को रोकने के लिए सरकार यमुना हिंडन के किनारे पर एक बांध या पुश्ता की योजना शीघ्र से शीघ्र करे जिससे वहां की जनता सुखी रहे। अन्त में मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तड़क-भड़क और शानदार इमारतों में व्यर्थ पैसा खर्च न करके कृषि तथा गृह उद्योग, सिंचाई, बांध आदि में व्यय करे जिनसे अन्न का उत्पादन बढ़े और बेरोजगारी दूर हो। धन्यवाद!

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)-- श्रीमन्, मेरा यही निवेदन है कि जो बहस चल रही है वह बहस सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे यहां पश्चिम से जो पानी आया वह आठ-दस मील के अन्दर भरा हुआ था। उसमें पाइप लगवा दिये। पाइपों में से पानी पहुंच गया नालों में जिससे बहुत से गांव चौपट हो गये। एक गांव में आंच लगी। वह तो जल गया और उसमें से बांस लेकर एक दूसरे गांव में फेंक दिया, वह और भस्म हो गया। यह नालों का इन्तजाम हुआ। पश्चिमी जिलों का कोई जिक्र नहीं। हम तो पश्चिमी और पूर्वी का कभी सवाल उठाते नहीं। लेकिन पूर्वी जिलों वालों को रोने की आदत है। पश्चिमी जिले कभी रोते नहीं। चाहे प्राण चले जायं पर अकालपीड़ित कभी नहीं बनेंगे। यह तो पूर्वी जिलों की आदत है। श्रीमन्, मुझे याद आ गई, देखिए मैं इसी पर बोल रहा हूं, चौधरी साहब, पश्चिमी जिले के हैं आप...

श्री अध्यक्ष---आप अध्यक्ष को सम्बोधित करके भाषण कीजिए। चौधरी साहब से मत बातें कीजिए।

श्री टीकाराम पुजारी---अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा पश्चिमी जिलों के बारे में मैं कह रहा हूं, वे कभी गर्की और बाढ़ पीड़ित कहना अपने को सहन नहीं कर सकते। वह तो पीड़ित नाम को सुनकर के ही दुखी होते हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारी सरकार ने, मैं आपके द्वारा अनुरोध करूंगा कि जो सैनिक थे, विजयी सैनिक अपने, अंग्रेजों को निकालने वाले सैनिक थे, उनका भी नाम राजनीतिक पीड़ित धर दिया। राजनीतिक पीड़ित यह नाम ही ऐसा निकम्मा है कि आदमी नपुंसक हो जाता है।

श्रीमन्, दुर्भिक्षों की बात है। दुर्भिक्ष पर बोलने का मौका नहीं मिला। दुर्भिक्ष पड़ा मथुरा में बोल रहे हैं कानपुर वाले। हमारे यहां तो बाढ़ आई, हमारे यहां चोया हुआ और बोल रहे

हैं बरेली वाले। हम भूखों मर रहे हैं और उनके यहां थाल परोसे जा रहे हैं। हमारी भूख के कष्ट को ये क्या समझ सकते हैं। हम ही अपने दुःख की कथा कह सकते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। आबपाशी के नहर के रेट की बात है। यह जो सिंचाई चल रही है यह तो उल्टी होती है। भादों और क्वार में रजबहे और नहर भर के चलती है। भादों और क्वार में जब पानी बरसता है तो ये नहरें चलती हैं और जब पानी सूखता है तो नहर बन्द हो जाती है। यह तो उल्टी सरकार बन गई है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा अर्ज करूंगा पश्चिमी जिले वीर होते हैं। वे घबड़ाते नहीं हैं :

बीमारी और मौत हमेशा कमजोरों को खाती है।
किसे नहीं मालूम बात जाहिर है सभी जमाने को,
होंठ से निकली हुई हवा काफी हो दिया बुझाने को।
लेकिन जब कभी लग जाती है सूखा फूस जलाने को,
तो आंधी भी मजबूर हो रहे जिसकी-तपित बुझाने को।
हाथी घोड़े नहीं हमेशा चींटी कुचली जाती है,
बीमारी और मौत हमेशा कमजोरों को खाती है।

श्री अध्यक्ष—आप सिंचाई पर ही बोलिए।

श्री टीकाराम पुजारी—वहीं पर आ रहा हूं श्रीमन् :

बिना तेग के वीर बहादुर रण अन्दर लड़ते देखे
तीर तोप तलवारों की भी बाढ़ों में बढ़ते देखे।
मौत के आ जाने पर भी कभी मौत से नहीं डरते देखे,
भीष्म पिता की तरह अपनी मर्जी से मरते देखे।
वीरों से रहे दूर सदा डरतों को ही नित्य डराती है।
बीमारी और मौत हमेशा कमजोरों को खाती है।।

***श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। श्री राजेन्द्रसिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज माननीय सिंचाई मंत्री जी ने यह माना है कि बड़ी-बड़ी योजनाओं से सिंचाई ऐसा मसला हल नहीं हो सकता और वह इस बात पर आ गए हैं कि छोटी-छोटी लघु योजनायें ही, ट्यूबवेल या रहट आदि से ही यह देश सम्पन्न हो सकता है। मुझे दुःख है कि देश का करोड़ों रुपया प्रान्त की बड़ी-बड़ी योजनाओं में गया और बड़ी-बड़ी योजनायें कोई ठीक प्रकार से सफल होती नहीं दिखाई पड़तीं। सरकार की ओर से उनकी जो मशीनरी है जिस प्रकार के एस्टीमेट वह लाते हैं उनमें लाखों का अन्तर होता है।

४, ५ करोड़ की योजना बना कर प्रस्तुत की जाती है और जब वह सफल होती है तो उसमें करोड़ों रुपया और लगाने पर सफल होती है। उधर ठीक से निर्माण भी नहीं हो पाता है। माताटीला बांध बन रहा है। जब ये बांध बनाये जाते हैं तो उनके निर्माण के समय लाखों बीघा जमीन का नुकसान और फसल बरबाद होती है। किसानों को उसके लिये तकावी नहीं दी जाती है। फिर भी वह बांध सफल नहीं होते हैं। मशीनरी नहीं आती है तो वह काम अधूरा पड़ा रह जाता है। उधर इन सब योजनाओं को सफल बनाने के लिये वहां यह सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

प्रयत्न करती है, जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। प्रदेश में ऐसी बहुत सी जमीन पड़ी हुई है जहां पर कोई भी सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं है लेकिन यह सरकार वहां पर किसी प्रकार की सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं करती। इटावा जिले में पारपट्टी का इलाका, जो जमुना और चम्बल के बीच का है, वहां पर किसी प्रकार की कोई भी सिंचाई की सुविधा न अंग्रेजी गवर्नमेंट के जमाने में और न इस स्वराज्य के मिलने पर ही प्राप्त हुई है। ऐसा विश्वास था कि इस हमारी स्वतन्त्र कहाने वाली सरकार का ध्यान उन जगहों में जायगा जहां पर किसानों के लिये किसी प्रकार का कोई सिंचाई का साधन प्राप्त नहीं है लेकिन अभी तक वहां पर कुछ नहीं हुआ। न तो वहां ट्यूबवेल बनाये गये और न कोई ऐसी स्कीम चालू की गई जिससे उस क्षेत्र में लोगों को आराम मिल सके। आप देखते हैं कि वहां पर सिंचाई के कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण और कोई कुटीर उद्योग भी न होने के कारण किसानों की दशा बड़ी दयनीय है। वहां पर कुछ नहीं पैदा होता है। वहां का किसान, गरीब किसान केवल परमात्मा के भरोसे पर रहता है। यदि पानी बरसा तब तो कुछ हो जाता है और यदि पानी नहीं बरसा तो कुछ नहीं हो पाता है। इसी का यह परिणाम होता है कि उस क्षेत्र में वहां के आदमी अधिकतर डकैत और बदमाश जरायम पेशावाले हो जाते हैं। उनके लिये यह मजबूरी हो जाती है। परन्तु न तो सरकार उस तरफ ध्यान देती है और न सरकार के सलाहकार ही उस तरफ कोई योजना बनाने की बात सोचते हैं।

मुझे यहां आये हुये २ साल हो गये, न मालूम कितनी बार मैंने भूतपूर्व सिंचाई मंत्री श्री राममूर्ति का ध्यान उस ओर आकर्षित करने की कोशिश की लेकिन दुर्भाग्य से हम सफल नहीं हो सके। हमारा ऐसा खयाल है कि हमारे नये मंत्री जी अवश्य उस तरफ ध्यान देंगे। वहां पर ट्यूबवेल लगाने की कोई योजना बनायेंगे। सरकार अभी तक ट्यूबवेल वहां लगाती रही है कि जहां पर नहरों से पानी सुलभ है। जब सरकार से कहा जाता है कि ऐसे क्षेत्रों में, जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, जहां पर लोग पीने का पानी नदियों से लाकर पीते हैं, दूर दूर जमुना और चम्बल नदियों से पानी लाकर पीते हैं और तब किसी तरह से गुजारा करते हैं, वहां पर पानी की व्यवस्था की जाय तो यह सरकार कह देती है कि पैसा नहीं है। इस तरह की बात कह कर सरकार टाल देती है लेकिन इस तरह कहने से न तो उन्नति हो सकती है और न यह सरकार का बहाना चल सकता है। कितना ही रुपया बहुत सी योजनाओं में लैप्स हो जाता है ऐसा मुख्य मंत्री महोदय ने इस सदन में माना है और माननीय सिंचाई मंत्री जी ने भी माना है। योजना तैयार हो जाती है और बजट में पास हो जाने के बाद जब लैप्स होने की नौबत आती है तब पता चलता है। रुपये का ठीक से प्रयोग नहीं हो पाता है। सरकार ठीक से उस रुपये को इस्तेमाल नहीं करती तो रुपया लैप्स हो जाता है। सरकार वहीं ज्यादा ध्यान देती है जहां पर खेती होती है। यदि दूसरी जगह भी ध्यान दिया जाय तो इससे पैदावार बढ़ सकती है। यदि ट्यूबवेल ऐसे क्षेत्र में लगाये जायं जैसे कि जमुना और चम्बल का क्षेत्र है, तो वे काश्तकार उसका आदर करेंगे और पानी लेकर अपने खेतों को समुन्नत बनायेंगे। सरकार की योजना सफल हो, किसान भी सुखी हों और किसान को आराम मिले यही हम भी चाहते हैं। जब तक सरकार इस प्रकार से सिंचाई का प्रबन्ध नहीं करेगी तब तक इस प्रकार के आंकड़े लाने से गरीब देश सफल नहीं हो सकता।

श्रीमन्, इधर हमारे इंजीनियर महोदय जिले में पहुंचते हैं तो वे नये नये एक्सपेरिमेंट करते हैं उदाहरण के लिये इटावा रजबहा की बात कहता हूं। वहां पानी की ठोकर रोकने के लिये मेड़ें बनी थीं। हमारे माननीय इंजीनियर महोदय ने उनको कटवा दिया, ठोकर तोड़ दी गयीं। नतीजा यह हुआ कि ऊपर के कुलाबों में पानी जाता नहीं और नीचे जाकर पम्प जब चलता है तो फट जाता है। इसके अलावा एक-एक कुलाबे पर आपने इतना रकबा लगा दिया है कि वह पूरी सिंचाई नहीं कर पाते और पहले जो कुलाबा ७ इंच का था उसे आपने घटा कर ६, ५ और ४ इंच का कर दिया है। परिणाम यह होता है कि किसान पानी के लिए सिर तोड़ता है, लाठियां

चलती हैं, मुकदमेबाजी होती है। कितना ही पानी बेकार चला जाता है। समय पर पानी नहीं दिया जाता, खेत सूख जाता है, मटर बोवाई जाती है तो परवा के लिये पानी जरूर दिया जाता है लेकिन उसके बाद सब चुपचाप बैठ जाते हैं। खेत में किसान चाहे मरें या जियें, उससे आपको मतलब नहीं रहता। सरकार रबी आन्दोलन चलाती है, खाद देती है, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं, उसके लिये कोई समय की व्यवस्था नहीं। किसान परेशान होता है, चिल्लाता है, प्रदर्शन करता है, लेकिन पानी तब छोड़ा जाता है कि जब खेत सूख जाता है और बरबाद हो जाता है। तो इसकी व्यवस्था की जायगी इसकी हमें आशा है।

श्री अध्यक्ष—श्री तिरमलसिंह जी, आप ५ मिनट बोलेंगे। समय कम है।

श्री तिरमलसिंह (जिला एटा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ५ मिनट बहुत कम हैं, १० मिनट मिलना चाहिये। जो अनुदान सदन के समक्ष माननीय मंत्री जी ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जो कार्य सरकार ने पिछले दिनों में किया है उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अन्न की समस्या को हल करने के लिये जो पैदावार को बढ़ाने के साधन जुटाये जा रहे हैं उनमें सब से बड़ी बाधा यह है कि वर्षा के कारण जो पानी बढ़ गया है वह अभी बहुत जगह जमा है। उसको निकालने की योजना को तीव्र गति से चलाया जाना चाहिये और आने वाली वर्षा के पहले ही उन योजनाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। वर्षा के कारण एक और समस्या यह हो जाती है कि जमीन में जब ऊपर पानी आ जाता है तो जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर पड़ जाती है जिसके कारण पैदावार कम होती है। मैं इस बात का पक्षपाती हूं कि कुएं बना कर पानी निकालने से जमीन का पानी नीचे जायगा और जमीन में कुछ गर्मी बढ़ेगी तो उससे पैदावार बढ़ेगी।

मैं नहरें निकालने का ज्यादा हामी नहीं हूं क्योंकि नहरों से ऊपर-ऊपर जब पानी जाता है तो पानी जमीन के अंदर जाता है और जमीन के नीचे जो वर्षा का पानी मौजूद है उसके कारण जमीन की गर्मी गिर जाती है और उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। इसके साथ-साथ मैं एक बात और माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो तकावी के रूल हैं उनके लिये आपने सदन में घोषणा की कि हम १ रुपये के लगान पर २० गुना देते हैं सीरदारों को। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि स्टेट जो उसूल मान चुकी है ७५ रुपये एकड़ के वैल्यूएशन का, उसी को आप सीरदारों के लिये मान लें तो उसमें कोई दिक्कत राज्य को नहीं हो सकती क्योंकि कहीं-कहीं सीरदार का लगान हमारे सूबे में १/२० पड़ता है। तो उससे वैल्यूएशन २० गुने का भी नहीं आ सकता जिससे ८ एकड़ का काश्तकार भी कुएं के लिये तकावी ले सके। तो मेरी यह प्रार्थना है कि ७५ रुपया एकड़ जो वैल्यूएशन मानी है जमीन की वही तकावी के रूल्स में बढ़ा दी जाय और इससे पटवारियों के लिये भी हिसाब निकालने में, परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हिसाब पेंचीदा नहीं होगा और उसे किसान भी निकाल सकता है और पटवारी भी और कानूनगो भी। इसी तरह का तकावी में भी कर दिया जाय। ७५ रुपये चाहे किसान लगा दें चाहे पटवारी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नलकूपों पर बहुत से भाइयों ने कहा कि डिस्चार्ज की शिकायत है, यह बात सही है। नालियों की शिकायत है, यह भी सही है। जो सिंचाई कम होती है उसके लिए एक समस्या पानी निकालने की है और उसके लिये अधिक से अधिक रकम बजट में रखना चाहिये था लेकिन यह रकम बहुत कम है और अगर पानी के निकास की योजनायें सरकार ने बहुत तेजी से चलाई तो अगले साल की पैदावार जरूर बढ़ जायेगी क्योंकि पानी भरने की वजह से किसानों की बहुत सी फसल नष्ट हो जाती है। जिस तरह से विरोधी भाई विरोध करते हैं

[श्री तिरमलसिंह]

और सभी आंकड़े पेश करते हैं लेकिन वे वर्षा के आंकड़े कभी नहीं बताते कि १८ इंच की वर्षा की जगह पर अब ७० इंच वर्षा हो गयी है, इसका क्या इलाज है ?

इसके साथ ही साथ, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की कुछ समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। जिस समय माननीय मंत्री जी हमारे जिले में पधारे थे उस समय भी हमने एक स्मृति-पत्र उनको भेंट किया था जिसमें हमारे जिले की बहुत सी समस्यायें थीं। यह जो मेरठ डिवीजन के जिले हैं उनमें कोई ऊपर है, कोई बीच में हैं और कोई सब से नीचे है, ऐसा माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण मे बताया लेकिन मुझे दुःख है कि उन्होंने हमारे जिले एटा की चर्चा नहीं की। वहां पर सिरसा नदी के किनारे कासिम तहसील में भरौली ग्राम के नीचे का एरिया बिल्कुल तबाह हो गया है। जिस तरह से बूढ़ी गंगा और गंगा से बदायूं में बाढ़ आ सकती है उसी प्रकार से एटा में भी सिरसा नदी और अन्य कारणों से बाढ़ आई है। इसलिये मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे जिले की ओर भी ध्यान दें, मेरठ के साथ एटा को न छोड़ दें। अलीगढ़ और मथुरा के पानी की वजह से हमारे जिले में तबाही आई है जिसका अनुमान नहीं किया जा सकता और आज भी जलेसर और कासिम तहसीलों में पानी भरा हुआ है। जिले से इसके सम्बन्ध में आंकड़े भी भेजे गये थे लेकिन मैं नहीं जानता कि इस पर क्या हुआ। समय की कमी के कारण इस समय मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के विचारार्थ रखा था उसके पक्ष और विपक्ष में बोले हुये माननीय सदस्यों के भाषणों को मैंने सुना। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ४ समितियां बनावें। पहली राजस्व तथा अभियन्ता विभाग पृथक्कीकरण समिति हो। नहर विभाग के इंजीनियरिंग तथा राजस्व, दोनों हिस्सों को अलग कर देना चाहिये। इन दोनों के एक में रहने से कार्य ठीक नहीं हो पाता है। दूसरी समिति सिंचाई कर निर्धारण समिति होनी चाहिये। आज सिंचाई तिगुनी कर दी गई है। आज सिंचाई दर को अपने पुराने स्तर पर कर देना चाहिये क्योंकि माननीय मंत्री जी सिंचाई बढ़ाने के पक्ष में कोई दलील नहीं दे पाये। तीसरी समिति उत्तर प्रदेश लघु कार्य योजना समिति होनी चाहिये। मंत्री जी कहते हैं कि छोटे कार्यों में अधिक ध्यान देना चाहिये और बड़े कार्यों में कम, तो इसे वह कार्यरूप में परिणत करें। उन्हें सारे जिलों में योजनायें मंगाकर पंचवर्षीय योजना में उन्हें सम्मिलित करना चाहिये। चौथी समिति होनी चाहिये भ्रष्टाचार जांच समिति। माननीय मंत्री जी मानते हैं कि ओवरसियर और इंजीनियरों के प्रतिशत ठेकेदारों से बंधे हुये होते हैं। एक-एक ओवरसियर की मासिक आय ३, ४ हजार रुपये है और इंजीनियरों का तो कहना ही क्या ? मंत्री जी चाहे यहां कहें या न कहें, जनता के पेट बांध कर कहें या न कहें, परन्तु वह मन में स्वीकार करेंगे कि इस तरह की बेईमानी उनकी मातहती में होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि हम लोग विरोधी दल के सदस्य हैं और माननीय मंत्री जी कहा करते हैं कि हम केवल आलोचना करते हैं। ऐसी बात नहीं है। सही बात को हम स्वीकार भी करते हैं। सारदा सागर बनाने के लिये १९५४ से काम प्रारम्भ हुआ और यह तय हुआ कि १९५७ में यह समाप्त होगा, १९५८ में समाप्त हो जाय, परन्तु एक वर्ष पूर्व वहां के इंजीनियरों ने उसका प्रथम भाग समाप्त कर दिया और खुशी की बात है कि उन्होंने ओवर-एस्टीमेट भी नहीं किया। अनुमानित लागत में ही यह समाप्त हुआ। इसलिये वहां के इंजीनियर जो कोई भी हों, धन्यवाद के पात्र हैं। परन्तु सारदा सागर के ठेके में अपार भ्रष्टाचार हुआ है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि सारदा सागर के ठेके देने वाली संस्था या विभाग, जो यह उद्योग विभाग है, उसकी ठेके देने की बात की पूरी जांच करावें, एक जज के मातहत एक कमेटी बैठावें जो यह पता लगावे कि उद्योग विभाग द्वारा कैसे एक मंत्री के बेटे को ठेका देकर वहां पर भ्रष्टाचार का अनुपम उदाहरण उपस्थित किया गया है।

श्री अध्यक्ष—आप उद्योग विभाग की बात न कह कर सिंचाई पर ही सीमित रहें।

श्री राजेन्द्रसिंह—ये सिंचाई विभाग के लिये ही ठेके हैं और उन पर रुपया सिंचाई विभाग का ही व्यय होने से मैं कह रहा हूं कि उद्योग विभाग ने जो ठेके दिये हैं उनकी जांच हो। अपराधी को दण्ड देने की व्यवस्था हो। माननीय राजस्व मंत्री जी इस समय सिंचाई मंत्री भी हैं, यदि वह चाहते हैं कि राजस्व विभाग की भांति दक्ष और सक्षम सिंचाई विभाग भी हो तो उन्हें चाहिये कि अपने समय में से अधिक समय सिंचाई विभाग के लिये देने की कृपा करें। शिकायतों पर वह वैसे ही ध्यान दें जैसे कि राजस्व विभाग की शिकायतों पर देते हैं। मुझे आशा है कि वह अवश्य ऐसा करेंगे और मैं उनसे फिर प्रार्थना करता हूं कि सिंचाई विभाग के लिये भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री और सिंचाई मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करें और जो मैंने चार समितियां बनाने का आग्रह उनसे किया है उसे भी स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, इस नहर विभाग का काम बहुत फैला हुआ है। हमारे सूबे में और जिले-जिले में कुछ न कुछ होता ही रहता है। बावजूद इसके कि दो-ढाई महीने से मेरे पास इस विभाग का चार्ज है अभी तक मैं यह नहीं जान पाया हूं कि बड़े-बड़े काम कौन से हो रहे हैं। छोटे कामों की बात तो मैं कह ही नहीं सकता। लेकिन बड़े-बड़े कामों में कितना रुपया खर्च किया गया है और काम की प्रोग्रेस कितनी हुई है, अभाग्यवश इन कामों को देखने का और कोई अन्दाजा लगाने का मौका मुझे नहीं मिला है। यहां माननीय दोस्तों ने जो अपने-अपने जिलों की बातें कहीं हैं, उन सबका जबाव देने में मैं असमर्थ हूं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जितने एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० यहां हैं और बाहर हैं उन तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं ? मैं उनको यह दावत देता हूं, उनको इस बात के लिये इन्वाइट करता हूं जो भी आपके सुझाव अपने-अपने जिलों के बारे में हों, उनको भेज देने की कृपा करें। लेकिन साथ ही इस बात का खयाल रखें कि नया ट्यूबवेल नहीं बन सकेगा, नहर न निकल सकेगी, रिजरवायर बड़े-बड़े नहीं बन सकेंगे। पुलिया, साइफन, ड्रेन्स की सफाई, गूल की सफाई वक्त पर न होती हो, कहीं तालाब की कोई बात हो, बांध खराब हो रहा हो, अगर इस प्रकार की छोटी-छोटी चीजें होंगी, जिनमें ज्यादा रुपये का खर्चा न होगा, ऐसी जितनी भी तजवीज होंगी उनको हत्तुलइमकान मदद पहुंचाने की कोशिश की जायगी। मेरी यह कोशिश होगी कि जहां तक हो सकेगा, फाइनेंशियल लिमिटेशन्स को देखते हुए, उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा।

भ्रष्टाचार की बात बहुत से माननीय मित्रों ने की। भ्रष्टाचार है इसको कोई इन्कार नहीं कर सकता। वह सारी सोसाइटी में है तथा सोसाइटी से बाहर गवर्नमेंट और उसके कर्मचारी भी नहीं होते, उनमें भी है। लेकिन केवल भ्रष्टाचार है इसको कहने से काम नहीं चलेगा। मैं और मेरे साथी सभी इस बात के लिये तत्पर हैं कि वह कम हो। पूर्णतया नष्ट होगा तब जब कि हम सब लोगों का चरित्र ऊंचा हो जायगा और देश मालदार हो जायगा, तभी पूरी तरह नष्ट होगा लेकिन उसको कम करने की कोशिश की जायगी। केवल भ्रष्टाचार कहने से न तो कोई फायदा चीफ इंजीनियर साहब को होगा और न इर्रीगेशन विभाग को। अगर आपको कोई शिकायत मालूम होती है, किसी की सुनी सुनाई नहीं, थोड़ी सी तस्दीक आप कर लें क्योंकि जो शिकायत कानों में पड़ती है तो शिकायत करने वाले से २–४ सवाल कर डालिये तो उससे ही मालूम हो जायगा कि वह बेबुनियाद बातें कर रहा है या तथ्य की बात कर रहा है, अगर आप

[श्री चरणसिंह]

मुतमईन होकर कोई शिकायत मेरे पास भेजेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसमें तहकीकात जरूर की जायगी। इस नहर के महकमे में रुपया बहुत खर्च होता है, रुपये का काफी काम इसमें होता है। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स इसमें हैं, इससे इसमें भ्रष्टाचार की काफी आशंका रहती है, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि भ्रष्टाचार है। मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त मेरी मदद करेंगे तो यह जरूर बहुत कम हो जायगा।

बातें तो बहुत सी कही गयीं लेकिन थोड़ी सी बातों का जवाब देने का मैं प्रयत्न करूंगा। एक माननीय मित्र ने कहा कि सिंचाई की दरें बहुत ऊंची हैं। ऊंचाई-नीचाई से अपेक्षा मालूम होती है। यह एक रिलेटिव टर्म है। देखना यह है कि जो इर्रीगेशन रेट्स हैं उनसे जो आमदनी होती है, वह कितनी होती है। जो हमारा खर्च हो रहा है उस पर रिटर्न कितना होता है। आज से १० साल पहले इर्रीगेशन डिपार्टमेंट को मुनाफा हुआ करता था, लेकिन अब उसको लास हो रहा है, बजाय करोड़ों रुपया खर्च करने के। किसान की कैपेसिटी को देखते हुए तो रेट ऊंचा हो सकता है, लेकिन जितना रुपया हम खर्च कर रहे हैं उसको देखते हुए इर्रीगेशन रेट्स नीचा है। यह सब लोगों के तय करने की बात है कि अगर इर्रीगेशन रेट्स और नीचा हुआ तो और लास होगा। फिर वह कहां से आयेगा? कौन इसको बर्दाश्त करेगा? कहीं और प्रदेश की गवर्नमेंट या जनता तो इसको बर्दाश्त करेगी नहीं, बर्दाश्त यहां की जनता को ही करना पड़ेगा।

एक सदस्य—कम ज्यादा पानी देने वालों पर बराबर क्यों लगता है?

श्री चरणसिंह—अगर आपका मतलब यह है कि जितना पानी लिया जाय उतना ही रेट्स दिया जाय तो जहां तक ट्यूबवेल्स का ताल्लुक है, वहां तो ऐसा होता ही है, लेकिन नहरों की जहां तक बात है, वह एक बुनियादी बात है और उसको मैंने अभी स्टडी नहीं किया है। मैं अपने विभाग से और इंजीनियरों से भी इस सम्बन्ध में मश्विरा करूंगा, लेकिन इसके एसेसमेंट में कई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। यह कैसे मालूम होगा कि किस किसान ने कितना पानी लिया? मेरे यहां भी खेत हैं और मुझे खुद इसका अन्दाजा है कि किसानों के करोड़ों प्लाट्स होंगे, उसके इतने भारी रेकर्ड्स को कैसे रखा जायगा कि किस खेत में कितनी बार, कितने ओसरा पानी आया। यह ठीक है कि किसान को जितना पानी मिले उसी हिसाब से उससे आबपाशी ली जाय। थ्योरिटिकल तो यह बात अच्छी मालूम होती है, लेकिन प्रैक्टिस में आप देखेंगे तो इस पर अमल करने में बहुत कठिनाई होगी। इसके लिये बड़ा भारी स्टाफ रखना पड़ेगा, क्योंकि रेकार्ड्स बहुत भारी रखने होंगे और उस पर बड़े एलिगेशंस होंगे। इसलिये पुराने तरीके को ही रखना अच्छा होगा कि किस खेत में कितने रकबे में पानी दिया गया, चाहे एक बार दिया गया हो, दो बार दिया गया हो या तीन बार दिया गया हो। यह बहुत ही मुनासिब और प्रैक्टिकेबिल कंसिडरेशन है। यह जो कहा गया कि रेट्स ज्यादा हैं, तो रेट्स ज्यादा नहीं हैं। किसानों की दृष्टि से भी आबपाशी ज्यादा नहीं कही जा सकती है। एक्सचेकर की दृष्टि से तो हमारा नुकसान हो ही रहा है, लेकिन किसानों की दृष्टि से भी ज्यादा नहीं है। होता यह है कि आबपाशी होने की वजह से खेत की पैदावार ५० परसेंट बढ़ जाती है। तो जब पैदावार ५० परसेंट बढ़ गयी आबपाशी होने की वजह से, उसको देखते हुए क्या रेट्स ज्यादा हैं? असल में किसान गरीब है और उसके पास जमीन भी अधिक नहीं है जिससे उसे बड़ी परेशानी होती है। मैं समझता हूं कि रेट्स कम नहीं किये जायेंगे, बल्कि हमको तो यह सोचना है कि शायद उसको ऊंचा करना पड़ जाय, इसके लिये हमको तैयार रहना चाहिये और किसानों को तैयार करना चाहिये अगर कभी करना पड़े। अभी यह मसला विचाराधीन नहीं है, लेकिन हो सकता है अभी नहीं अगले साल करना पड़े।

अब जहां तक रांग एंट्री की बात है, तो पतरौल ऐसा करता होगा। जब एक आदमी को अख्तियार है तो वह उसका सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता

है। दुरुपयोग भी तो वही करेगा जिसको कुछ अधिकार होगा, लेकिन जो पर्ची आबपाशी की किसानों को दी जाती है उसकी पीठ पर हिन्दी और उर्दू में लिखा रहता है कि अगर किसी किसान को कोई एतराज हो तो वह ३० दिन के भीतर एतराज कर सकता है। अगर किसी किसान ने इस पर एतराज किया हो और उसकी सुनवाई न हुई हो तो वह मेरे नोटिस में आनी चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—सिर्फ ८ रोज पहले पर्चियां मिलती हैं, यह रोज का किसानों का रोना है, इसे आप सुन लें।

श्री चरणसिंह—अगर माननीय मोतीलाल अवस्थी जी की नोटिस में ऐसी बात आई हो कि ८ रोज पहले पर्चियां मिलीं तो भी पर्ची मिलने के दिन से ३० दिन के भीतर वह एतराज कर सकता है। वसूलयाबी तो उसकी बहुत दिन बाद होती है। तहसील के जरिये होती है और यह पहले तकसीम हो जाती है। अगर ८ दिन पहले की भी कोई मिसाल हो तो भी वह शिकायत कर सकते हैं। जब तक मिसाल न आये कि ८ दिन के बाद ही वसूलयाबी शुरू कर दी गयी और १ महीने का वक्त नहीं दिया गया तब तक उस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। लेकिन कहीं ऐसा हुआ हो तो क्या ऐक्शन लें? चीफ इंजीनियर से कहूं कि ऐसा क्यों होता है तो वह कहेंगे कि नहीं होता है। जब तक पर्टिक्यूलर कम्प्लेंट्स न हों तब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। मोतीलाल जी डेट और किसान का नाम मेरे पास भेज दें। अभी चीफ इंजीनियर ने बतलाया कि ३० दिन की मियाद रक्खी गयी है, लेकिन कभी आब्जर्व नहीं करते हैं, ३० दिन के बाद दरख्वास्त भेजते हैं तो एंटरटेन करते हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल—आपके सामने कहते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं।

श्री चरणसिंह—मैं तो ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें अपमान या अवमान हो जायगा, अवहेलना हो जायगी अगर मैं यह कह दूं कि बंशीधर जी का इत्मीनान नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप आगे चलिये। हर बीच में उठाई बात का जवाब क्यों देते हैं?

श्री चरणसिंह—मैं अटक गया हूं। अगर शिकायत नोटिस में लाई जायगी तो फौरन कार्यवाही होगी, लेकिन ला के अन्दर मौका है। अपील कर सकता है महीने भर के अन्दर।

एक बात कही गयी गूलों के बारे में कि सफाई नहीं होती। यह भी हो सकता है कि न हुई हो। बरसात खत्म होने पर गूलों की सफाई वैसे होती है, लेकिन जिस तरह से सफाई होनी चाहिये उस तरह से सफाई न हुई हो और सफाई दिखलाई गई हो तो फिर भ्रष्टाचार नहीं, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर ऐसी कहीं बात है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जायगी।

जहां तक चैनेल्स की सफाई का ताल्लुक है वह किसानों की जिम्मेदारी है। अभी मैं सीतापुर गया था। वहां इंजीनियर से मुलाकात हुई। गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से एक इंजीनियर, जो कि रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, हैदराबाद के थे वे तहकीकात के लिये आये हुए थे कि पानी का पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। उनसे नहीं, अपने इंजीनियर से मुलाकात हुई। उनका कहना था कि शारदा नहर पर जितने रजबहे और चैनल्स हैं उनकी सफाई किसान नहीं करते और कहते हैं कि गवर्नमेंट करे। हर काम गवर्नमेंट करेगी? किसान जिनके खेत किसी गूल पर पड़ते हैं उनकी जिम्मेदारी है उसकी सफाई करने की, लेकिन नहीं करता है और यह प्रवृत्ति होती जा रही है कि हर काम गवर्नमेंट करेगी। हम लोग परमुखापेक्षी हो गये हैं और यह चाहते हैं कि कोई भी काम हो तो अपने से बाहर कोई एजेंसी

[श्री चरणसिंह]

ही वह करे। यह बड़ी नुकसानदेह चीज है। इंजीनियर महोदय का कहना था कि अगर सब किसान सफाई करते रहें बैरन को तो २५ प्रतिशत इर्रीगेटेड एरिया बढ़ जायगा। जहां मैंने यह राय दी दोस्तों को कि किसानों से कहें कि तकावी लेकर मेसनरी वेल्स बनायें वहां वे यह भी राय दें उनको कि अपनी गूलों की सफाई करें।

यह भी कहा गया कि बड़े-बड़े नालों की सफाई नहीं होती। यह ठीक है जिस तरह से सफाई होनी चाहिये उस तरह से नहीं होती, क्योंकि रुपये की कमी है। थोड़ा रुपया रखा जाता है नालों की सफाई के लिये। यह कोशिश अब हम करेंगे कि नालों की सफाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाय और निगरानी ज्यादा की जाय। जो नाले बने हुए हैं उनकी सफाई न होने के फलस्वरूप ही वाटर लागिंग होती है। मैंने अभी चीफ इंजीनियर से बातचीत की। वह भी कहते हैं कि हां यह बात सही है। रुपया बहुत थोड़ा है, लेकिन सप्लीमेंट्री द्वारा मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि और बिग ड्रेन्स की ज्यादा सफाई कराऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि ओरिजिनल ऐस्टीमेट्स जो बने हैं बड़े-बड़े रिजर्वायर्स के वह धीरे-धीरे बढ़ गये....

श्री अध्यक्ष---कुछ समय आप और चाहेंगे ?

श्री चरणसिंह---जी हां, १० मिनट चाहिये।

श्री अध्यक्ष---ठीक है ५ बजकर १० मिनट पर आप भाषण खत्म कर दीजियेगा, वैसे सवा पांच बजे तक हम बैठेंगे।

श्री चरणसिंह---ऐस्टीमेट्स जो हमारे बढ़े उसके मुताल्लिक मैं कह रहा था। माताटीला डैम, अर्जुन रिजर्वायर, सपरार रिजर्वायर, बान गंगा कैनाल और ओहन रिजर्वायर इन सब के ऐस्टीमेट्स के बारे में तहकीकात हो रही है और जिनकी जिम्मेदारी पायी जायगी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही करने में कोई कमी नहीं की जायगी।

एक शिकायत यह की गई कि जितना रुपया रखा जाता है वह खर्च नहीं होता है। ऐसी शिकायत महकमा नहर के बारे में नहीं की जा सकती कि जितना रुपया रखा जाता है उसमें से लैप्स होता हो। जितनी भी स्कीमें बनती हैं एक साल के बजट के लिये आमतौर पर पूरा रुपया खर्च हो जाता है। बल्कि डिपार्टमेंट की हमारे यह कैपेसिटी है कि अगर और भी स्कीम्स होती तो उनको और ऐग्जीक्यूट कर सकता।

अब यह कहा गया कि कुओं के लिये रुपया थोड़ा रखा गया है। तो कुओं के लिये इसमें कुछ रुपया रखा ही नहीं। मैंने कहा था कि उसमें तकावी दी जायगी। तो वह तो दिया जायगा माल विभाग के बजट से और मैं दावत देता हूं कि आप तकावी का रुपया खर्च कराइये और लोगों को दिलवाइये। जो साहब कुओं के लिये रुपया चाहेंगे उनको मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि वह वाकई कुओं पर उसे खर्च करें, क्योंकि वह ठीक इस्तेमाल नहीं होगा तो एकदम से वसूल होगा। वह आप खर्च करावें। जिस समय मैंने सुविधाओं की बात सुबह कही थी तो मैं यह कहना भूल गया था कि यह सुविधायें केवल मैसनरी कुओं तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि बुन्देलखंड की बन्धियों तक भी है, क्योंकि वहां पर कुओं की जगह केवल बन्धियां ही बन सकती हैं और उन पर भी वही सूद और ५० रुपए की किस्त लागू होगी।

एक साहब ने कहा कि कुछ गांव जो सतह ऊंची करने के लिए कागज पर दिखाये गये थे वह मौके पर नहीं थे। इस तरह की शिकायतें गाजीपुर में मिली हैं और श्री रामसमझावन जी ने दो गांव जौनपुर के बताये, उनको उन चीफ इंजीनियर साहब ने नोट कर लिया है उनके बारे में तहकीकात की जायगी। गाजीपुर की शिकायत अभी चल ही रही है, अभी तहकीकात मुकम्मिल नहीं हुई है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है ४० गांवों की वह तो है केवल २-४ गांव

ऐसे जरूर हैं कि जिनको दिखलाया गया है कि ऊंचे हो गये, लेकिन वह नहीं हुये हैं। वह तहकीकात हो रही है और गलत रिपोर्ट करने वाले से जवाब तलब किया जायगा।

श्रीकृष्ण जी ने कहा कि कुओं का डिस्चार्ज कम हो गया है उनका रिकांस्ट्रक्शन होना चाहिये। यह बात ठीक है, कुओं की औसत उम्र १७ साल की होती है और उसका एक सिंकिंग फंड होता है। कुछ कुयें ऐसे जरूर हैं कि जिनका १७ साल के बाद भी नार्मल डिस्चार्ज है या उनका डिस्चार्ज दस पन्द्रह परसेंट कम हो गया है। जब २०–३० प्रतिशत डिस्चार्ज कम हो जाता है तब कुओं का रिप्लेसमेंट करते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि चीफ इंजीनियर ने लिखा है कि हमारी कुछ दिक्कतें हैं कि उस इलाके में अभी तक वह रिप्लेस नहीं हो सके। मैं इस चीज को देखूंगा और कोशिश करूंगा कि उनकी जगह नये नलकूप बनें।

श्रीकृष्ण गोयल जी और श्री द्वारिकाप्रसाद जी ने कुछ फर्रुखाबाद का जिक्र किया। उसको श्री धर्मसिंह जी ने नोट कर लिया है, लेकिन अगर वह कृपया उनके नाम लिख कर ठीक से भेज दें, क्योंकि कुछ गलती न हो गई हो नोट करने में, तो उनकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश की जायगी।

तकावी के सम्बन्ध में कुछ सज्जनों ने कहा कि बेवाओं को और माइनर्स को तकावी नहीं मिलती। मेरे सामने यह मामला पहली बार आया है और अगर उनको वाकई नहीं मिलती है और अगर उसमें कोई बड़ी भारी दिक्कत नहीं है तो मैं इस चीज को हल करने की कोशिश करूंगा। एक साहब ने कहा कि तकावी लगान का ४० गुना मिलना चाहिये और २० गुना रेन्ट कम होता है लेकिन मैंने २० गुना कहा था सर्किल रेट का। तो वह भूमिधर को हुआ ४० गुना क्योंकि उसकी रेन्ट सर्किल रेट से आधा होता है। इस तरह से वह बराबर हो जाता है।

माननीय तिरमलसिंह जी ने कहा कि फी एकड़ ७५ रुपये के हिसाब से तकावी देना चाहिये यह तो और भी ज्यादा लिबरल है, इसमें साढ़े १२ गुना इन्टू सर्किल रेट है, यहां पर तो सर्किल रेट इन्टू २० गुना और भी ज्यादा पड़ता है। उनके हिसाब में कुछ गलती होगी। बस यही बातें थीं जो मैंने अर्ज कर दीं।

श्री राजनारायण—खराब तार की जाली लगने से सारे नलकूप खत्म हो गये उस के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री चरणसिंह—सारी बातों का जवाब यहीं नहीं होता, कमरे में आकर बात कीजिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्य का सम्पादन के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है। विभाग की खर्चीली योजनाएं एवं अपव्यय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२२

विपक्ष में—८३।)

श्री अध्यक्ष—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—अनुदान संख्या ४६ पर अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहती हैं?

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६--राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्य का सम्पादन--लेखा शीर्षक: ६८--सिंचाई--नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत ७,५२,५९,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब अनुदान संख्या १० के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्रसिंह का कटौती का प्रस्ताव है।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य का योजना-बद्ध न होना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब श्रद्धादेवी जी इसमें से अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहती हैं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं एक वैधानिक आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हूं। अनुदान संख्या ४६ में जो हमारा कटौती का प्रस्ताव था उस पर वोट नहीं लिया गया?

श्री अध्यक्ष--आप की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह ने प्रस्तुत किया था। आप नहीं थे, गैर हाजिर थे।

श्री राजनारायण--हमने तो रामस्वरूप जी को दिया है प्रस्तुत करने के लिये, देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष--रामस्वरूप जी ने उसको सपोर्ट किया होगा। उन्होंने ही पेश किया था, त्रिलोकीसिंह जी थे ही नहीं।

अभी और भी है इसमें (अनुदान संख्या १० में)। श्री राजनारायण जी का प्रस्ताव यह समझा गया कि वह उपस्थित किया गया।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है--बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं की उपेक्षा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में -- २६,
विपक्ष में -- ८४।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान १० के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

ग्रामीण जनता को छोटी सिंचाई के लिये सरकारी सहायता पाने में कठिनाई।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ४६ लेखा शीर्षक: ६८––सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण, अनुदान संख्या १०––लेखा शीर्षक : १७, १८ और १९-ख–सिंचाई से किये जाने वाले निर्माण कार्य तथा अनुदान संख्या ११––लेखा शीर्षक: १७, १८, १९ और ६८––सिंचाई स्थापना पर व्यय

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई निर्माण कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)––लेखा शीर्षक: १७, १८ और १९-ख–के अन्तर्गत ४,२६,०७,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में २० प्रतिशत की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विशेष विषय पर जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

राजस्व और अभियन्ता विभाग पृथक्-पृथक् न होना अधिक व्यय का कारण है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

ट्यूबवेलों पर नाली का काम पूर्ण नहीं हुआ है और न उनके द्वारा समय से पानी दिया जाता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

छोटे सिंचाई के साधनों को प्रोत्साहन देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११––सिंचाई स्थापना पर व्यय-लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८ के अन्तर्गत ४,०९,५३,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बज कर १३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२५ फरवरी, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६८ पर)

इलाहाबाद जिले में ऊंचे किये गये ग्रामों की तहसीलवार सूची

क्रम-संख्या	तहसील का नाम		ऊंचे किये जाने के लिये प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	ऊंचे किये गये ग्रामों की संख्या	ग्रामों की संख्या जिन पर कार्य नहीं प्रारम्भ हुआ	अब तक हुआ कुल व्यय (रुपये में)
१	फूलपुर	..	५१	४६	५	२,४८,६२१
२	हंडिया	..	३२	२९	३	१,३०,७२२
३	मेजा	..	१०	८	२	६९,३७२
४	चैल	..	८	७	१	२७,४४४
५	करछना	..	३	३	..	२५,०५२
६	मंझानपुर	..	१४	११	३	८६,८७६
७	सोरांव	..	३३	२८	५	१,८१,७९१
	योग	..	१५१	१३२	१९	७,६९,८७८

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७५ पर)

क्रम-संख्या	नाम माइनर	उपशाखा का नाम जिससे निकलेगी	माइनर की लम्बाई	माइनर की लागत	ग्रामों के नाम जिसमें सिंचाई माइनर से होगी
१	२	३	४	५	६
				रु०	
१	थानाइर माइनर ..	शाखा अतर्रा मील १४.३.३० दाहिनी पटरी।	३.०	३०,०००	बल्लन चौसर
२	दबनी माइनर	शाखा अतर्रा मील १८.७.० बाईं पटरी।	१ १/२	१४,०००	अयवां दबनी पारा कंरी
३	अतरवां माइनर..	ओरन रजबहा मील ७.१.२०० दाहिनी पटरी।	२.५ १/२	२३,०००	उतरवां सिधपुर।
४	कुर्रही ..	शाखा अतर्रा मील २४.२.३२२ दाहिनी पटरी।	१ १/२	१०,०००	भरोली कुर्रही।
५	जरोहर माइनर..	मीटी रजबहा मील ०.७.४०० बाईं पटरी।	२.५	२६,०००	भरौली पवइया जरोहर।
६	विसंडी माइनर..	मीटी रजबहा मील ४.०.० दाहिनी पटरी।	२.४ १/२	२५,०००	[illegible]वां मोटी।
७	वैल्दान माइनर..	कमासिन रजबहा मील ०—६—० बाईं पटरी।	२ १/२	२०,०००	अकोनावेल्दान पवईया।
८	राछा माइनर ..	जाम माइनर मील १—०—० दाईं पटरी।	१·३ १/२	१४,०००	रानीपुर राछा जामू।
९	आछा माइनर बढ़ाना	अछाह माइनर मील २—५—३३० से	५ १/२	७,०००	जुगरहेली।

क्रम-संख्या	नाम माइनर	उपशाखा का नाम जिससे निकलेगी	माइनर की लम्बाई	माइनर की लागत	ग्रामों के नाम जिसमें सिंचाई माइनर से होगी
१	२	३	४	५	६
१०	औगासी माइनर. .	बबेरू रजबहा के मील १६–५–० बाईं पटरी से।	२·२	२२,५००	औगासी।
११	मऊ माइनर . .	सांडा रजबहा मील ८–१–३३०।	१·२ १/२	१३,०००	मऊ।
१२	मदवारी माइनर बढ़ाना	मदवारी माइनर मील १–५–३३० से।	०·५	६,०००	मदवारी पतवन मझीवां व्योञ्जा।
१३	साथी माइनर . . बढ़ाना	साथी माइनर के मील १–४–४७० से।	०·२	२,५००	साथी कुर्रम बड़ा गांव।
१४	बबेरू माइनर . .	बबेरू रजबहा मील ८–२–५५० दाहिनी पटरी।	१·३ १/२	१४,०००	बबेरू।
१५	उमरी माइनर . . बढ़ाना	उमरी माइनर के मील २–७।	४·५	२०,०००	बेवेक कचैंद उमरहनीपुर और सतन्यावं।
१६	सांडा रजबहा . . बढ़ाना	सांडा रजबहा के मील ११–४–५६०।	१·०	१०,०००	चरक मतेहना
१७	नरायनपुर माइनर	कमासिन रजबहा के मील १९–१–० दाहिनी पटरी।	१.३ १/२	१४,०००	नरायनपुर अचरन।
१८	जाम माइनर . . बढ़ाना	जाम माइनर के मील ६–२–१६५ से।	०·७	९,०००	चकरेली मवई।
	योग . .	. .	३१·३	२,८०,०००	. .

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७६ पर)

अनुसूची उन ग्रामों की जिनमें रबी १३६१ फसली में छूट मालगुजारी में दी गई तथा छूट की धनराशि

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	धनराशि जो वास्तव में छूट लगान में कृषकों को दी गई		
		रु०	आ०	पा०
१	महेशपुरा ..	७९	८	०
२	उज्जैन ..	१५३	०	०
३	लक्ष्मीपुर पट्टी ..	९६३	१२	०
४	काचनालगात्री	३८	१०	०
५	रम्पुरा ..	२९३	४	०
६	दमौरा मुस्तहकम	५५	१५	०
७	पसिमपुरा ..	५४८	०	०
८	कनकपुर ..	४११	१४	०
९	धीमर खेड़ा ..	५७३	११	०
१०	खड़कपुर दैवीपुरा	७८०	११	०
११	कचनालमुसाई ..	१०४	१२	०
१२	जगन्नाथपुर ..	३१६	१२	०
१३	बांसखेडा कलां	६०२	५	०
१४	बांसखेडा खुर्द ..	८९८	७	०
१५	ढकिया गुलाबों	५१०	३	०
१६	गिन्नीखेडा ..	१२०	१५	०
१७	सूरजपुर ..	७८५	७	०
१८	पतरामपुर ..	२१८	६	०
१९	मनोरथपुर ..	३६२	१२	०
२०	मेघावाला ..	१९	५	०
२१	खीपका ..	१०६	१०	०
२२	मिलकसीपका ..	६६	१२	०
२३	पट्टीवाला ..	६४	३	०
२४	रहमापुरा ..	४	५	०
२५	देवीपुरा ..	१४३	६	०
२६	उमरपुर ..	१५०	१२	०
२७	ढकिया हरचन्द..	९२	१	०
२८	खेड़ालक्ष्मीपुर	७६०	११	०
२९	इमरतपुर ..	२३४	८	०
३०	जसपुरपट्टीकल्यान	२०८	१०	०
३१	जसपुरपट्टी उत्तम	१९०	९	०
३२	राजपुर ..	१२	०	०
३३	पूरनपुर ..	४७	११	०
३४	किशनपुर ..	२७	११	०
३५	बढ़म्यों वाला ..	१	५	०
३६	मलपुरा ..	५३	५	०
३७	कल्यानपुर ..	२९७	९	०
३८	जगदीशबाला ..	६५	१३	०
३९	कलियावाला ..	३७७	१४	०
४०	गांगूवाला ..	२२	१	०
४१	टीला ..	१०	५	०
४२	बकसौरा ..	३३४	१५	०
४३	चकतालवपुर ..	९५	१	०
४४	नगरियासुल्तान	१६९	१०	०
४५	मुरलीवाला ..	२९८	८	०
४६	वीरपुरी ..	१०	१२	०
४७	गूलरगोत्री ..	३२	१४	०
४८	चतुरपुर बागीची	६	१४	०
४९	सन्यासियोवाला	१६०	१	०
५०	अभियावाला ..	९६	१०	०
५१	तालबपुर ..	४२३	१४	०
५२	खरमासी ..	११	६	०
५३	कुदयोवाला ..	७७	४	६
५४	गंगापुर रकबा	२८२	२	३
५५	पट्टी हस ..	१६०	९	०
५६	मानपुर ..	१२६	०	६
५७	फिरोजपुर ..	५२	२	०
५८	दसोदियावाला	५४	०	३
५९	परतापुर	२२	११	०
६०	बैलजूड़ी ..	६६	८	६
६१	शाहगंज ..	२६१	१	६
६२	सरबरखेडा ..	३३१	९	९
६३	हल्दुआसाहू ..	७५१	७	९
६४	भवानीपुर ..	३२६	१५	६
६५	जगतपुर पट्टी ..	५२३	१४	४
६६	गरी हुसैन ..	४०९	६	६

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम		धनराशि जो वास्तव में छूट लगान में कृषकों को दी गई		
			रु०	आ०	पा०
६७	गौरा	..	५९६	६	९
६८	टाडाप्रभापुर	..	९६	१०	९
६९	सस्तौरा	..	१४४	१२	३
७०	नवलपुर	..	४०७	११	६
७१	लालपुर	..	५८२	१५	८
७२	कलई	..	१२७	११	३
७३	कून्डा	..	३४६	३	९
७४	बावरखेडा	..	१,६४२	५	६
७५	मिस्सरवाला	..	१२५	६	९
७६	नरायनपुर	..	५४१	१३	०
७७	दाइवाला	..	८०७	१४	६
७८	अहमदनगर	..	१३१	४	५
७९	गढीनेगी	..	८४५	११	९
८०	वगवाडा	..	५२२	५	६
८१	करनपुर	..	३०६	४	९
८२	वेन्तवाला	..	३५६	१	३
८३	भोगपुर	..	०	३	०
८४	श्योराजपुर	..	४६५	६	१
८५	किलावती	..	५४०	३	३
८६	हरियावाला	..	२०६	११	३
८७	सीतारामपुर	..	१२८	१४	६
८८	भरतपुर	..	३२	८	०
८९	बर्गापुर	..	९२	४	६
९०	गनेशपुर	..	५५	९	०
९१	कैसरोपुर	..	७०	५	०

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—३४६ एल० ए०—१९५९—८४५ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश